राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6) षष्टम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का दूसरा दिवस (संख्या 2

मंगलवार

दिनांक 25 सितम्बर, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न । श्री रामसिंह विश्नोई । श्री माधवसिंह दीवान ।

चोपड़ा फीडर की मरम्मत का कार्य

17. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी), श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चोपड़ा फीडर का निर्माण कब तथा किस मकसद से हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले कई वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं हो रही है तथा मामूली बरसात से ही इसका पानी बिलाड़ा कस्बे में आ जाता है ? क्या इसके पास की जमीन पर कई लोगों ने कब्जे कर लिये हैं व उस जमीन को अलाट करवा लिया है, जिसके कारण इसकी जल क्षमता कम हो गई है ? राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

(3) चालू वर्ष में इस फीडर की पाल को किस-किस जगह, किस-किस दिन कितनी-कितनी क्षति हुई तथा इस क्षति को ठीक करने के लिए कब-कब, कितने-कितने मजदूर लगाये गये ? क्या विभागीय लापरवाही के कारण इसे समय पर ठीक न कराने के कारण बाढ़ का पानी एक बार फिर बिलाड़ा कस्बे में आ गया तथा उससे भारी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो कब तथा इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं, तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या इस फीडर पर सोजत-बिलाड़ा मार्ग पर एक विभागीय पुलिया बनी हुई है जिसके बहुत छोटी होने के कारण पानी आसपास फैल जाता है ? यदि हां, तो इसे बड़ा करने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) भविष्य में वर्षा का पानी चोपड़ा फीडर से फूटकर बिलाड़ा कस्बे में नहीं फैले, इसके लिए विभाग ने क्या योजना बनाई है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) चोपड़ा फीडर का निर्माण तत्कालीन जोधपुर राज्य के समय में कराया गया था । इसका निर्माण रायपुर-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

लूनी नदी से 400 क्यूसेक पानी को चौपड़ा बांध में डालने हेतु किया गया था ।

(2) जी नहीं । आवश्यकतानुसार इसकी मरम्मत होती रही है । मामूली वर्षा से इस फीडर का पानी बिलाड़ा कस्बे में नहीं आता । फीडर के पाल के बाईं ओर की जमीन, जहां से रायपुर-लूनी नदी का पानी बहता है, ज्यादातर निजी जमीन है ।

काश्तकारों ने अपनी जमीन को कटाव से बचाने हेतु तटबन्धन किया है, जिसके कारण पानी संकुचित रूप में (चेनेलाइज्ड फार्म) में बहता है व जल प्रवाह की क्षमता सीमित हो गई है । राज्य सरकार अनधिकृत कब्जों के विषय में जांच कर रही है ।

(3) चालू वर्ष में इस फीडर की पाल दिनांक 18 जुलाई को तीन स्थानों चैन 0 चैन 178-180.5 एवं चैन 280 पर टूटी । इनको ठीक करने के लिए दिनांक 24-7-79 से 7-8-79 तक लगभग 50 मजदूर कार्यरत थे । 7 अगस्त, 1979 को फिर से अत्यधिक वर्षा (113 मि. मी.) वर्षा होने के कारण चैन 178 से 179.40 का रिंग बांध जो अभी पूरा नहीं बन पाया था, टूट गया ।

चौपड़ा फीडर के टूटने से नुकसान की जांच हेतु सरकार द्वारा जांच समिति गठित की जा चुकी है, जांच के बाद दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

बिलाड़ा-सोजत मार्ग पर जो पुलिया का निर्माण करवाया गया था, वह फीडर की डिजाइन क्षमता के अनुसार 400 क्यूसेक निकालने हेतु बनाई गई थी ।

400 क्यूसेक से अधिक पानी आने पर, पानी पुलिया के ऊपरी तरफ फैलता है । बढ़ती हुई वर्षा की मात्रा को देखते हुए, पुलिया को बड़ा करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(4) भविष्य में बिलाड़ा कस्बे को चौपड़ा फीडर के पानी से बचाने हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है । सर्वेक्षण पूर्ण होने पर ही योजना बनाकर विचार किया जायेगा ।

श्री रामसिंह बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा 16, 17 और 18 तारीख को वर्षा के कारण फीडर टूट गई थी, उसके बाद फिर वर्षा हुई और पानी आ गया। आपके जे. ई.-एन. और ए. ई. एन. को बुला कर दिखाया । उसके बाद भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की है । आपने जो कहा है, वह असत्य है । आपके अधिकारियों ने काम किया नहीं है । जो नुकसान हो गया है, वह आपने बताया है और मरम्मत के बारे में आपने कहा है । मैं कहता हूं, आपके कागजों में भले ही मरम्मत हो गई हो, हकीकत में एक भी रुपया मरम्मत में नहीं लगा है । मेरे कहने का मतलब यह है, माननीय मन्त्री महोदय, यह किस मकसद से नहर बनाई गई थी ? जिस मकसद से यह नहर बनाई गई थी, वह पूरा नहीं हुआ है । भविष्य के लिए आप अभी से क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री माधव सिंह दीवान : अगस्त की 6 तारीख से पानी आया । तीन स्थान पर पहले लोग ठीक करने के लिये लगे थे । यह कहा गया कि ठीक करने का काम पूरा कर दिया गया है । वह फिर टूट गया, क्या यह विभाग की लापरवाही नहीं है ? क्या मन्त्री

(श्री माधव सिंह दीवान)
महोदय अधिकारियों को इस लापरवाही के लिए इस्तीफा देने की हिम्मत करेंगे ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल दे देना चाहिए ।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : भारत सरकार में लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन का एक्सीडेण्ट होने पर त्याग-पत्र दे दिया था ।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरा-पाटन) : गुप्ता जी, क्या आप यह बतायेंगे कि आपने जनता पार्टी क्यों छोड़ी है ?

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमान-गढ़) : यह बीमारी बचे-खुचे लोगों को और लग गई है ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : लोगों को मुक्त कराने के लिए मैंने जनता पार्टी छोड़ी है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय विधायक महोदय ने प्रश्न किया है उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि 1976-77 में 24,333/- रु. मरम्मत कार्य के लिए खर्च किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बात इन्होंने कही है, वह सत्य है । इतनी वर्षा हुई है कि 15 जुलाई से उस सड़क से जाना, डेम पर जाना बहुत मुश्किल हो गया था । रिंग बांध बनाया गया था वह उस वक्त टूट गया । फिर भी हम जांच करा रहे हैं । मैं विधायक महोदय को जांच का आश्वासन दे रहा हूं । यह कहा गया है कि आगे से बिलाड़ा में पानी नहीं आयेगा ।

श्री रामसिंह बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आपने खर्चे की बात कही है, मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है । एक रुपया भी नहर की मरम्मत के लिए खर्च नहीं किया गया है । दूसरा, हमारा निवेदन यह है, मन्त्री महोदय, 6 तारीख से जोधपुर-जयपुर मार्ग 4 दिन तक बन्द रहा है । हमने तार दिया कि नहर की मरम्मत की जाये । आपने एक्स. ई० एन० भेजा । उसने रिपोर्ट दी कि पानी नहर से नहीं आया । जब मैंने कहा तो जांच की गई, और पता चला कि वास्तव में नहर से पानी आया है । इसके बारे में आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप मेहरबानी करके बता दीजिए कि आपने कौन से अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया है ? उसने क्या-क्या जानकारी की है ?

श्री नूरा (मसूदा) : आपने जांच का आदेश दे दिया है तो बाढ़ को तो आए काफी टाइम हो गया है । आप यह कह कर बात को टाल रहे हैं । अब आप कह रहे हैं कि जांच की कार्यवाही की जाएगी । जांच में जो दोषी पाये जायेंगे, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

श्री मूलचन्द डागा : आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री माधव सिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसको मैं चेलेन्ज करता हूं। यह बिल्कुल झूठी बात है कि 24-7-79 से 7-8-79 तक 50 मजदूर कार्यरत थे। यह बिल्कुल झूठ नहीं हो तो या तो वे इस्तीफा दे दें या मैं इस्तीफा दे दूंगा ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जांच पूरी होने में दो-तीन दिन शेष हैं। यह मैं जानकारी के लिए निवेदन कर रहा हूं। माननीय विधायकों से भी वे कान्टैक्ट कर चुके हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : जांच अधिकारी का नाम क्या है? कब आर्डर दिए, क्या जांच कर रहे हैं, यह बता दीजिये ?

श्री नूरा : दो-तीन दिन में जांच समाप्त होने वाली है तो क्या इसी सत्र में जांच रिपोर्ट पेश हो जायेगी ?

श्री मूलचन्द डागा : आपने सदन में यह उत्तर दिया है कि जांच हो रही है। मैंने यह पूछा था कि जांच अधिकारी कौन हैं, किस बात के लिए जांच हो रही है, कब आपने आर्डर दिया ?

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की इमर्जेन्सी के काम में डेढ़ महीने-दो महीने लग गए। आज भी कहा कि पांच-चार दिनों में जांच का परिणाम आ जाएगा, यह शोभाजनक नहीं है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि इतनी अधिक जनहानि हो गई, क्या इसको रोकने के लिए इमर्जेन्सी के तरीके से काम नहीं करना चाहिए? और करना चाहिए तो क्यों नहीं इमर्जेन्सी तरीके से काम किया गया? आगे के लिए....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आपकी क्या योजना है जिससे ऐसी घटना नहीं हो ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौपड़ा फीडर के टूट जाने के कारण और पिच्याक बांध के अन्दर हुई अनियमितताओं की जांच करने के लिए चीफ इंजीनियर और सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर की एक कमेटी नियुक्त की गई है जो जांच कर रही है। जहां तक तेजी से जांच करने का सवाल है, तार और टेलिफोन कर दिए गए थे। जो भी जांच का परिणाम होगा, उससे अवगत करा दिया जावेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई कोताही नहीं बरती जायेगी। माननीय विधायक स्वयं जानते हैं, उनसे भी जानकारी ली जा चुकी है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह (चित्तौड़गढ़): मंत्री महोदय यह कहने की कृपा करें कि ऐसी महत्वपूर्ण जांच सरकार वार-फुटिंग पर करना चाहती है या साधारणतया जैसे जांच होती रहती है और नाएतलाली होती रहती है, उसी तरह से जांच कराना चाहती है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहला काम रिपेअर का था। उसको प्राथमिकता के तौर पर करवाया गया है। ऑफिसरों को तुरन्त जांच के लिए भेज दिया गया है। हम स्वयं उसको तेजी से करवाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: Next question श्री लालचन्द।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा: मेरे प्रश्न का इन्होंने उत्तर नहीं दिया कि कौनसी तारीख को जांच का आर्डर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष: श्री लालचन्द ! प्रश्न संख्या 18।

श्री रामसिंह विश्नोई: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया विराजिये।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल शर्मा (केकड़ी): मैं भी उस क्षेत्र में गया हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपया विराजिये, अगर सहयोग नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, कृपया विराजिये, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा): हम जनता के प्रति वफादार हैं ? हम चाहते हैं कि....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया विराजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई: उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, इस तरह से आप आदेशों का उल्लंघन करेंगे तो मैं चेतावनी देता हूं।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये ?

(व्यवधान)

माननीय सदस्य विराजिये।

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

माननीय हरचन्द सिंहजी, विराजिये। कृपया, शान्ति से कार्यवाही चलने दीजिये।

माननीय लालचन्दजी, आप प्रश्न पूछिये।

श्री रामसिंह विश्नोई: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपया सहयोग दीजिये, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा।

श्री गुल मोहम्मद: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

(6)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : स्पेसिफिक जवाब देना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पुर्नविचार कर लिया है । मैं पुरानी व्यवस्था पर कायम हूं ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बिराजिए ।

यह सामान्य प्रोप्राइटी की बात नहीं हो सकती ।

(व्यवधान)

माननीय रामसिहजी, इसी तरह से सदन में प्रश्न काल चलाना है तो मैं प्रश्न काल को भी स्थगित कर सकता हूं । मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है । कृपया विराजिए । राज्य सरकार से प्रश्न का उत्तर आ गया है ।

श्री सूरजपाल सिंह : प्रश्न का उत्तर आना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे खेद से कहना पड़ता है कि आप मुझे सहयोग नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री लालचंद !

बीकानेर में वूल टाप्स के टैक्स की माफी का मामला

18. श्री **लाल चंद** (भादरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बीकानेर में वूल टाप्स का टैक्स पिछली तिथियों से माफ किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गंगानगर जिले की चावल मिलों का टैक्स पिछली तिथियों से माफ किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने उद्योगों के काम में आने वाली मशीनों के टैक्स में किसी तरह की रियायत दी है ? यदि हां, तो क्या ?

वित्त मंत्री (श्री माणक चन्द सुराणा): (1) अधिसूचना दिनांक 30-3-77 के द्वारा वूल टाप्स के बनाने वालों पर "कर" को इस शर्त पर माफ किया गया कि वूल टाप्स बनाते समय इस हेतु क्रय की गई कच्ची ऊन पर उन्होंने पूरा कर चुका दिया हो । यह कर मुक्ति कच्ची ऊन व वूल टाप्स दोनों पर ही दोहरे कर आरोपण को बचाने की दृष्टि से किया गया । यह अधिसूचना दिनांक 30-3-77 से प्रभावशील थी । पूर्व में भी वूल टाप्स के बनाने वालों ने वूल टाप्स की बिक्री पर कोई कर वसूल नहीं किया था और न ही कर निर्धारण अधिकारियों ने वूल टाप्स को कभी भी "वूल" से या ऊन से भिन्न माना और न ही वूल और टाप्स की बिक्री पर कर लगाया । ऐसी अवस्था में यह ठीक समझा गया कि वूल टाप्स बनाने वालों पर, जिन्होंने कच्चे ऊन पर पूरा कर चुका दिया है, फिर से वूल टाप्स की बिक्री पर कर न लगाया जाए । राज्य के ऊन उद्योग को प्रोत्साहन व कच्ची ऊन से बनी वूल

(श्री माणक चन्द सुराणा)
टाप्स अन्य राज्यों के मुकाबले में महंगी न पड़े इसलिए ऐसा किया गया व दिनांक 6-7-78 को अधिसूचना जारी की गई जिसके अनुसार वूल टाप्स की बिक्री को दनांक 1-4-67 से 29-3-77 तक की अवधि में कर मुक्त इस शर्त पर किया गया कि कच्चे ऊन पर पूरा कर चुका दिया हो। यह अधिसूचना पूरे राज्य के लिए थी।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, राज्य सरकार ने राजस्थान में वस्त्र, चीनी मिट्टी, कांच, सीमेंट, अभियान्त्रिकी, चीनी, धातु उद्योगों, खनिजों पर आधारित उद्योगों तथा रसायनिक एवं उर्वरक उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देने के लिए समस्त मशीनरी को विक्रय से कुछ शर्तों पर कर से छूट प्रदान की है। यह छूट पूर्व में भी 15 वर्षों से बराबर दी जाती रही है। 24-8-79 की विज्ञप्ति से इस छूट की अवधि 1-4-79 से 31-3-84 तक बढ़ाई गई है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्षजी, आपकी अनुमति से मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि वूल टाप्स पर टैक्स नहीं लिया जाना ओडिट रिपोर्ट से प्रतीत होता है या नहीं? दूसरी बात, 1976 में कांग्रेस सरकार ने दुबारा नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें वूल टाप्स और कच्ची वूल दोनों पर टैक्स अलग-अलग था या नहीं?

श्री माणक चन्द सुराणा : 1976 की कोई विज्ञप्ति नहीं है। जो विज्ञप्ति 30-3-77 की है उसका मैंने जिक्र किया। 30-3-77 की विज्ञप्ति द्वारा वूल टाप्स पर इस शर्त पर कर माफ किया गया कि यदि वे कच्ची ऊन पर पूरा टैक्स देते हैं। यदि नहीं दिया है तो वूल टाप्स पर टैक्स लेना था।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : 1967 से लेकर 30-3-77 तक कच्ची वूल और वूल टाप्स दोनों पर अलग-अलग टैक्स था। तो पीछे की तारीख से टैक्स माफ करने का क्या कारण था? 30-3-77 के बाद टैक्स नहीं लेना सरकार का अधिकार है लेकिन 1977 से पहले से 1967 से वूल टाप्स पर टैक्स क्यों नहीं लिया? इसमें यह सवाल है। ए.जी. की ओडिट रिपार्ट में कहा गया है कि वूल टाप्स पर टैक्स अलग था और कच्ची वूल पर टैक्स अलग था। उस ओडिट रिपोर्ट के बाद में कर अधिकारियों ने वूल टाप्स पर टैक्स का असेसमेंट किया और 30-3-77 को वूल टोप्स को टैक्स से एग्जेम्पट किया। यह सरकार 1967 से टैक्सेज माफ कर रही है, यह सरकार की इम्मोरेलिटी है। 10 साल पहले से सरकार ने टैक्स माफ कियाहै। राज्य सरकार किस कारण से इस फैसले पर पहुंची कि व्यापारियों से पहले का टैक्स वसूल नहीं किया जाय? क्या राज्य सरकार से व्यापारियों के इस कथन पर कि कानून का गलत इन्टरप्रिटेशन के कारण टैक्स वसूल करने में भूल हो गई है, तो क्या सरकार माफ कर देगी?

श्री माणक चन्द सुराणा : ए.जी. ने ओडिट रिपोर्ट सबसे पहले अप्रेल, 1973 में राज्य सरकार को दी। उससे पूर्व ए. जी. ने खुद कभी भी रावूल और वूल टाप्स को अलग-अलग नहीं माना। जितना कर निर्धारण राज्य के अधिकारियों ने किया, वह उनके द्वारा विधिवत् माना गया। पहली बार अप्रेल, 1973 में उन्होंने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर खींचा कि वूल टाप्स को अलग वस्तु माना जाए। ए.जी. के कहने पर

(श्री माणक चन्द सुराणा)
कमिश्नर, कार्माशियल टैक्सेज ने बराबर इस बात का विरोध किया, 1974, 1975 व 1976 में बराबर इस बात का विरोध किया कि इसको अलग माना जाए । वूल टाप्स और रा वूल में फर्क यह है कि. . .

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : वूल टाप्स और कच्ची वूल में क्या अंतर है, यह सवाल नहीं है। ये दो नाम हैं। वूल टाप्स पर टैक्स अलग था, कच्ची वूल पर टैक्स अलग था । अगर 1973 में ए.जी. के किसी ऑडिटर ने बुद्धि का उपयोग करके भूल को सुधारा और कानून की सही मंशा का जिक्र किया तो क्या यह औचित्यपूर्ण है कि आपके अधिकारियों ने भूल को सुधारा है उनकी बात को नहीं मान कर व्यापारियों को लाभ देने की साजिश कर रहे हैं, आप व्यापारियों को लाभ दे रहे हैं ? यह 50 लाख रुपये का मामला है । 1967 से लेकर 1977 तक सेल्स टैक्स माफ होता है। राज्य सरकार को कम से कम 50 लाख रु. टैक्स की वसूली करनी होगी। यह सवाल एक्सचेकर का है, राजस्थान की जनता के लिए यह महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर बैंक डेट से 50 लाख की छूट देना चालू कर दी तो इस सरकार पर जो आरोप है कि यह व्यापारियों की सरकार है, वह सही साबित होता है। मैं बीकानेर का रहने वाला हूं, मुझे इससे बीकानेर में लाभ होगा परन्तु 50 लाख रुपये सरकार के राजस्थान में माफ करेंगे तो ठीक नहीं होगा।

श्री माणक चन्द सुराणा : ए.जी. ने जो रिपार्ट दी राज्य सरकार को उसके स्पष्टीकरण के लिए सर्वप्रथम, दि. 30-3-77 को राज्य सरकार ने विज्ञप्ति जारी की । माननीय गुप्ताजी जानते हैं कि उस तारीख को न वह थे न मैं था।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कांग्रेस सरकार पर आरोप है, उसका यह भ्रष्टाचार था । कांग्रेस एम.एल.एज. ने उस समय अधिकारियों व मंत्रियों को 2 लाख की घूस देकर नोटिफिकेशन जारी कराया था, यह बीकानेर में चर्चा थी, आज फिर बीकानेर में चर्चा है कि राज्य सरकार के कुछ मंत्री क्या मालूम कुल्लड़ के अंदर गुड़ घोल रहे हैं । आपसे लोगों को आशायें हैं कि आप भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे ।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : क्या यह सही है कि सरकार ने 30-3-77 को जो अधिसूचना निकाली थी उसको बाद में कांग्रेस सरकार ने स्टे कर दिया था ?

श्री माणक चन्द सुराणा : जी नहीं ।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : किसी भी सरकार ने निकाली हो। कन्ज्यूमर से जो पैसा वसूल किया सेठ ने वह गवर्नमेंट का मनी था, एक्सचेकर का मनी था, क्या उसको माफ किया गया है ?

श्री माणक चन्द सुराणा : जी नहीं ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने 30-3-77 को जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें यह था कि वूल टाप्स और कच्ची वूल पर फ्यूचर में कोई टैक्स नहीं लगेगा और व्यापारियों को भविष्य में टैक्स नहीं देना पड़ेगा । यह छूट दी थी। लेकिन जनता सरकार ने तो पिछली डेट से व्यापारियों को टैक्स की छूट दी है । उपाध्यक्ष महोदय, सन् 67 से टैक्स जो बकाया था उसको माफ किया है ।

श्री शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं वह बिलकुल गलत जवाब दे रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय दोनों ही नोटिफिकेशन पढ़ दें। कांग्रेस सरकार ने क्या नोटिफिकेशन निकाला और जनता सरकार ने क्या नोटिफिकेशन निकाला?

श्री शंकर लाल : जो आपने 6 जुलाई को निकाला वह भी बतावें।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो, वित्त मंत्री जी, दोनों ही नोटिफिकेशन पढ़ दीजिये।

श्री शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि बीकानेर की जनता की तरफ से इस बात की शिकायत आई थी कि जनता सरकार ने जो इस नोटिफिकेशन से वूल टाप्स पर टैक्स बैक डेट से माफ किया है उसके द्वारा व्यापारियों को अनुचित मुनाफा दिया जा रहा है। वित्त मंत्रीजी के खिलाफ में बहुत कुछ कहा गया। वहां पर इश्तहारबाजी भी हुई। मेरा निवेदन यह है कि सरकार ने उस शिकायत के खिलाफ में क्या कार्यवाही की, यह भी बताने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इसी से रेलेवेन्ट मेरा भी एक स्पेसिफिक प्रश्न है। क्या वित्त मंत्री महोदय यह भी बतायेंगे कि जो कच्ची वूल और वूल टाप्स पर पिछली डेट से बकाया टैक्स की माफी का नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है उसमें वह पैसा भी शामिल है जो कि कन्ज्यूमर द्वारा तो दे दिया गया और व्यापारी के पास जमा हो गया? जो पैसा व्यापारियों द्वारा कन्ज्यूमर्स से लिया गया, वह पैसा तो पब्लिक मनी था, क्या सरकार ने उस पैसे को माफ कर दिया है? इसका उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय कृपया उत्तर दें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इससे क्या फायदा होगा। मैं बाद में प्रश्न पूछूंगा तो मंत्री महोदय को बाद में दुबारा जवाब देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर से आने वाले महानुभाव ने जो प्रश्न उठाया है ..

श्री श्योपतसिंह मकासर : महानुभाव नहीं हैं, माननीय सदस्य हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य किशनसिंह जी ने जो प्रश्न पूछा है...

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सदस्य का नाम नहीं लेते हैं सिर्फ कान्स्टीट्यूएन्सी से आने वाले सदस्य ही कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नये कनवेन्शन्स बिल्ड अप हो रहे हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, कई नये कनवेन्शन्स हो गये हैं, नाम भी ले लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया, कि

(श्री माणकचन्द सुराणा)
कच्ची वूल और वूल टाप्स पर जो टैक्स था वह कच्ची वूल पर तो चार प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरा उत्तर नहीं है। मंत्री महोदय कृपया पूरा उत्तर दें।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से वित्त मंत्री जी मेरे प्रश्न को पूरी तरह से समझ नहीं कर पा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जो कन्ज्युमर्स से टैक्स आलरेडी बनिये ने वसूल कर लिया वह वसूल किया हुआ टैक्स तो पब्लिक मनी है, वह तो पब्लिक एक्सचेकर का रुपया हो चुका वह माफ कैसे हो जायेगा? यह आप बतावें। क्या आपने उसको भी माफ कर दिया? वह कुल कितना पैसा था, यह भी बतावें?

श्री माणकचन्द सुराणा : कन्ज्यूमर्स से अगर पैसा व्यापारियों ने ले लिया तो वह माफ नहीं होगा। पर यह तो व्यापारियों की बहियों को देख कर ही बताया जा सकता है कि कितना पैसा है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : वित्त मंत्री महोदय आप इधर उधर प्रश्न को मत घुमाइयें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी स्पष्ट जवाब दें। यह क्या कि व्यापारियों के खाते बहियों में होगा तो माफ नहीं होगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न बिलकुल स्पष्ट पूछा है कि जो व्यापारियों ने पैसा कन्ज्यूमर्स से ले लिया वह तो पब्लिक मनी हो गया, बनिये ने उस पैसे की एन्ट्री अपने रजिस्टर में की या नहीं, यह कैसे पता लगेगा? अगर आप इसकी जांच नहीं करायेंगे तो बनिया उस पैसे को हजम कर जायेगा। इसमें आपकी भी साजिश होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि उस पैसे को वसूल किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये, श्योपतसिंह जी।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया वह मैं ठीक तरह से नहीं समझा। इस नोटिफिकेशन को निकालने में सरकार की क्या मंशा थी...

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : घोटाला है।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने वूल टाप्स पर टैक्स माफ किया है वह अगर बैक डेट से किया है तो वह बकाया को माफ किया है। अगर मैं इसको ठीक तरह से समझा हूं तो यह बात है, जो भी पैसा माफ किया गया है वह पब्लिक मनी था। वह कितना था? मंत्री महोदय यह जानकारी सदन को दें। इसके साथ-साथ यह भी बतावें कि बकाया के मुकाबले में आगे कितना नुकसान होगा? कुल कितनी असेट्स और लाइबिलिटी पब्लिक की थी? उस नोटिफिकेशन से क्या बकाया वसूली में कोई कमी नहीं होगी इसके अन्दर..

एक माननीय सदस्य : क्या घोटाला है?

श्री लक्ष्मणसिंह : हां, क्या घोटाला है, मंत्री महोदय यह जानकारी प्राप्त करके हमें उत्तर दें। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से दो मिनट में इसका उत्तर दिलावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी यह बतायें कि वूल टाप्स और कच्ची वूल में कुल कितना अमाउन्ट इनवोल्वड है ? कितना टैक्स बकाया था ? क्या उसको माफी दे दी ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, महारावल साहब ने जो वसूली के बारे में पूछा है। यह तो बनिये की बहियां देखने से ही पता लगेगा कि कितना पैसा टैक्स के रूप में ले लिया गया, इसके बिना तो ठीक असेसमेंट नहीं होगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपको यह भी पता नहीं है कि कितना पैसा है। यह तो डूब मरने की बात है।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : डूब मरने की बात . . .

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : क्या सरकार ने उस पैसे को माफ कर दिया, बिलकुल एट रेन्डम माफ कर दिया ? Have you given this exemption at random, without going into the finan cial implications of the whole thing ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, आप विराजिये। वित्त मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने सात सवाल हैं जो कि माननीय सदस्यों ने किये हैं। माननीय सदस्य किशनसिंहजी ने प्रश्न किया, महारावल साहब ने प्रश्न पूछा . . .

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा प्रश्न भी पैंडिंग है।

श्री माणकचन्द सुराणा : सभी ने प्रश्न पूछे हैं। महारावल साहब ने कहा कि टैक्स माफ कर दिया गया है और दूसरे माननीय सदस्यों ने . . .

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : वित्त मंत्रीजी, हमारे विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने जो सवाल पूछा है, वह सभी सवालों का निचोड़ है। आप तो बस उन्हीं के प्रश्नों का जवाब दे दें।

श्री माणकचन्द सुराणा : उन्हीं के अववेश्चन का सबसे पहले जवाब दे रहा हूं। इस तरह की माफियां . . .

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह सरकारी खजाना है। On what grounds have you exempted the tax ?

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एग्जेम्प्शन है, पाली से आने वाले माननीय विधायक ने कहा कि दोनों नोटिफिकेशन पढ़ दें। मैं दोनों नोटिफिकेशन पढ़ देता हूं . . . .

श्री लक्ष्मणसिंह : एग्जेम्प्शन का क्या कारण है ?

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : यह पढ़कर सवाल के जवाब को टालना चाहते हैं। . . .

श्री माणकचन्द सुराणा : पाली से आने वाले माननीय विधायक अपने सवाल को विथड्रा करना चाहते हैं तो मैं नोटिफिकेशन नहीं पढ़ूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जरूरी नहीं है पढ़ना।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सरकार ने नोटिफिकेशन क्यों इश्यू किया है ? सवाल यह है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले ही कहा है कि पढ़ना आवश्यक नहीं है।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : एग्जेम्प्शन से सरकार को कितनी हानि हुई, यह भी कृपया बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष : यह सवाल पहले ही पूछ लिया गया है।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : इसमें मंत्री महोदय को कितना मिला है, यह भी मंत्री महोदय और बता दें।

श्री माणकचन्द सुराणा : मुझे उतना ही मिला है 50 पर्सेन्ट, जितना आपको मिला है।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं कि 50 पर्सेन्ट आप को मिला है और 50 पर्सेन्ट हमको मिला। आप स्वीकार कर रहे हैं इसको ?

श्री माणकचन्द सुराणा : नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : यह डिसीजन केबिनेट का था या इनका था ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह मामला तो मुख्य मंत्री महोदय ने मंगाया था उसका क्या हुआ ?

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसेंशियल्स के बारे में फैसला किया था कि इसको बैक डेट से माफ किया जाये। क्या यह सही है कि बीकानेर के व्यापारियों ने पैसा इकट्ठा किया ? मैं किसी पर मोटिव एट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं लेकिन जो स्केन्डल के बारे में बात आई यह मंत्री महोदय की नालेज में है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय ने स्टे आर्डर कर दिया और यह तय किया कि इसकी जांच की जाये, अगर व्यापारियों ने पैसा वसूल कर लिया तो टैक्स लगाने के बाद असेसमेंट कितना होता था और कितना बनता था ? जांच करने के बाद ही आपने स्टे आर्डर को वेकेट किया था।

श्री माणकचन्द सुराणा : वह स्टे आर्डर आज तक चालू है। जो विज्ञप्ति जून, 78 में निकाली थी, वह आज तक स्टेंड है। राज्य सरकार ने उसको कार्यान्वित नहीं किया है और जांच चालू है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने यह नहीं कहा कि कितना अमाउन्ट है।

श्री माणकचन्द सुराणा : उस जांच में मालूम पड़ेगा कि क्या व्यापारियों ने टैक्स वसूल किया है। उसकी जांच करने के बाद ही उसको रिव्यू किया जायेगा।

श्री शंकरलाल : यही क्वेश्चन मैंने भी किया था जो कि केदार जी ने कहा है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अगर यही बात थी तो पहले उत्तर में यह क्यों नहीं कह दिया ?

श्री माणकचन्द सुराणा : आप सुनें तब तो बताऊं भी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : रिकवरी बन्द है या चालू है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : स्टे किया है, यह कानूनी मामला है । आपने कानून में अमेन्ड-मेंट किया या नहीं ? इन विज्ञप्तियों से कुछ नहीं हो सकता । यह धोखा देने के लिए जारी किये हैं नोटिफिकेशन । टैक्स वसूल हो रहा है या नहीं, यह बतायें ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकारा है कि 50 प्रतिशत हिस्सा इनको मिला और 50 प्रतिशत हिस्सा श्री बजरंग-लाल जी को मिला । यह सदन के द्वारा विचार करने का मामला है, यह भ्रष्टाचार का मामला है । मंत्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि उतना ही पैसा मिला है जितना बजरंगलाल जी को मिला है । इस-लिए आप स्पष्ट कीजिए ।

श्री माणकचन्द सुराणा : न शर्मा जी ने लिये है और न मैंने लिये हैं । मतलब वही है जो आप समझते हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो स्टे किया है उसका इफेक्ट क्या हुआ है यह बता दें ?

श्री मदनसिंह दांता : अगर बजरंगलाल जी यह कह दें कि इन्होंने 1 लाख रुपये लिये हैं तो क्या आपने दो लाख लिये हैं ?

श्री माणकचन्द सुराणा : मैंने तो नहीं लिये ।

श्री मदनसिंह दांता : आपने यही कहा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया विराजें ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आज के राष्ट्रदूत में लिखा है कि खनिज मंत्री के निजी सचिव, श्री बंसीलाल व्यास उस नर्स के घर पर थे जिसकी मृत्यु हो गयी । मिनिस्टर साहब अन्दर कमरे में मौजूद थे....

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप पर यह आरोप है आज के राष्ट्रदूत में । जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में काम करने वाली नर्स की मृत्यु हो गयी है । वह आपके पी० ए० के साथ थी और वह...

(व्यवधान)

श्री शिवचरणसिंह (व्यवधान) : आप उनकी वकालत करना चाहते हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप उधर जाकर हमेशा के लिये गये...

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : निकम्मे हैं....

(५)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मंत्री के ऊपर यह आरोप है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, बिराजें । माननीय लालचंद जी, बिराजें ।

श्री मदनसिंह दांता : मैं फिर दोहराता हूं । यह जनता पार्टी भ्रष्ट है, अयोग्य है, करप्ट है.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दांताजी, बिराजें ।

(व्यवधान)

मैं सदन को बता देना चाहता हूं...

(व्यवधान)

कृपया बिराजें आप । मैं सदन को..

(व्यवधान)

रिकार्ड न किया जाये ।

×××

मैंने आदेश दे दिये हैं जब तक अनुमति न दे दूं, रिकार्ड न किया जाये । 10 मिनिट से लगातार इतना शोरगुल हो रहा है, न सुन सकता हूं न रिकार्ड हो सकता है ।

श्री मदनसिंह दांता : इसीलिये मैं चाहता हूं कि असेम्बली डिजाल्व हो ।

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड न करें । आप स्वयं जो कहना चाहते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं ।

(व्यवधान)

×××

माननीय सदस्य, बिराजिये । माननीय सदस्य, खेतसिंहजी । माननीय सदस्य, बिराजें ।

प्रश्नकाल में बिना अनुमति के जो चर्चा हुई है, मैंने उसको रिकार्ड नहीं करने के आदेश दिये हैं और रिकार्ड नहीं की गई हैं ।

मैं प्रश्नकाल समाप्त करता हूं । प्रश्न-काल समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

कृपया बिराजें ।

श्री लालचन्द : इस सवाल का जवाब दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे लिये विषम स्थिति उत्पन्न कर देते हैं । मैं यही अपेक्षा करता हूं....

श्री श्योपतसिंह मकासर : सत्ता पक्ष की भी तो उतनी ही जिम्मेदारी है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सत्ता पक्ष के पास जवाब है, तो दे दें ।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : कन्ज्युमर से टैक्स वसूल कर लिया..

(व्यवधान)

उत्तर को दबाया कैसे ? उत्तर क्यों नहीं आया ? यह ××× है ।

(व्यवधान)

××× उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह पैसा राजकीय खजाने में आना चाहिये था। जो टैक्स वसूल किया, उसका क्या हुआ?

(व्यवधान)

श्री लालचन्द : आप अपने ××× को कहते हैं शोर करो।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले ही प्रश्नकाल समाप्त घोषित कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : उन सेठों से पैसे खा गये।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री रतनलाल वर्मा (मिर्जाय) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे बोलने की इजाजत दीजिये।

श्री डूंगरराम पंवार : इस तरह की धमकी से काम नहीं चलने देंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पहले विराजें, ध्यान बाद में आकर्षित करें।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं वे न तो कोई बन्धन पसन्द करना चाहते हैं, न ही आसन की तरफ से कोई बन्धन स्वीकार करना चाहते हैं और न स्वयं बन्धन में रहना चाहते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : I will resign from the Assembly, if these things will happen here.

श्री उपाध्यक्ष : मैं यही निवेदन करूंगा सभी दलों के माननीय नेता मुझे सहयोग दें। वे अपने प्रभाव का उपयोग करें।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : एक दल बना कर हमला करते हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुप्ता जी, कृपया विराजें।

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, यह रूल्स में है कि कोई सदस्य पान खाकर नहीं बोलेगा मूलचन्द जी पान खाकर बोल रहे हैं। समझ में नहीं आता है, क्या कहना चाहते हैं? Chewing of 'Paan', is prohibited in the House. अभी भी मुंह में पान भरा हुआ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बोल नहीं पायें तो छोटा टुकड़ा खायें।

श्री मूलचन्द डागा : बोलते हैं तो पिचकारी छोड़ते हैं, कपड़े खराब करते हैं।

श्री विज्ञान मोदी : On a point of information.

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री जी भी सदन में बैठे है, कुछ मंत्रीगण इशारा करके ट्रेजरी बन्चेज से शोर करवा देते हैं।

कई माननीय सदस्य : झूठ है, गलत है,

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(8)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह मैंने स्वयं देखा है ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : यह जनता पार्टी के सदस्यों का अपमान किया गया है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, कृपया विराजें ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैंने वित्त मंत्री महोदय से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है वह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । उसका जवाब आना चाहिए । इस महत्वपूर्ण सवाल पर आधा घण्टे की चर्चा की अनुमति दें ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने इशारा किया या नहीं किन्तु आप ज्यादा ही प्रभावित हुए हैं ।

श्री मदनसिंह दांता : राजस्थान में एक कहावत है, 'रागा जैसे ही पिरागा', ये दोनों ही एक सरीखे हैं ।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर ने वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर को अपने ग्रि में लेकर बहुत बड़ी साजिश की हैं । मैं निवेदन करूंगा कि भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर ने जो एक बड़ी साजिश रची है, उस साजिश का पर्दाफाश कराया जाना चाहिए ।

श्री किशनसिंह भाटी : जैसा कि सवाल पूछा गया है, मुख्य मंत्री महोदय भी यहां पर मौजूद हैं, सवाल का जवाब आना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। आप नियम देख लें, बाद में प्रश्न उठायें ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील रामगंज मण्डी के गांवों का पानी

1. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि रामगंज मंडी तहसील के ग्राम खीमच, काल्याकुई, ब्रम्हा का छापरा, मोतीपुरा का पेयजल खारा एवं स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

इन चारों ग्रामों में से ग्राम खीमच एवं मोतीपुरा कलां का पानी स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, शेष दोनों में पानी ठीक है ।

मण्डी शुल्क पर बिक्री कर की वसूली

2. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मंडी शुल्क पर बिक्री कर की रकम वसूल की जा रही है ।

(2) क्या यह सही है कि राजस्व मंडल ने सन् 1975 के रिविजन संख्या 935 । अजमेर में दिनांक 6-2-1976 को फैसला दिया था कि मंडी शुल्क पर कोई बिक्री कर नहीं लिया जाना चाहिए ?

(श्री हरीश शर्मा)

और उसी हिसाब ने व्यापारियों ने मण्डी शुल्क वसूल नहीं किया एवं विभाग के अधिकारियों ने आज तक फैसले किये ?

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में भी कोई निर्णय हुआ है और उसके बाद विभाग ने मंडी शुल्क पर बिक्री-कर आरोपित करने का निर्देश दिया और यह कह कर पिछले कई वर्षों से जिन वर्षों में व्यापारियों ने वसूल ही नहीं किया, मांगा जा रहा है। क्या सरकार इस संदर्भ में कोई नवीन कदम उठाने जा रही है और अनुचित वसूली को रोकने के आदेश देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। मण्डी शुल्क पर राजस्थान विक्रय कर वसूल किया जा रहा है।

(2) जी हां राजस्व मण्डल, अजमेर ने वाणिज्यिक कर अधिकारी के विरुद्ध त्रिलोकचन्द प्रेमप्रकाश के प्रकरण में दिनांक 6-2-1976 को यह निर्णय दिया था कि मण्डी शुल्क विक्रय मूल्य का भाग नहीं है, और इस पर विक्रय कर वसूल नहीं किया जाना चाहिए। राजस्व मण्डल के इस निर्णय को सम्मान देते हुए कई कर निर्धारण प्राधिकारियों ने मंडी शुल्क पर विक्रय कर वसूल नहीं किया होगा।

(3) जी हां। सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड, उदयपुर के प्रकरण में "विक्रय मूल्य" की परिभाषा की व्याख्या करते हुए दिनांक 22-8-78 को यह निर्णय दिया है कि 'विक्रय मूल्य" का अर्थ उस कुल राशि से है, जो कि खरीदकर्त्ता द्वारा विक्रेता को खरीदी गई वस्तु के लिए दी जाती है इस निर्णय के अनुसार मण्डी टैक्स को "विक्रय मूल्य" का भाग मानकर विक्रय कर वसूल करने हेतु समस्त कर निर्धारण प्राधिकारियों को परिपत्र क्रमांक प. 5 (बी) 1/टैक्स/ विधी आयुक्त/ 76/145, दिनांक 28-10-78 (आर. एस. टी. 73) द्वारा निर्देश दिये गये हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में राजस्व मण्डल ने भी वाणिज्यिक कर अधिकारी, अजमेर विरुद्ध श्री जगदीशप्रसाद रामदयाल, अजमेर, दिनांक 21-2-79 में मण्डी शुल्क को "विक्रय मूल्य" का भाग मान लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सम्मुख राजस्व मण्डल का पिछला निर्णय गौण हो जाता है, तथा अब राजस्व मण्डल ने भी उपरोक्त प्रकरण में मण्डी शुल्क को विक्रय मूल्य का भाग माना है। व्यापारियों ने राजस्व मण्डल के पूर्ववर्ती निर्णय के अनुसार मण्डी शुल्क पर कर वसूल नहीं किया है; किन्तु अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार कर निर्धारण प्राधिकारी मण्डी शुल्क पर विक्रय कर वसूल कर रहे हैं। इस प्रसंग में व्यापारिक संस्थाओं ने आपत्तियां की हैं जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

ग्राम पंचायत, पचेलकलां के तत्कालीन सरपंच के विरुद्ध गबन व पद के दुरुपयोग के मामले

3. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या पंचायत समिति, अन्ता की ग्राम पंचायत, पचेलकलां के तत्कालीन सरपंच, श्री बोहरा के विरुद्ध गबन, पद के दुरुपयोग संबंधी अनेक मामले पाये गये हैं ? यदि हां,

(श्री हरीश शर्मा)

तो सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

ग्राम पंचायत, पचेलकलां के भूतपूर्व सरपंच, श्री कृष्णचन्द्र बोहरा के विरुद्ध "डोलियों" की जमीनें जुतवाने एवं उससे प्राप्त मुनाफे की राशि का दुरुपयोग करने की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच करने हेतु जिलाधीश, कोटा को लिखा गया है किन्तु अभी तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जावेगी।

पंचायत समिति, लाडपुरा व चेचट के गांवों का विद्युतीकरण हेतु सर्वे

4. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, लाडपुरा एवं चेचट के समस्त गांवों का ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत सर्वेक्षण हो चुका है ? यदि हां, तो कब तक इन गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जावेगा ? ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या ग्राम बोरावास, पंचायत समिति, लाडपुरा पेयजल योजना का केन्द्र है ? क्या अभी तक भी प्राथमिक आधार पर इस गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ?

(3) पंचायत समिति, लाडपुरा एवं चेचट में सन् 1977 से अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा कितनों का किया जाना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समिति, लाडपुरा एवं पंचायत समिति, चेचट के समस्त अविद्युतिकृत ग्रामों का सर्वेक्षण हो चुका है। लाडपुरा पंचायत समिति की योजना का प्रारूप तैयार करके ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भेज दिया गया है। योजना की स्वीकृति से पूर्व विद्युतिकरण के संबंध में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। पंचायत समिति, चेचट के ग्रामों की योजना का अभी प्रारूप तैयार किया जा रहा है। दोनों योजनाओं में प्रस्तावित ग्रामों की सूची 'अ' व 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, ग्राम बोरावास का विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रेषित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कर दिया गया है जिसकी स्वीकृति के पश्चात् विद्युतिकरण संभव हो सकेगा।

(3) माह जनवरी, 1977 से माह अगस्त, 1979 के अन्त तक पंचायत समिति, लाडपुरा के 15 एवं पंचायत समिति, चेचट के 48 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है (सूची 'स') तथा इन पंचायत समितियों में क्रमशः 17 एवं 4 ग्रामों, जिनकी स्वीकृति प्रसारित कर दी गई है, का विद्युतिकरण करना अभी शेष है जिसकी सूची 'द' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

तहसील रामगंजमंडी के मोडक गांव को चौसला जमीन पर अतिक्रमण

5. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रामगंजमंडी तहसील में मोडक गांव की चौसला जमीन पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है? क्या पहले राजस्व विभाग इसमें घास पैदा कर नीलाम कर चुका है?

(2) क्या यह सही है कि रामगंजमण्डी तहसील के किसानों के पांच परिवारों की भूमि रेलवे लाइन के अन्तर्गत गई? इस कारण वे भूमिहीन हो गये हैं? यदि हां, तो क्या इन पांचों किसानों को सरकार अमझानर की कृषि भूमि में आवंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यह सही है कि रामगंजमंडी में मोडक गांव के निकट चौसला ग्राम की सरकारी भूमि पर कुछ व्यक्तियों का अतिक्रमण है। इन अतिक्रमियों में श्री रामचन्द्र पुत्र देवी लाल निवासी मोडक भी है जो सरपंच हैं। यह सही है कि पूर्व में इस भूमि में घास पैदा होने से तहसील द्वारा नीलाम किया गया है। अतिक्रमण के फलस्वरूप इन्हें पूर्व में बेदखल किया जा चुका है तथा इसी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप श्री देवी लाल के भाई श्री रतनलाल को बेदखल किया जा चुका कर उस पर जुर्माना किया गया है तथा लगातार बार-बार अतिक्रमण किये जाने के कारण उसे एक माह की सिविल जेल की सजा दी गई है।

(2) जी हां, यह सही है कि तहसील रामगंजमंडी के पांच किसान परिवारों की भूमि रेलवे लाइन के अन्तर्गत अवाप्त हो चुकी है। इन सबको भूमि का मुआवजा मिल चुका है। अब मुआवजे के रूप में भूमि और देने का प्रश्न शेष नहीं रहता।

ये परिवार भूमिहीन नहीं कहे जा सकते क्योंकि जिन कृषकों की भूमि अवाप्त हुई उनके परिवार में अन्य नाम से भूमि है अतः प्रभावित कृषक के नोशनल शेयर को देखें तो उनके पास भी भूमि है। भूमि का आवंटन इन्हें नियमों के तहत दी गई प्राथमिकता के आधार पर ही हो सकता है। आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा किया जाता है।

जिलाधीश, पाली द्वारा कनिष्ठ लिपिकों के चयन हेतु ली गई लिखित परीक्षा

6. श्री शंकर लाल (जैतारण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिलाधीश द्वारा दिनांक 4 जून, 1979 को कनिष्ठ लिपिकों के चयन हेतु लिखित परीक्षा ली गई थी?

(2) यदि हां, तो उसमें कितने परीक्षार्थियों ने भाग लिया और कितने परीक्षार्थियों का चयन किया गया?

उत्तर

(1) जिलाधीश, कार्यालय द्वारा दिनांक 4-6-1979 को कनिष्ठ लिपिकों के चयन हेतु हिन्दी व अंग्रेजी का डिक्टेशन

(राजस्व मंत्री)
दिया गया था।

(2) इस हिन्दी व अंग्रेजी डिक्टेशन में 57 आशार्थी उपस्थित थे परन्तु राज्य सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र एफ. 9 (1) एफ. 1(1)बी। 79, दिनांक 22-5-79 के अनुसार नई भर्ती पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा देने के कारण किसी आशार्थी का चयन नहीं किया जा सका।

पाली जिले के सीलिंग के मामले

7. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के कई सीलिंग के मामले राज्य सरकार को री-ओपन करने हेतु प्रेषित किये गये थे ? यदि हां, तो उसमें से कितने मामले री-ओपन किये गये और कितने मामले री-ओपन नहीं किये गये? सूची सदन की मेज पर आसामी व गांव वार रखने की कृपा करें।

(2) अब ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं और उनका निर्णय कब कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) पाली जिले के कुल 555 सीलिंग प्रकरण राज्य सरकार को री-ओपन करने हेतु प्राप्त हुए जिसमें से 250 मामले री-ओपन किये गये एवं 20 मामले री-ओपन नहीं किये गये। सूची संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के पास 285 मामले विचाराधीन हैं और उनमें शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

महाविद्यालय, कोटा के छात्र पर हमला

8. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या कोटा में महाविद्यालय के छात्र श्री विजय नारायण सक्सेना (सह-सम्पादक, जागृति) को कुछ लोगों ने चाकू घोंप कर घायल कर दिया था ? क्या इसके पीछे समाचार-पत्र में प्रकाशित कुछ तथ्य थे ? यदि हां, तो क्या सरकार अपराधियों को गिरफ्तार कर सकी है तथा मुलजिम कौन-कौन हैं तथा किस धारा में केस दर्ज किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां, अपराध के कारणों के बारे में अभी अन्वेषण जारी हैं। अपराधियों के बारे में पतारसी जारी है। अभी किसी को ठोस प्रमाण के अभाव में गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

उदयपुर ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत अधूरे बड़े पुलियों/सड़क आदि के कार्य

10. श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र की कई पुलियां और बाई-पास बड़ी-बड़ी सड़कों के तथा नेशनल हाई-वे के कार्य अधूरे पड़े हैं जो कि कांग्रेस सरकार के समय चालू थे और जनता सरकार ने बन्द कर दिये ?

(श्रीमती श्यामा कुमारी सागर)

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर से वाया देबारी गेट-दबोक हवाई अड्डे पर जाने वाली सड़क, जहां देबारी का पुराना दरवाजा बना हुआ है वहां से कुछ सालों पहले एक बाई-पास देबारी दरवाजे के पास से निकाला गया, उसका काम अधूरा पड़ा हुआ है ? वह कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

(3) देबारी दरवाजे के पास जो बाई-पास पहाड़ काट कर बनाया जा रहा है उसमें कितनी रकम लग चुकी है और कितना पहाड़ कट चुका है ? अब कितनी रकम लगने पर वह काम पूरा हो सकता है ? काम बन्द करने के क्या कारण हैं ?

(4) गत 5 सालों में देबारी दरवाजे से कितने वाहनों ने टक्कर खाई और कितने लोग घायल हुए और मरे ?

(5) क्या यह सही है कि यह दरवाजा इतना छोटा और टेढ़ा है तथा वहां सड़क पर इतना उतार है जिसके कारण आये दिन टकराव वाहनों को वहां एक सिपाही पहरे पर खड़ा है फिर भी हो जाते हैं ?

(6) क्या सरकार अब भी शीघ्र इस देबारी बाई-पास को पूरा करावेगी ?

(7) क्या सरकार इसी प्रकार उदयपुर पुराने स्टेशन के पास आयड़ की नदी की पुलिया भी अधूरी पड़ी है ? उसको नक्शे के अनुसार पूरा करावेगी, उसका भी काम बीच में रुकवा कर अधूरा छुड़वाया है ?

(8) क्या सरकार इसी प्रकार उदयपुर के पास नाथद्वारा रोड पर भुवाणा गांव के पास आयड़ की पुलिया भी योजनानुसार अभी अधूरी है को पूरी करावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं और हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सड़कों का कार्य सीमित धन-राशि उपलब्धि के अनुसार कराया जा रहा है।

(2) यह सही है। बाई-पास का कार्य 1975-76 में शुरू किया गया था। अब यह धनाभाव के कारण अधूरा पड़ा है।

(3) बाई-पास बनाने में अब तक 50 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं तथा 2,000 घन मीटर पहाड़ जो करीब 1/8 भाग की कटाई का काम हो चुका है। अब लगभग 5 लाख रु. की और जरूरत है। वित्तीय प्रावधान न होने के कारण काम बन्द है।

(4) ऐसी रिपोर्ट इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(5) जी हां। सड़क में मोड़ व ढलाई में ट्रैफिक की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुये वहां सिपाही ट्रैफिक को कंट्रोल करता है।

(6) इस कार्य को पूरा होना धन-राशि उपलब्धि पर निर्भर करता है। अभी सीमित धनराशि को देखते हुये वर्तमान में इस बाई-पास की कार्य स्वीकृति नहीं है।

(7) जी नहीं। आयड़ नदी पर 25 फुट चौड़ा व 5-5 फुट (फुटपाथ सहित) के पुल का कार्य पूरा हो चुका है। इसकी

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
आगे चौड़ा करने का कार्य अभी विचाराधीन नहीं है।

(8) जी नहीं। पुल पूरा बना हुआ है। आगे ऐसी कोई योजना विचाराधीन या स्वीकृत नहीं है।

सूचना

श्री विज्ञान मोदी को रात्रि के समय अज्ञात टेलीफोन काल।

श्री विज्ञान मोदी (सुमेरपुर) : आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन, सर। आधी रात्रि को कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे अपहरण की कोशिश की....

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) : फिर यहां पर कैसे बैठे हैं...

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने खूबसूरत नहीं हैं आप।

श्री ग्योपतसिंह मकासर : इस सीरियस मामले को ऐसे नहीं लेना चाहिये। कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है।

(व्यवधान)

श्रीमती उमला कुमारी (कपासन) : अपहरण करने औरत आई थी या मर्द ?

श्री विज्ञान मोदी : कल रात्रि को 12 बज कर 25 मिनट के आसपास मेरे घर पर टेलीफोन आया...

श्री कौशल किशोर जैन : पहले इसका उत्तर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप व्यवस्था कीजिए। यह विधायक के अपहरण का महत्वपूर्ण मसला है, आप व्यवस्था कीजिए।

(व्यवधान)

श्री हरचन्दसिंह : या तो आप इनको रोकिये, वरना हम इस तरह से हाउस नहीं चलने देंगे...

श्री मूल मोहम्मद : आप × × × करते हैं......

श्री हरचन्दसिंह : एक ओर तो मेम्बरों का अपमान किया जाता है और दूसरी ओर ये × × × करते हैं।

(व्यवधान)

श्री विज्ञान मोदी : मेरे घर पर एक टेलीफोन आया। यह कहा कि महारावल साहब आपको बुला रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण (नदबई): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोदी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने उनको अनुमति दी है। पहले उनको कहने दें।

श्री विज्ञान मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं घटना का संक्षेप में जिक्र कर रहा हूं। कल रात को लगभग 12 बज कर 25 मिनट पर किन्हीं व्यक्तियों का टेलीफोन आया। टेलीफोन पर मुझे इत्तिला दी गई कि आपको महारावल साहब बुला रहे हैं।

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री विज्ञान मोदी) :
मैंने टेलीफोन करने वाले से पूछा कि कोई विशेष बात है। ऐसी क्या जरूरत है ? इतनी रातें गए कैसे याद किया है. . . .

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : मैं मुख्य मंत्री महोदय से कहता हूं कि आपकी इस टोली को रोकिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सदन में इस तरह की दादागिरी नहीं चलेगी। हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो हम भी नहीं सुनेंगे। हम इनकी बात सुनें यह हमारी बातें सुनें। इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी।

श्री अयूब खां (तिजारा) : केदारजी ने बुलाया था या महारावल साहब ने ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : . . . . ऐसा आपके साथ भी हो सकता है. . .

(व्यवधान)

श्री विज्ञान मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन पर यह कहा गया. . .

(व्यवधान)

आप सुनिये तो सही, पूरी बात तो सुनिये।

तो टेलीफोन पर मुझे यह कहा गया कि बहुत जरूरी काम है। टेलीफोन पर नहीं बता सकता हूं। आप कृपया महारावल साहब के घर, विधायकपुरी पहुंच जायें। मैं अपना स्कूटर लेकर पहुंचा। वहां पर जाकर महारावल साहब का दरवाजा खटखटाया। उनके चपरासी ने उठ कर दरवाजा खोला। मैंने पूछा कि महारावल साहब ने याद किया है इसलिए मैं आया हूं। चपरासी ने कहा कि साहब तो 11 बजे के आसपास सो गए यहां से किसी ने टेलीफोन नहीं किया। मैं असमंजस में पड़ गया कि इतनी रात गए टेलीफोन किसके द्वारा किया गया ? मैं नीचे उतर कर स्कूटर लेकर वापस रवाना हुआ। जब मैं नीचे आया तो मुझे लालचन्द जी मिले जो जीप में आए थे। माननीय लालचन्द जी, जो कि भादरा से आते हैं, ने भी यही बात कही कि मेरे यहां पर भी टेलीफोन आया। यह कहा कि लक्ष्मणसिंह जी ने बुलाया है। मैंने इनसे कहा कि मैंने चपरासी से बातचीत की है। चपरासी ने कहा कि किसी को नहीं बुलाया गया है। हम दोनों रवाना होने वाले थे। मैं स्कूटर लेकर सड़क पर आया और ये जीप में रवाना हुए तभी माननीय मेजर फतहसिंह श्री जिलर से वहां पहुंचे और. . . . .

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : आप इस तरह की घटना को मजाक में ले रहे हैं।

श्री विज्ञान मोदी : मेजर साहब ने कहा कि मुझे भी महारावल साहब का टेलीफोन मैसेज मिला। मुझे बुलाया है। मैंने इनको सारी स्थिति बता दी कि यहां से कोई टेलीफोन नहीं गया। मैं जाकर आया हूं। इस पर भादरा से आने वाले माननीय सदस्य और ये दोनों चले गए, मैं अपना स्कूटर लेकर रवाना हुआ। एक कार ने लगातार मेरा पीछा किया, मेरा रास्ता रोका और उसके बाद में रास्ता काट कर तेजी से आगे निकल गई। करीब डेढ़ किलोमीटर तक कार ने मेरा पीछा किया। मैं बड़ी मुश्किल से बड़ी परेशानी के साथ अपने घर तक पहुंच सका।

(व्यवधान)

(श्री विज्ञान मोदी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना की जांच करवाई जावे जिस तरह की पोजीशन चल रही है, अंधेरी रात में हमको आधी रात में बुलाया गया, अज्ञात लोगों ने हमारा अपहरण करने की कोशिश की। इसलिए हमारी सुरक्षा का बंदोबस्त किया जावे। सदन के हर सदस्य की सुरक्षा की व्यवस्था की जावे, यही मुझे कहना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं कह दूं। उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो, सुमेरपुर से तशरीफ लाते हैं, ने घटना बताई है कि रात के बारह बजे ...

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं, यह अपील करना चाहता हूं कि हंसी की बात को हंसी में उड़ाना चाहिये परन्तु गम्भीर बात को सुनना भी चाहिये।

मुझे खेद इस बात का है कि इस तरह की घटना सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य के साथ हुई, माननीय सदस्य फतहसिंह जी के साथ हुई। उनको टेलीफोन से इत्तिला दी गई, ऐसी ही इत्तिला माननीय सदस्य, लालचन्द जी को दी गई कि आप वहां पर पहुंचें। इसी प्रकार की सूचना करीब 12 बजे या 12 बजने में पांच मिनट पर मेरे घर पर दी गई थी.....

(व्यवधान)

श्री नूरा : हम भी आपके भाषण में इसी तरह का व्यवधान डालेंगे। आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आप इसको छिपाने के लिए यह कह रहे हैं। आप इस पर पर्दा डालना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नेता महोदय की हालत खस्ता है। खस्ता हालत में वे कैसे अपनी पार्टी को कन्ट्रोल कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, मैं तो इस घटना का जिक्र इस सदन में नहीं करना चाहता था, मगर जब सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे मननीय सदस्यों ने बताया कि उनके साथ ऐसी घटना घटी, तो मैंने भी इसका जिक्र करना मुनासिब समझा। मैं समझता हूं कि अगर यह घटना अपने आप में मजाक है तो ठीक है। सीरियस है तो बात गंभीर है। रात के 12 बजे किसी ने माननीय सदस्यों को टेलीफोन करके यह कहा कि तुम वहां पर पहुंचो। महारावल साहब के यहां, विधायक नगर में पहुंचने की इत्तिला मेरे घर आई। में रात को साढ़े बारह बजे घर पहुंचा तो मुझे यह सूचना दी गई कि महारावल साहब ने मुझे तुरन्त बुलाया है। मैंने उनके घर पर टेलीफोन लगाया। उसके बाद विधायक नगर में जो टेलीफोन लगा है उस पर मैंने टेलीफोन करके कहा कि महारावल साहब के प्राइवेट सैक्रेटरी को फोन करके पूछो कि इस वक्त उन्होंने मुझे किसलिये याद किया है?

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों ने यह पूछा कि रात के 12 बजे मैं कहां जाता हूं। भैरोंसिंह जी जहां जाते हैं, वहीं मैं भी जाता हूं। वे जानते हैं कि मैं कहां जाता हूं। इसलिए आपको यह पूछने की जरूरत नहीं है। आपके नेता महोदय जानते हैं।

(श्री मथुरादास माथुर)

यह जो घटना है इसको मजाक में लिया जाए, इसको लाइटली लिया जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, इस वक्त गवर्नमेन्ट के खिलाफ नो-कान्फीडेन्स मोशन पेन्डिग है, इस वक्त ऐसी घटना न हो। इस वक्त देश के अन्दर सियासी तनाव चल रहा है, इस मौके पर मुख्तलिफ पार्टी में और ज्यादा तनाव न हो। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं परन्तु इस मौके पर किसी माननीय सदस्य के साथ कोई दुर्घटना हुई तो उसकी जवाबदारी राज्य सरकार की होगी। ला एण्ड आर्डर की जवाबदारी राज्य सरकार की है। मैं रात को जाता भी तो साथ में पिस्तौल लेकर जाता। यह कहने में मुझे कोई डर नहीं है, मेरी मौत होगी तो साथ में उसकी भी मौत होगी। उसका प्रोटेक्शन होने वाला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनको लेजा कर कोई लाइबिलिटी मोल नहीं लेगा।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए मेरा निवेदन है कि मामले को गंभीरता से लिया जाए।

माननीय सदस्य रात को उठकर पहुंचे हैं। कोई स्कूटर पर पहुंचा है। किसी माननीय सदस्य ने मजाक में यह किया है तो वह कहे कि मैंने यह मजाक किया। अगर सीरियसली राजस्थान के राजनीतिक वातावरण में ऐसे कदम उठना शुरू हो गए तो इससे कई समस्याएं शुरू हो जाएंगी। आप अनुभवी हैं। आप यह समझें, आज इनके साथ हुआ तो कल यह घटना आपके साथ हो सकती है। इससे ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम क्रियेट हो जाएगी। इस ओर मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार इसके बारे में ध्यान देगी। इसकी जांच कराएगी और आगे ऐसी घटना न हो, इसका इन्तजाम करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये। सदन के नेता महोदय बोलना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है....

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : मान्यवर, कल रात्रि को करीब साढ़े बारह बजे की बात है, मैं सोया हुआ था, टेलीफोन आया। मैं दूसरे कमरे में गया। मुझे कहा गया कि महारावल साहब तत्काल मेरे से मिलना चाहते हैं। मैंने कुछ आनाकानी की और यह भी कहा कि अब रात्रि के साढ़े बारह बज रहे हैं, इस वक्त आने का साधन कैसे मिलेगा। फिर भी महारावल साहब का आदेश है और वे चाहते हैं तो मैं नहीं मिलूं, यह कैसे हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह मसला गंभीर है, इसको इसी तरह से लेने की कृपा करें। श्रीमन, मिर्जा इस्माइल रोड पर मैं आया। मेरा आवास 13-बी है, वहां से सौ, डेढ़ सौ गज चलने के बाद मुझे आटो रिक्शा मिला। उससे मैं पहुंचा। विधायक-नगर की सीमा में पहुंचा, जहां कि आटो रिक्शा अमूमन खड़े रहते हैं, वहां पर मुझे श्री विज्ञान मोदी स्कूटर पर आते हुए नजर आये। मैंने सोचा कि शायद नवरंगसिंह जी आ रहे हैं, मेरे पहुंचने में देरी हो गई, इसलिए वे स्कूटर से लेने आ रहे हैं। इतने में लालचन्द जी अपनी जीप में आये। उन्होंने कहा इतनी देर तक कहां घूम रहे हैं? मैंने बताया इस प्रकार का

(मेजर श्री फतहसिंह)

टेलीफोन आया था। उन्होंने कहा कि ठीक इसी प्रकार का टेलीफोन उनके पास आया है। उन्होंने दरयाफ्त किया तो मालूम हुआ कि महारावल साहब 11 बजे से ही आराम कर रहे थे। फिर भी हम लोग महारावल के निवास स्थान पर गये। कान्तिनाथ जी को जगाया। उन से मालूम किया कि कोई हम को टेलीफोन किया गया, तो उन्होंने इससे अनभिज्ञता जाहिर की। उसके बाद में विधायक नगर में जो टेलीफोन है, उसके आपरेटर के पास गया। वहां से हमको मालूम हुआ कि माननीय माथुर साहब को भी इसी प्रकार का टेलीफोन गया है। अभी हमको मालूम हुआ कि नवरंगसिंह जी की अनुपस्थिति में उनके घर पर भी टेलीफोन गया था। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वभाव से फतहसिंह गंभीर रहता है। इस बात को यहां मजाक में नहीं लेना चाहिये। मैं मुख्य मंत्री और गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार का माहौल देश में चल रहा है, हमारे प्रदेश में चल रहा है, उसको देखते हुए कोई अप्रिय घटना न हो जाए, उसके लिए राज्य सरकार कदम उठाये, यह उसका उत्तरदायित्व है। माथुर साहब ने कहा पिस्तौल लेकर जाते, मेरे पास जयपुर में तो पिस्तौल नहीं है, भीम में या ब्यावर में होगी। गांधी जी के इस युग में हम सब लोग समय-समय पर गांधी जी की दुहाई दें और पिस्तौल लेकर चलें, यह मेरे ख्याल में हमारे लिए उचित नहीं है। हमारी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए, मुख्य मंत्री जी, यह जो घटना हुई है इसको आप गंभीरता से लें। भविष्य में ऐसी घटना न हो, वरना इसके दुष्परिणाम न हों। इसको आप गंभीरता से सोचें। यह मेरा निवेदन है।

श्री मूलचन्द डागा: इसका मैं भी शिकार बना था।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा: यह बात का बतंगड़ नहीं है। हमारे प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या हमारी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है? रात के 12 बजे मेरी लड़की ने जगाया कि आपको फोन से महारावल साहब बुला रहे हैं। मैं अपने कमरे से बाहर आया। श्री नत्थी सिंह, एक्स एम. पी. नीचे रहते हैं। मैंने उन से पूछा कि इतनी रात को कहां घूम रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई करने जाता हूं इसलिए देर से आया हूं, परीक्षा दे रहा हूं। तो मैंने कहा कि महारावल साहब ने बुलाया है। यह कौनसा बुलाने का समय है उनके पास तो फोन भी नहीं है। मैंने कहा कि मैं इस समय नहीं आ सकता, मैं थका हुआ हूं। मैं सो रहा हूं। फिर भी तीन दफा फोन आया। बराबर 20 मिनट तक इस बात को परस्यू करते रहे...

श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर): यह सब इनके मस्तिष्क की उपज है।

मेजर श्री फतहसिंह: टीकमचन्द जी, आप सोचते हैं, फतहसिंह झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। एक मिनट में अपनी बात कह दूं।

माननीय विज्ञान मोदी और माथुर साहब ने जो बात बताई वह बात सही है।

(श्री ग्रवरंगसिह)
मैं जब अपने कार्यालय से गवर्नमेंट होस्टल आ गया था तब बारह, सवा बारह बजे मेरे यहां टैलीफोन आया कि महारावल साहब ने बुलाया है। गवर्नमेंट होस्टल में काम करने वाले लोगों ने उनसे बात की है, आप उनसे पूछ लीजिये। उन्होंने कहा कि आपके घर से टेलीफोन आया है कि महारावल साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा कि अभी नहीं जाऊंगा। मैं सो गया। तब फिर 4-5 लड़के आये तो गवर्नमेंट होस्टल में काम करने वाले कर्मचारी ने कहा कि वे तो सो गये। फिर मकान का कुण्डा खटखटा कर वे लोग चले गये। इसलिये, माननीय मुख्यमंत्री जी, यह गम्भीर मामला है। कोई भी घटना घट सकती है। अगर इन घटनाओं को गम्भीरता से न लिया तो इनके राजनैतिक परिणाम होंगे वह तो होंगे ही, बाकी राजस्थान में अराजकता का वातावरण फैल रहा है वह और बढ़ेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि सारी घटनाओं की आप जांच करवायें और जो लोग आर.एस.एस. के हैं या और कोई हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिस घटना का वर्णन किया है, मैं उसकी जांच के लिए जयपुर के डी. आई. जी. को नियुक्त कर देता हूं। वे माननीय सदस्यों से भी संपर्क करेंगे और इस बात का प्रयास करेंगे कि सारे मामले की असलियत मालूम हो जाय।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे साथ हुई घटना को भी सुन लीजिये। मेहरबानी करके मौका दें तो मैं बता दूं। माननीय मुख्य मंत्री जी, पहले तो आप मुझे धन्यवाद दीजिये कि आपको रेस्ट का मौका दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ जो रात को घटना घटी उसको वाकई बहुत लाइटली ले रहा था कि आम तौर से टेलीफोन आते ही रहते हैं। रात को 12-35 बजे मैं अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में तैयारी कर रहा था और एक के बाद एक काली करतूतें सरकार की सामने आ रही थीं। उस समय एक टेलीफोन मेरे पास आया। टेलीफोन की भाषा में आपको निवेदन करता हूं। उसने कहा "गुरु आ जाओ"। मैंने कहा-कहां आना है जवाब आया 'खासा कोठी आ जाओ।" मैंने कहा-क्यों ? तो जवाब आया, "ऐसा है डाक्टर साहब, आप और मैं तीनों मिलकर महारावल साहब के यहां चलेंगे"। मैंने कहा कौन बुला रहा है? तो कहा कि आने पर मालूम हो जायेगा। आप चाहें तो गाड़ी भेज दें। मैंने कहा कि मैं तो अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रहा हूं अभी तो नहीं आ सकता। तो कहा गया कि डाक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ी लेकर चले जाओ और ले आओ। इस तरह से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और पांच दफे घर से बाहर लाने की कोशिश करना किस-बात को इंगित करता है। किसी महिला विधायिका के साथ यह घटना नहीं घटी इसका कारण मैं समझता हूं यहां ज्यादा महिला विधायक नहीं हैं। इस तरह की वारदात अगर महिला के साथ घट जाय तो उपाध्यक्ष महोदय, जरा अन्दाज कीजिये कि क्या हालत हो ? इस बात को मजाक में न लिया जाय, मामले को गंभीरता से लिया जाय। यदि मेजर फतेहसिंह जी जैसे, मथुरादास जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के साथ इस तरह की हरकत हो सकती है, तो फिर लोकतंत्र में स्वतन्त्रता के साथ विचार

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

व्यक्त करने, सरकार का विरोध करने, सरकार का विरोध करने की बात कहने, प्रस्ताव को गिराने की कोशिश करने की सभी बातें इतिहास की बात रह जायेगी। एक खूनी राजनीति, जिसकी शुरूआत हो चुकी है, को अंतिम हद तक ले जाने में कामयाब होगी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं सदन के सदस्यों की हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार पर तो है ही, उनके हितों की रक्षा करना आपका भी कर्तव्य है, इसलिये सरकार को हिदायत दीजिये कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से चार्ज लगाऊंगा, उस पार्टी के लोग जानना चाहते थे कि इस रात को महारावल साहब के साथ कौन-कौन आदमी हैं। वे वहां मिलेंगे अगर महारावल के पास नहीं मिलेंगे तो। शायद आज तक ऐसी घटना नहीं हुई टेलीफोन करने वाला कोई बाहर का नागरिक नहीं हो सकता। कौन बाहर का नागरिक है राजस्थान में जो इस तरह से उनको मारना चाहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दांता जी, अब घटना का वर्णन हो चुका है।

श्री मदन सिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने किया है तो डी.आई. जी. के बाप को भी मालूम नहीं पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : आप चार्ज लगाते हैं तो सबूत दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में जानकारी दी है, उससे सम्बधिन्त सदन की प्रोसिडिंग्स की प्रतियां लेकर डी.आई. जी. को जांच के लिये नियुक्त करता हूं। वह स्वयं जांच करेंगे और माननीय सदस्यों से भी जो सूचना उनके पास है वह सूचना लेने का प्रयास करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं चाहे देश की राजनीति में किसी प्रकार की उथल-पुथल हो जाय, मैं आपको एक विश्वास देता हूं, मैं ऐसा समझता हूं, माननीय सदस्य, जो वर्षों से मेरे साथ हैं, जानते हैं कि मैं इस प्रकार की तुच्छ राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये तो रखते हैं।

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : मुख्य मंत्री जी वाणी से तो कह रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये लंगूर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था, यह राज आज है कल नहीं है। आज इधर बैठने वाले सत्ता में हैं, कल उधर बैठने वाले सत्ता में हो सकते हैं। यह लोकतंत्र है। यह विश्वास लेकर चलें कि इस प्रक्रिया में मैं विश्वास नहीं करता हूं और न करूंगा। आपको किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, आप मुझे कह दें, मैं वह करूंगा।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमें तो कहते हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको यह किसने कह दिया है, हाथ उठाने को।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : यह सुबह से शोर मचा रहे हैं।

(व्यवधान)

आप खुद को सुधार नहीं सकते हैं।

श्री नूरा : आप खुद बोल रहे हैं और ये लोग बीच में बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कहूंगा, जांच हो जाएगी। अगर आप समझते हैं, डी. आई. जी. से कुछ नहीं होने वाला है तो पुलिस विभाग के किसी भी अधिकारी का नाम बताइये मैं उसी को जांच के लिए नियुक्त करता हूं।

कई बार रात को दो ढ़ाई बजे बजरंग लाल जी के नाम से मुझे जगाया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : यह आप बात की गम्भीरता को कम कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय मुख्य मंत्री जी, उनके कथन को गम्भीरता से लें।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बजरंग लाल जी ही नहीं, मैं भी उनको रात को डेढ़ दो बजे टेलीफोन करता हूं। हम टेलीफोन करते हैं। कभी वह हम को गुरु कहते हैं, कभी हम उनको गुरु कहते हैं। यह बतायें कि टेलीफोन पर कौन सी राजनैतिक बात हो सकती है। एक बजे कभी उनका टेलीफोन आता है। कभी हमारा टेलीफोन जाता है। टेलीफोन पर क्या बात होती है, यह तो हम बतायेंगे नहीं।

(व्यवधान)

सरदार जी, आप इतने उतावले नहीं होइये। मेरी तो सुनें। आप दुश्मन मान कर चलते हैं इस कुर्सी के लिए नो-कोन्फीडेंस मोशन लाकर। अबकी मैं मथुरादास जी माथुर को राजनीति में घसीट कर लाऊंगा।

(व्यवधान)

मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। आप कुर्सी के लिए कितनी कार्यवाहियां कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी यह भी बता दें कि इसकी जांच रिपोर्ट इसी सत्र में आ जाएगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जितनी जल्दी होगी, आ जाएगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी गम्भीर घटना हो गई है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिन्ता तक व्यक्त नहीं की है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चिन्ता व्यक्त करने के लिए मैं कहता हूं, मैं बहुत ही चिंतित हूं।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : वह तो चेहरे से ही मालूम पड़ता है।

श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) : आपने अभी यह कहा है कि इधर बैठने वाले उधर आ सकते हैं और उधर बैठने वाले इधर आ सकते हैं। तो क्या मुख्य मंत्री महोदय दलबदल को प्रोत्साहन देते हैं?

श्री **उपाध्यक्ष** : इस घटना के बारे में मैं भी कुछ निवेदन कर दूं। इसको लेकर माननीय सदस्यों को कितनी चिन्ता है यह सदन की कार्यवाही से जाहिर होता है। जो सत्ता के विरोधी पक्ष के हैं उन्हीं को इसमें ज्यादा निशाना बनाया गया है। सदन के माननीय दस्यों के दिमाग में किसी प्रकार की चिन्ता नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है उसको बहुत ही गम्भीरता से लेना चाहिए। जो भी माननीय सदस्य घटना के बारे में जानकारी रखते हों जो जांच अधिकारी हों, उनको वह जानकारी देने का अविलम्ब प्रयास करें। मुझे यही कहना है।

श्री **लक्ष्मणसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मैं कहना तो नहीं चाहता हूं किन्तु इस सदन की परम्पराएं रही हैं। आज की कैसी राजनीति है उसको मैं व्यक्त नहीं करना चाहता हूं। उसका स्वागत है। लेकिन मेरे सामने एक विधायक महोदय, जो दारू के नशे में हैं, को अभी लाबी में ले गये। उनको दारू के नशे में बुलाया जा रहा है।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : आप उनका अभी मेडिकल कराइये।

श्री **मदनसिंह दांता** : You should send the Sergeant to enquire.

एक माननीय सदस्य : वह सदन से बाहर नहीं चले जायें। उनका मेडिकल कराइये।

(व्यवधान)

श्री **लक्ष्मणसिंह** : यह तो आजकल के जनतंत्र का अविभाज्य अंग हो गया है। पैसा देते हैं, रिश्वत देते हैं, यह सब करते हैं। सुखाड़िया जी भी यही करते थे। आप उनके उत्तराधिकारी हैं, आप भी वही करते हैं।

(व्यवधान)

श्री **खेतसिंह राठौड़** : नहीं, हमने नहीं किया, महारावल साहब। यह तो यही करते हैं।

श्री **लक्ष्मणसिंह**: मैं कोई विधायक महोदय से मिलना भी चाहूं तो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी बना दो कि जो मैं मिल भी न सकूं। कोई बात भी न कर सकूं। यह कितने निम्न स्तर की बात है। दारू में मस्त करके घटका में रखना चाहते हैं, मिलने नहीं देना चाहते हैं। अगर ऐसा आचरण राजनीति में सक्रिय रहता है तो यह भ्रष्टाचार है, सब कुछ है। कम से कम ऐसे व्यक्तियों को विधान सभा की सीमाओं में नहीं आने देना चाहिए।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय विरोधी दल के नेता ने गम्भीर आरोप लगाये हैं। माननीय सदस्य ने जिनका जिक्र किया है, मुझे पता नहीं है, कौन थे, कहां से आये हैं?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अभी-अभी पीछे से आये हैं।

(व्यवधान)

श्री **रामेश्वर दयाल यादव** : आपको खुद को पता नहीं है।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : यह पता लगा है कि वह बीमार थे। अभी अभी आये हैं।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : नेता महोदय बोल रहे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय अलदाराम जी आए हैं। मुझे यह बताया गया है कि वे बीमार हैं, बीमारी की हालत में आए हैं। यह बात निश्चित है कि आज विधान सभा अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। हमने व्हिप इश्यू किया है, आपने भी किया होगा। हम चाहते हैं कि सब लोग यहां उपस्थित रहें। एक बात मैं महारावल साहब से कहना चाहता हूं कि कौन-कौन से सदस्य हैं जिनको शराब पिलाकर बन्द रखा...

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : On a point of order Sir.

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि..

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से सूचना दी गई है वह सही नहीं है। माननीय अलदाराम जी और उनकी पत्नि पिछले दो महीने से बीमार हैं। उनको महारावल साहब 15 सालों से जानते हैं और उनकी आदतों से परिचित हैं। उसको राजनीतिक तूल नहीं देना चाहिये, मैं इसको गलत मानता हूं।

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : उनको बीमार किसने किया? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वे किस पार्टी के सदस्य हैं।

श्री हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले महीने की 5-6 तारीख को हमें पता लगा कि माननीय कैलाशजी मेघवाल के घर पर चार-पांच विधायक बन्द हैं। मैं और माननीय बजरंग लाल जी दोपहर को उनके घर गए। वहां पर तीन-चार आदमी थे। हमने उनसे कहा कि फलां-फलां आदमी कहां पर हैं? हम तो चाय पीने आये हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कब्जे में हैं, कहीं नहीं जा सकते। फिर कहा कि क्या पीओगे, चाय या शरबत? हमने कहा, आज तो शरबत ही पीयेंगे। माननीय बजरंग लाल जी बैठे हैं और माननीय विधायक भी यहां बैठे हैं जिनको बन्द रखा गया था। यह सत्य है, यह मेरा स्पेसिफिक चार्ज है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं, माननीय अलदारामजी आए हैं पहले ये कुछ बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: इनको बैठे-बैठे बोलने की इजाजत दी जाती है।

श्री अलदाराम (पिण्डवाड़ा आबू) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं महारावल साहब से अर्ज करूंगा, आप क्या-क्या रोज करते हैं? कौनसा सदस्य है जो दारू नहीं पीता है....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर जो घटनाएं हो रही हैं, अभी..

(व्यवधान)

श्री सूरज पाल सिंह (भीनमाल): आप सदन को क्या बनाना चाहते हैं ...

(व्यवधान)

(32)

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** (मंत्री, संसदीय कार्य): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि ये बीमार हैं, इनकी बात सुन लीजिये।

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : यह पहली दफा देखा है, मैं कल से यह अनुभव कर रहा हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी, जिनके बारे में मैं सोचता था बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, जबसे यह अविश्वास का प्रस्ताव आया है, सन्तुलन खो बैठे हैं.....

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: कभी नहीं।

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : और पुलिस का चरित्र दिखा रहे हैं जो इनका पुराना चरित्र रहा है। अभी बहुत संजीदा घटना का जिक्र हुआ उस घटना को बहुत लाइटली लिया गया, रात को विधायक का अपहरण हो रहा था, कहां उनको ले जा रहे थे, केदार जी के यहां या महारावल साहब के यहां? इस तरह से चरित्र हनन की बात हो, तो, आपकी क्या मंशा है? आप इस सदन को कहां ले जाना चाहते हैं? सदन की गरिमा कहां रहेगी? शराब नहीं पी तो कह सकते हैं कि शराब नहीं पी।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : माननीय सदस्य का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाय।

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : इस तरह से चरित्र हनन शुरू कर दिया तो उसी तरह का जवाब मिलेगा। मैं जानता हूं आर. एस. एस. के सूरमा कितने चरित्रवान हैं? इस सदन की गरिमा को कायम रखा जाय। इसको खत्म मत होने दीजिये।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अस्वस्थ हैं। मैंने अस्वस्थता की स्थिति में उनको हाउस में बुलाया है। अभी भी उनके हाथ-पैर धूज रहे हैं।

श्री **खेत सिंह राठौड़** : जाने दीजिये उनको, रेस्ट करवाइये।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : दो महीने की बीमारी से उठ कर आए हैं। मैं समझता हूं ऐसे माननीय सदस्य के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उसके स्थान पर आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं। उनके बारे में कोई बात कही गई तो मैं खेद प्रगट करता हूं। दुनिया शराब पीती है, इसमें कोई बात नहीं है।

एक बात डा. हरिसिंहजी ने कहीं, कैलाशजी मेघवाल के यहां विधायक बन्द हैं, मैं समझता हूं हर सदस्य को हिकारत की दृष्टि से देखना..

(व्यवधान)

श्री **अब्दुल अजीज** : विधान सभा को मयखाना मत बनने दीजिये।

श्री **मदनसिंह दांता** : इस विधान सभा के सदस्य महेन्द्रसिंह अजमेर वाले पीते थे, रोज पीते थे। अध्यक्ष ने कहा विरोधी दल के नेता ने कहा। आज माननीय सदस्यों पर इतना गुस्सा क्यों? ये बोलना चाहते हैं, आप सुनिये।

(व्यवधान)

You have got no right.

किसी ने उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया? ये चपरासी नहीं हैं, ये विधायक हैं।

श्री **हरिदेव जोशी** : यह सही है कि किसी माननीय सदस्य को सदन में बिठाकर इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। यदि वह बीमार हैं तो उनको मेहरबानी करके

(श्री हरिदेव जोशी)

भेज दें। Please send him.

श्री उपाध्यक्ष : वह स्पष्टीकरण करना चाहते थे तो उनको अधिकार है।

श्री हरिदेव जोशी : उनको जाने दें।

श्री मदनसिंह दांता : बैठे-बैठे शराब की बदबू आती। Don't save him. मैं चाहता था कि ये बोलें।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : यह दुर्भाग्य की स्थिति है, अच्छा है कि ये जायं।

श्री मदन सिंह दांता : उन्होंने आरोप लगाया है कि भैरोंसिंह जी उनको दारू पिलाकर लाए हैं। या तो वे खंडन करें या माफी मांगे। मैं जन जागरण दल का हूं। यहां गलत बयानी नहीं होने देंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय सदस्य ठाकुर मदन सिंह ने जो कहा मैं उसको स्वीकार करता हूं। यदि माननीय सदस्य यहां पर दारू पीकर नहीं आए हों तो मुझे हाथ जोड़कर माफी मांगने में शर्म नहीं आती, अगर इस तरह से नशा करके यहां कोई आता है तो ठीक नहीं है।

श्री कल्याण सिंह कालवी (कृषि मंत्री) : नशे वाली बात बिल्कुल गलत कही गई है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : किसी माननीय सदस्य को अपमानित किया जाए . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था देना चाहता था . . .

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष, विरोधी पक्ष की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, महारावल की ओर से वह बिल्कुल निराधार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने माफी मांग ली है। कृपया चर्चा समाप्त करें। स्थगन प्रस्तावों के बारे में व्यवस्था . . .

व्यवस्था का प्रश्न

अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के दिन स्थगन प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आज अविश्वास प्रस्ताव लिया जा रहा है। आज तक की परम्परा रही है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर डिस्कशन हो उस दिन किसी प्रकार के स्थगन प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा इत्यादि नहीं लिए जाते। इस सदन में मैं पिछले 20 साल से बैठा हूं। कई बार हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा है। आज तक कोई भी रिकार्ड में बता दें। अविश्वास प्रस्ताव पर जिस समय चर्चा होती है तब स्थगन प्रस्तावों पर कोई चर्चा होती है। यही नहीं, वे एडमिट ही नहीं किए जाते क्योंकि जिस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं उससे कौनसा कार्य कराने के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कराना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। हाल ही में लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव रखा था, तब प्रश्न काल भी डिस्पेन्स विथ कर दिया। यहां तो क्वेश्चन आवर भी चल रहा है मैं विरोधी दल और दूसरे माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस परम्परा को बनाये रखें।

कई माननीय सदस्य : ठीक है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई विचार व्यक्त नहीं करेंगे, सिर्फ व्यवस्था दे दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए ।

श्री दाताराम : हम आदिवासी विधायकों पर लांछन लगाया जाता है, यह गलत तरीका है....

(व्यवधान)

कि हम दारू पीते हैं । हमको जनता ने चुन कर भेजा है, हममें से कोई दारू पीने वाला नहीं है । विरोधी पक्ष के सदस्य अपने आपको क्या समझते हैं ? गलत आरोप लगाते हैं ।

(व्यवधान)

हाउस के अंदर आप असली बात करें। इस तरह से झूठे आरोप लगाना ठीक नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए । मैं स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देना चाहता था ।

मुख्य मंत्री ने अभी स्थगन प्रस्तावों के बारे में परम्परा का जिक्र किया उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अविश्वास प्रस्ताव पर आज का दिन चर्चा के लिए नियत किया गया है। सामान्यतः यही परम्परा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा हो स्थगन प्रस्ताव तब नहीं लिए जाते । आज इसी कन्वेन्शन के मुताबिक कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूं।

सदन की मेज पर रखे गए पत्र

(व्यवधान)

अधिनियम का परिशोधित हिन्दी पाठ

श्री चिरंजीलाल सिंघवी (विधि मंत्री) : मैं राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबंध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1961 का परिशोधित हिन्दी पाठ सदन की मेज पर रखता हूं ।

अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के दिन स्थगन प्रस्ताव

श्री बजरंगलाल शर्मा : अभी मुख्य मंत्री ने कहा कि लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जो बहस हुई तब दूसरा कोई कार्य नहीं किया गया। यदि उनके निवेदन को स्वीकार किया जाए, लोक सभा के उदाहरण को स्वीकार किया जाय, तो उसके दो पहलू हैं । एक तो दूसरे काम काज नहीं होंगे । कौनसा काम स्थगित कराना चाहते हैं ? अविश्वास प्रस्ताव का ? दूसरे, ठीक लोक सभा में जैसा हुआ वैसा ही करने का वायदा करें, मोरारजी भाई की तरह त्याग-पत्र दें तब तो हम मानेंगे । लोक सभा की व्यवस्था....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे त्याग-पत्र देने से पहले-पहले अपन दोनों एक ही जगह हो जायेंगे ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं ठाकुर भैरोंसिंह शेखावत का विरोधी दल के सदस्य के रूप में स्वागत करता हूं ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

श्री उपाध्यक्ष : श्री विरदमल सिंघवी।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय कार्य): रख दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतराम ।

(व्यवधान)

अधिसूचना

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : मैं निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या प. 1 (10) (24) गृह-5/76, दिनांक 10 सितम्बर, 1979।

(2) अधिसूचना संख्या प. 10 (4) गृह-5/74, दिनांक 9 अप्रेल, 1979 ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, मुख्य मंत्री ने इस बात को माना है कि दूसरा बिजनेस नहीं होना चाहिए। जब यह माना है, उनका प्रस्ताव है, तो नया कार्य नहीं होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, रामेश्वर दयाल जी, आप बिराजिये। आप स्वयं इसका अध्ययन कीजिये । उन्होंने काल अटैन्शन मोशन और एडजोर्नमेन्ट मोशन के बारे में कहा है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का तो स्वयं मुख्य मन्त्रीजी स्पष्टीकरण करें कि उनकी मन्शा एडजोर्नमेन्ट मोशन के बारे में क्या है ? जब वे स्वयं ही कह रहे हैं कि अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस हो तब सदन की दूसरी कार्यवाही नहीं चलनी चाहिये सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव पर ही बहस होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। श्री दिग्विजय सिंह ।

श्री दिग्विजय सिंह (पंचायत मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 89 (3) के अन्तर्गत सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 4 एल. जे./पी. टी. एस. ए. आर./(12) 77/198, दिनांक 24 अगस्त, 1979 सदन की मेज पर रखता हूं ।

समिति का प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन ।

श्री मनोहर सिंह मेहता ।

याचिका समिति का दूसरा प्रतिवेदन

श्री मनोहर सिंह मेहता (सभापति, याचिका समिति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति, 1979-80 के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मेजर फतेह सिंह ।

अधिनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन ।

मेजर श्री फतेहसिंह (सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

(मेजर श्री फतहसिंह)

यह प्रतिवेदन जब सदन सत्र में नहीं था, श्री अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था तथा प्रक्रिया के नियम 205 के अधीन श्री अध्यक्ष द्वारा इसके मुद्रण, प्रकाशन तथा परिचालन के आदेश दिये गये थे।

अध्यक्ष का निर्वाचन

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष का निर्वाचन।

श्री हरजी राम बुरडक, सदस्य विधान सभा (विभाजन संख्या 187) प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में विरोधी दल के नेता उपस्थित हैं, साथ ही भूतपूर्व सरकार के मुख्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्री और राजस्व मन्त्री जी उपस्थित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा यह रही है कि अध्यक्ष का चुनाव हमेशा निर्विरोध होता आया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में मैं भी विरोधी पक्ष में पिछले बीस वर्षों तक रहा हूं, आज तक अध्यक्ष का चुनाव इसी प्रक्रिया से होता आया है। अध्यक्ष का चुनाव हमेशा निर्विरोध रूप से होता रहा है। अध्यक्ष के निर्वाचन के पहले हमेशा सलाह मशविरा किया जाता है और निर्विरोध रूप से अध्यक्ष को चुना जाता है। यह सारी बातें इसलिये होती थीं उपाध्यक्ष महोदय, जो अध्यक्ष सदन का होता है वह सभी दलों के विश्वास से होता है। इसलिये दोनों पक्ष के कानसेन्शस से अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध रूप से होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी परम्परा इस सदन की रही है कि अध्यक्ष बनने के बाद वह माननीय सदस्य चाहे किसी भी पार्टी का सदस्य हो, वह उस राजनैतिक दल से अपना संबंध विच्छेद कर देता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1967 में जब कि कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियों में बहुत ही कम मार्जिन था उस समय भी सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष ने मिल कर निर्विरोध रूप से अध्यक्ष का चुनाव किया था। उपाध्यक्ष महोदय, सदन की जो परम्परा रही है उसको बनाये रखा जाय। जो पिछले 25 वर्षों से इस सदन की परम्परा रही है उसे किसी भी प्रकार से नहीं तोड़ा जाय। अगर विरोधी पक्ष के सदस्यों से बात करने में कोई विलम्ब अध्यक्ष के निर्विरोध चुनाव के लिये हुआ है सत्ता पक्ष से, तो उसके लिये मैं सदन से खेद प्रकट करने को तैयार हूं। मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष का निर्वाचन अगर निर्विरोध रूप से होता है तो यह सदन की परम्परा के अनुरूप होगा।

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी पक्ष के नेता, श्री लक्ष्मण सिंह।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह बड़ा नाजुक मसला है। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, मेरा अनुभव है कि सत्ता पक्ष ने इस बारे में कभी भी विरोधी पक्ष से चर्चा इस सदन में नहीं की। जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात का संबंध है, मुख्य मन्त्री जी मेरे विचारों से अवगत हैं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का चुनाव कान्सेंशस से होना चाहिये निर्विरोध रूप से। मैं खुद इस राय का हूं कि अध्यक्ष का चुनाव कान्सेशन्स से होना चाहिये, निर्विरोध रूप से होना चाहिये। सदन का अध्यक्ष निर्विरोध रूप से चुना जाना

(श्री लक्ष्मणसिंह)

चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह सदन की परम्परा भी रही है, अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हुआ है। इस सदन की परम्परा और बहुमत की दृष्टि से मेरी व्यक्तिगत राय है इस सदन का अध्यक्ष निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो तो अच्छी बात है।

अगर मुख्य मन्त्री जी यह समझते हैं कि उनका प्रत्याशी एक सामन्त है, सामन्तवादी है और विरोधी दल का प्रत्याशी एक हरिजन है तो शायद प्रगतिशील विचार धारा वाले मुख्य मन्त्रीजी को इसमें थोड़ी बाधा हो सकती है। इस प्रश्न की गम्भीरता के पचड़े में नहीं पड़ते हुए मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जो दूसरे साथी हैं, श्री परसराम मदेरणा "कांग्रेस (आई)" के नेता महोदय व माथुर साहब "कांग्रेस यू)" के नेता महोदय इस संबंध में अपने विचार इस सदन में व्यक्त करें। इसके साथ-साथ मैं यह भी चाहूंगा कि सी. पी. एम. के नेता महोदय व सी. पी. आई. के नेता महोदय भी अपने विचार से इस सदन को अवगत इस संबंध में करावें तो उचित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कान्सेंशस अगर 24 घण्टे पहले होता तो अच्छा होता है, उस वक्त कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर वह नहीं हुआ तो भी कान्सेन्शस सदन के अन्दर हो जाय तो भी उचित है। जनतन्त्र में कभी-कभी तो एक मत का एक मत होता है और कभी-कभी एक मत के हजार मत होते हैं। तो इस स्पोर्ट्समैन स्प्रिट से लेना चाहिये, कौन हारा और कौन जीता की बात नहीं। आप अगर यह सोचते हैं कि आपने जो केन्डीडेट खड़ा किया है वह सामन्तवादी है और विरोधी पक्ष का केन्डीडेट हरिजन है तो अब तो सामन्तवाद कहां रहा? अब तो जागीरें भी चली गयीं, राज्य तो उसके पहले ही सामन्तों के चले गये।

श्री नारायणसिंह (डिग्गी): आन ए पांइन्ट ऑफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री श्योपतसिंह मकासर: आप तो खुद ही पाइन्ट आफ आर्डर हो।

श्री मूलचन्द डागा: आपके आन ए पाइन्ट आफ आर्डर का क्या हुआ?

श्री रघुनाथ विश्नोई: बोलिये बोलिये।

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य, विरोधी पक्ष के नेता बोल रहे हैं तो पाइन्ट आफ आर्डर का प्रश्न उठाने की नयी परम्परा डाल रहे हो क्या?

श्री मदन सिंह दांता: इन्होंने नहीं बोल कर परम्परा को निभा दिया है। इन्होंने पुरानी परम्परा को निभाया है, एक महाराजा बोल रहा है तो जागीरदार दब कर बैठ गया।

श्री उपाध्यक्ष: विरोधी पक्ष के नेता महोदय, अपना भाषण जारी रखें।

श्री लक्ष्मणसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि पाइन्ट आफ आर्डर रेज हुआ, मैं बैठ गया। इस सदन की परम्परा यह रही है कि पाइन्ट आफ आर्डर कोई रेज करता है तो सामान्यतया बोलने वाला माननीय सदस्य बैठ जाता है। इसलिये मैं भी बैठ गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और यह कहता हूं कि

(श्री लक्ष्मणसिंह)
अगर कान्सेन्शस का उत्तर हां हो तो फिर क्या है लड़ लिया जाय ।

श्री रामसिंह विश्नोई: आई, हिम्मत आई

श्री परसराम मदेरणा: माननीय उपाध्यक्ष जी, यह निर्विवाद सत्य है कि इस सदन के अन्दर पूर्व में परम्पराओं के अनुसार हमेशा गरिमामय अध्यक्ष महोदय का चुनाव सर्व सम्मति से हुआ है, लेकिन इस मर्तबा सदन के नेता महोदय ने समय के अन्दर हमसे कन्सल्टेशन नहीं किया। पूर्व में षष्टम् विधान सभा के गठन के बाद जुलाई, 77 में मुख्य मंत्री जी ने अध्यक्ष के चुनाव के लिए हमसे कन्सल्टेशन किया था। हम इस इन्तजार में थे कि मुख्य मंत्री जी हमसे कन्सल्ट करेंगे। आया वह कार्यक्रमों में व्यस्त रहे, दौरों में रहे लेकिन 23 तारीख को रात्रि के 9 बजे तक जब मुख्य मंत्री जी की ओर से कोई प्रस्ताव हमारे सम्मुख नहीं आया और विधान सभा सचिवालय से जो बिजनेस सरक्युलेट हुआ उसमें 25 तारीख चुनाव के लिये मुकर्रर कर दी गयी तो 24 तारीख की रात को लगभग 10 बजे के आसपास पार्टी के विभिन्न नेताओं ने बैठ कर यह निर्णय लिया कि सत्तारुढ़ पार्टी का पूर्व परम्परा को निभाने के लिए विपक्ष के नेताओं को और सदस्यों को कान्फीडेन्स में लेने का इरादा नहीं दिखता है। इसलिए चुनाव के लिये अपने को दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करना पड़ेगा।

मुख्य मंत्री जी मानेंगे, मैं समझता हूं कि इस सदन की जो परम्पराएं हैं अगर आप चाहते है कि उन परम्पराओं के अनुरूप कार्यवाही हो और अध्यक्ष का चुनाव पूर्व परम्पराओं के अनुसार हो तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता से निवेदन करूंगा कि आज के चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाये और कान्सेंशस इन्वाल्व करके या कन्सल्टेशन करें, नये सिरे से बातचीत हो जाये उसके बाद हम परम्पराओं को कायम रख सकेंगे। इसके लिए हम भी तैयार हैं। हम उसके अन्दर सहयोग देंगे। लेकिन आज चुनाव होने जा रहा है, आप मोशन काल कर रहे हैं अतः यह समय नहीं कि अब कन्सल्टेशन किया जा सके। अब कन्सल्टेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी सदन बैठा है और सदन सैशन में है। तो कन्सल्टेशन तभी हो सकता है और कान्सेन्शस तभी इन्वाल्व हो सकती है जब कि चुनाव को पोस्टपोन कराया जाय।

श्री मथुरादास माथुर: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सदन का ध्यान परम्पराओं की ओर आकर्षित किया है उसके लिए तो हम आभार प्रकट करते हैं, पहले भी और हमेशा विरोधी दल के नेताओं से.....

श्री भैरोंसिह शेखावत: आज तक भी नहीं हुआ।

श्री मथुरादास माथुर: मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि पहले नहीं हुआ। शायद मुख्य मंत्री जी पहले विरोधी दल के नेता नहीं थे..

श्री भैरोंसिह शेखावत: विरोधी दल का नेता हाउस में था ही नहीं।

श्री मथुरादास माथुर: था। 52 में भी था और 57 में भी था। जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट रखती थी उसके नेता को विरोधी दल का नेता मानते थे और उससे बात होती थी। मुख्य मंत्री जी ग्रुप के लीडर थे। यहां तक कि जब यह विधान सभा चालू हुई तब इन्होंने खुद ने उस परम्परा को निभाया और आज जो विरोधी दल के नेता हैं वह अध्यक्ष चुने गये थे। अभी मदेरणा जी ने जो चर्चा की, मैं भी उसको सही मानता हूं। मैं वैसे

(श्री मथुरादास माथुर)
किसी बात को ओलम्बा नहीं देता ।

अब प्रश्न यह रह जाता है कि इस समय क्या किया जाये ? आप मोशन को काल करने के लिए तैयार बैठें हैं और हम लोगों ने सभी मुख्तलिफ पार्टी ने एक निर्णय ले लिया है। आपने अपोजीशन पार्टी के लीडर को कन्सल्ट किये बगैर जो निर्णय ले लिया है, हमारी अपील है कि उसके ऊपर पुर्नविचार करके इसको निपटायें, हां में कहें या ना में कहें। कान्सेंशस के लिए यह जरूरी नहीं है कि सरकार की तरफ से नाम आये उसी को मान लें। अगर ऐसा है तो हम भी कहते हैं कि हमारे द्वारा रखे गये नाम को भी मान लें। या दो नाम हैं उनके बजाय तीसरे के नाम पर एग्री हो जायें। यह सब बातें चर्चा की हैं। या तो जैसा श्री मदेरणा जी ने कहा कि इसकी तारीख को आगे लिया जाये, यह सुझाव ठीक हो सकता है या फिर हाउस एक घंटे के लिए एडजोर्न कर दिया जाये और इसके ऊपर कान्सेन्शस हो जाये ।. . .

कुछ माननीय सदस्य : यह ठीक नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : यह दो प्रस्ताव हो सकते हैं। हम लोग चुनाव स्थगित कराने में इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं। अभी 1।। घंटा बैठ कर बात कर लें। एक घंटे के लिए हाउस को एडजोर्न कर लें। अगर एग्री करते हैं तो कान्सेन्शस को डवलप कर लें। अभी खड़े खड़े तो हमारा कमिटमेंट नहीं हो सकता। हमारी मजबूरी है।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पार्टी तय कर ले। पार्टी के तय करने से वोट मिल जायेंगे। वोटर्स से क्या कन्सल्टेशन हो रहा है। एक बात बताना चाहता हूं, विन जनजागरण प्रजातंत्र षड़यंत्र है। आपके दोनों के मन में षड़यंत्र है कि आपने कहा इधर सामन्त खड़े हुए हैं और आप जानते हैं इधर अल्पमत है। यह क्या बात है ? ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि हम बार-बार जातिवाद को सामने लायें। चुनाव हो तो हो। मैं ऐसा समझता हूं कि आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं। हो जाने दीजिए। चुनाव। वोट हो जाये

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का विरोधी दल के माननीय नेता ने विचार प्रकट किया है उसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि चुनाव हो जाये।

श्री स्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा। आपने निर्विरोध चुनाव कराने की बात कही थी वह फर्जी थी। पंचों का कहना सिर माथे पर नाला तो यहीं गिरेगा। या तो आप मगरूर हैं या परम्पराओं की बातें करते हैं, ढोंग करते हैं। निर्विरोध चुनाव कराने के लिए आपको कमसे कम विधान सभा के सदस्यों के साथ बातचीत करनी चाहिए थी और इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए था। मुख्य मंत्री जी, परम्परा बिहार में बनी हैं जहां मुख्य मंत्री हरिजन बनाया गया है। हम भी हरिजन को अध्यक्ष बना कर उस परम्परा को आगे बढ़ायें तो क्या आपकी परम्परा बिगड़ जायेगी। आप उस परम्परा को क्यों नहीं निभा रहे हैं? विरोधी पक्ष ने तो बहुत अच्छे उम्मीदवार का नाम दिया है। हरिजन है, बहुत एक्सपीरियेन्स्ड हैं, नान-कन्ट्रोवर्शल हैं। मैं कह सकता हूं कि नान-कन्ट्रोवर्शल हैं। अगर केन्डीडेट के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से तो विपक्ष का उम्मीदवार ही योग्यतम है।

श्री **नूरा** : उपाध्यक्ष जी, जिस परम्परा को लेकर हम चल रहे हैं, और परम्पराओं के अनुसार अध्यक्ष के चुनाव के लिए कह रहे हैं मैं उस बात को मानता हूं लेकिन अब तक इस मामले में कोई चर्चा नहीं की गई। चर्चा नहीं करके अब यह कहना केवल ढोंग मात्र है। अगर तहेदिल से चाहते हैं कि चुनाव निर्विरोध हो तो आपको बैठ कर उसका अच्छा रास्ता निकालकर चुनाव कराना चाहिए था। वैसे जैसा माननीय मदेरणा जी ने कहा है आज इस चुनाव को पोस्टपोन कर दें। आगे रख कर तय कर लें। इस बात से हम सहमत हैं। निर्विरोध चुनाव कराने की नियत है तो पोस्टपोन कर दें नहीं तो जो होगा वही होगा।

श्री **मदनसिंह दांता** . सदन के नेता ने अपील की थी कि निर्विवाद चुनाव हों।

श्री **नवनीत पालीवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सदन के माननीय नेता ने कहा कि अध्यक्ष का चुनाव निर्विवाद हो और प्रतिपक्ष की तरफ से सहयोग चाहा। यह तत्काल नहीं किया जा सकता है। अभी एक घंटे के लिये हाउस एडजोर्न कर दिया जाये। मुख्य मंत्रीजी इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रयत्न करके बातचीत कीजिए, कोई न कोई रास्ता निकल जायेगा।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय मुख्य मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : चुनाव हो जायें।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय बजरंगलाल जी, इस चर्चा से अब कोई लाभ नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने संकेत दे दिया है।

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : एक मिनिट से ज्यादा निवेदन नहीं करूंगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी का एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। कान्सेन्शस का सवाल कहां होता है जनता पार्टी टूट गई, सारे तीन-तेरह हो गये थे। राष्ट्रपति का चुनाव कान्सेंशस से हो गया। एक केन्डीडेट मंजूर नहीं हुआ तो दूसरा किया गया। कान्सेंशस से केन्डीडेट अध्यक्ष पद पर आसीन हो, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी सदन के नेता महोदय पर है। रास्ता खुला है, बन्द नहीं है। उनकी अपील का स्वागत किया गया है। कान्सेंशस के लिये रास्ता खुला है। बैठ कर बात करें। शायद कोई अन्य केन्डीडेट निकल आये।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय मुख्य मंत्री जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे ?

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : जी नहीं।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री हरजी राम बुरड़क।

श्री **हरजीराम बुरड़क** : मैं प्रस्ताव पेश नहीं करना चाहता।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री मंजूर अली जी सहमति प्रकट करते हैं।

श्री **मंजूर अली** : जी।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री काशीनाथ गुप्त।

प्रस्ताव

श्री ओंकार लाल चौहान को अध्यक्ष निर्वाचित करने संबंधी प्रस्ताव।

श्री **काशीनाथ** गुप्त (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष

(श्री काशीनाथ गुप्त)

महोदय, मैं निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:—

श्री ओंकारलाल, सदस्य, विधान सभा (वि.सं. 17) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : श्री ओंकार लाल जी के अध्यक्ष पद के चुनाव के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब इस प्रस्ताव पर मतदान कराया जायेगा।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये गुप्त मतदान

श्री विज्ञान मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह चुनाव का मामला है। लोकतंत्र के अन्दर हर व्यक्ति, जो चुनाव में अपना वोट देता है को उसे गुप्त रखने का अधिकार है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस चुनाव में गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाये।

श्री नवनीत पालीवाल : मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यू.पी. के अन्दर जब अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया था यह मांग रखी गई थी कि गुप्त मतदान कराया जाये। वह मांग स्वीकार की गई थी। आज की व्यवस्था को देखते हुए माननीय मोदी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। गुप्त मतदान करायें तो उचित होगा।

श्री विज्ञान मोदी : यह अध्यक्ष के चुनाव का सवाल है, गुप्त मतदान का अधिकार मिलना चाहिये।

श्री नवरंग सिंह : मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज अराजकता की स्थिति है। अगर ओपन वोटिंग कराया गया तो उसके जो परिणाम निकलेंगे उनको भुगतना पड़ेगा।

श्री विज्ञान मोदी : अध्यक्ष पद का चुनाव गुप्त मतदान से कराइये।

श्री हरचन्द सिंह : यह पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट के प्रावीजन्स के खिलाफ होगा अगर किसी व्यक्ति को मालूम हो कि किसका वोट किधर गया है। इसको कन्सीडर करें और गुप्त मतदान करायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान रूल 7(4) की ओर दिलाना चाहूंगा। उसमें साफ लिखा है:—

"The motions which has been moved and duly seconded shall be put one by one in the order in which they have been moved and decided, if necessary by division. If any motion is carried, the person presiding shall, without putting later motions, declare that the member proposed in the motion which has been carried, has been chosen as the Speaker of the Assembly."

इसमें कोई सीक्रेट बैलट का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : गुप्त वोटिंग का प्रोवीजन नहीं है इसलिए ही तो हम निवेदन कर रहे हैं। इस बारे में नियमों में उल्लेख नहीं है।

(42)

नियम का निलम्बन
नियम स. 75 का निलम्बन

श्री **मूलचन्द डागा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आज का वातावरण है, जो अराजकता चल रही है उसके अन्दर मैंने रूल 306 के अन्दर मोशन पेश किया है, उसके अन्दर मैंने प्रस्ताव किया है कि रूल (74) को सस्पैन्ड करदें। मैंने कारण बताये हैं कि आजकल की राजनीति दवाव की राजनीति है। दवाव की राजनीति तानाशाही की होती है। जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है उसमें अगर अध्यक्ष का चुनाव बाई बैलट हो जाता है तो माननीय सदस्यों और स्पीकर के बीच तनाव पैदा नहीं होगा, मनमुटाव नहीं होगा और आने वाले समय में हम सदन को अच्छी तरह चला सकेंगे। चुनाव से वातावरण दूषित हो जायेगा। जो अध्यक्ष पद पर आसीन होगा, उसको मालूम होगा मुझे किसने वोट नहीं दिया। आखिर मनुष्य का स्वभाव है उसमें प्रतिक्रिया पैदा होगी। इसलिये मैं अपील करूंगा कि रूल 306 के अन्दर जो मोशन मूव किया है मेहरबानी करके उसको सस्पैन्ड कर दिया जाय और बाई बैलट वोट करा दिया जाये। कोई भी अध्यक्ष हो जाता है वह किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहता। वह अध्यक्ष बिना दल का हो जाता है। माननीय नेता महोदय को माननीय उपाध्यक्ष महोदय की मार्फत कहना चाहता हूं, इन्साफ के लिये, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिये और नये मूल्यों की स्थापना करने के लिये इस नियम को सस्पैंड करने में मदद दें। बाई बैलट अध्यक्ष चुनों जाय तो मैं समझता हूं अच्छा, स्वस्थ वातावरण और परम्परा बनेगी और आपकी सराहना होगी।

श्री **मदनसिंह दांता** : आन ए पान्इट ऑफ इन्फार्मेशन।

अध्यक्ष महोदय, यहां की परम्परा हमेशा यह रही है बिना विरोध के आजतक सभी अध्यक्ष चुने गये हैं। वह परम्परा तो गई। अब इसका मतलब यह है कि हम कम हैं, उन्हीं में से अध्यक्ष होगा, चाहे दबाव समझिये, कुछ भी समझिये। अपन आशा यह करते हैं कम होते हुए कि जो इधर के सदस्य, उधर के सदस्य चुप-चुप कहते होंगे, दबाव है, व्हिप है, हालांकि व्हिप भी सदन में एक कानूनी चीज है, वह चुपके से वोट डाल जायेंगे। यह भ्रष्टाचार नहीं है....

(व्यवधान)

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : आप तो जनता के खिलाफ बोल रहे हो।

श्री **मदन सिंह दांता** : उपाध्यक्ष महोदय, ये अपने अपने ख्याल हैं। अगर मेरे पर दबाव डाल रहे हो तो मैं तो गोपाल सिंह को वोट दूंगा। अब बोल लें, आप।

श्री **लक्ष्मण सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन में विचारार्थ है उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। यदि सम्भव हो तो कम से कम एक घंटे के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय। आम चुनावों के बाद राज्यपाल महोदय के द्वारा समय और तारीख निर्धारित होती है लेकिन आज के दिन बातचीत करने के बाद चुनाव यदि अनिवार्य हो तो हो जाय। मैं समझता हूं माननीय मदेरणा साहब की भी यही राय है। मुख्य मंत्री जी ठीक समझें तो एक घंटे के लिये सदन को स्थगित कर दिया जाय और इसके लिये बात चीत कर ली जाय।

श्री **मथुरा दास माथुर** : मैंने पहले ही कह दिया, अगर नहीं मानते हैं, उनकी पार्टी तैयार नहीं है तो ठीक है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रस्ताव का समर्थन भी हो चुका है, अब यह बीच-बीच में क्या है?

श्री शंकर लाल : माननीय डागा जी ने जो प्रस्ताव रखा है नियम 306 में कि किसी नियम का निलम्बन हाउस चाहे तो कर सकता है और वह भी बहुमत से होगा। नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि सीक्रेट बैलट न कराया जाय तो नियम 307 के लिये लागू होगा। 307 के अन्दर अध्यक्ष महोदय को पावर्स हैं, मेजोरिटी से नहीं है, आपके विवेक पर है। मैं पढ़कर सुना देता हूं—

"ऐसे सब विषय जिनका इन नियमों में विशिष्ट रूप से उपबन्ध न किया गया हो और इन नियमों की विस्तृत क्रियान्विति से संबंधित सब प्रश्न ऐसी रीति से विनियमित किये जायेंगे जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश दे।"

यह कहीं नहीं लिखा है कि सीक्रेट बैलट से नहीं होगा, ओपन होगा। जो मौजूदा हालात हैं उनको और आज के वातावरण को देखते हुए जब कि रात को टेलीफोन आते हैं, दबाव आते हैं, लोग लड़खड़ा कर आते हैं, आप चाहते हैं कि विधान सभा के सदस्य अपनी इच्छानुसार अपना वोट दें तो मैं समझता हूं यह उनका अधिकार है, आप गुप्त मतदान से करायें। मुझे बतायें इसमें किसी का क्या नुकसान होने वाला है। इसलिये गुप्त मतदान होने दीजिये। आपको क्या डर है? गुप्त मतदान कराने के लिये नियम 307 में दिये अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नियम 307 लागू ही नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने रूल 307 का हवाला दिया है, उसी सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यदि रूल 308 को भी पढ़ लें तो क्लियर हो जायगा—

"*Interpretation and removal of difficulties.* If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules the decision of the Speaker shall be final."

इसलिये रूल 308 बिलकुल क्लियर है, रूल 307 के बाद में।

श्री उपाध्यक्ष: कहीं कोई सन्देह नहीं है।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है इस सदन में ऐसे कई माननीय सदस्य हैं जो न इधर के लोगों को नाराज करना चाहते हैं और न उधर के लोगों को नाराज करना चाहते हैं। इसलिये हमारे अधिकारों की रक्षा आपके हाथ में है, आप उनकी रक्षा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूल चन्द डागा ने एक प्रस्ताव के रूप में सुझाव दिया है कि रूल 306 के अनुसार रूल सस्पेन्ड किया जाय और सीक्रेट बैलट के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाय। जहां तक मेरी मान्यता है ये निर्वाचन के नियम लोक सभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के अनुसार ही बने हुए हैं। वहां भी सदन में ओपन मतदान या डिवीजन के द्वारा चुनाव कराया जाता है, यदि आवश्यक होता है तो राजस्थान में भी उन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन कराया जाता है। अब प्रश्न यह है कि रूल 306 में

(श्री उपाध्यक्ष)

रूल सस्पैन्ड किया जाय या नहीं। जो रूल 7 (4) है उसमें भी नहीं है कि सीक्रेट बैलट किया जाय या नहीं। अगर सदन की आम सहमति है तो रूल को सस्पेन्ड किया जा सकता है और सीक्रेट बैलेट के द्वारा विभाजन कराया जा सकता है। जब तक रूल 307 में रूल सस्पैन्ड नहीं होता है तब तक सीक्रेट बैलट के द्वारा कराने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। रूल 307 की ओर ध्यान दिलाया गया है वह उन स्थितियों में लागू नहीं होता है जब नियम बने हुए नहीं हों, उस स्थिति में कार्य का संचालन करने के लिये अध्यक्ष महोदय अपनी तरफ से डाइरेक्शन जारी कर सकते है। लेकिन इसमें निश्चित नियम है इसलिए रूल 307 लागू नहीं होता है और रूल 308 भी लागू नहीं होता है। नियम स्पष्ट हैं, कहीं कोई सन्देह नहीं है। अब भी अगर श्री मूलचन्द्र जी डागा इनसिस्ट करें तो मैं सदन में प्रस्ताव के रूप में रख दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस समय तो मोशन भी मूव नहीं कर सकते हैं। यह जनरल प्रेक्टिस है हाउस की। एक प्रस्ताव पहले से हाउस में है।

श्री दिग्विजयसिंह (पंचायत मंत्री) : मोशन आलरेडी रख दिया....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने जो व्यवस्था दी है वह तो शिरोधार्य है लेकिन प्रथम बार सदन के नेता ने ऐसा कहा है। वर्षों से मैं सदन में रहा हूं। यह कहा जा रहा है कि यहाँ इस प्रकार की परम्परा नहीं टूटी और लोक सभा में भी परम्परा नहीं टूटी। तो मेरा निवेदन है कि राजस्थान में अभी तक ऐसी स्थिति आई नहीं थी। अब चूंकि ऐसी स्थिति आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिये। रूल्स साइलेन्ट हैं। निर्विरोध चुनाव होता है तब तो कोई प्रश्न नहीं है। यदि कन्टेस्ट होता है तो यह प्रश्न उपस्थित होता है इसलिये आप गुप्त चुनाव की व्यवस्था कर दीजिये।

श्री मदन सिंह दांता : अभी एक वोट गोपाल सिंह के पक्ष में है इसलिये जीत रहा है भले ही आप व्यवस्था दे दें सीक्रेट बैलट हो या कैसे भी हो ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की आम सहमति नहीं है कि रूल 306 को सस्पैण्ड किया जाय।

(अस्वीकृत)

आम सहमति से अस्वीकृत किया गया।

आम सहमति नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ठीक है, आगे चलो।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष के निर्वाचन के जो नियमों में प्रावधान है उसके मुताबिक मैं निर्वाचन कराने की व्यवस्था करूंगा और मतदान कराने की व्यवस्था करूंगा। मैं पहले प्रस्तावक महोदय का....

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये विधान सभा को प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं पाइन्ट ऑफ ऑर्डर पेश करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

यदि अनुमति दी जाती है तो वह अनुमति प्रभावी रह सके इसकी व्यवस्था करने की भी आपकी जिम्मेदारी है। कौन सा बिजनेस हाउस का है, कौन सा बिजनेस एक्जेक्टली हाउस का बिजनेस नहीं है, किस बिजनेस के बारे में रूल्स फ्रेम किए जा सकते हैं और किस बिजनेस के बारे में रूल्स फ्रेम नहीं किये जा सकते हैं इसके बारे में राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट अभी हुआ है, वह हमारे पास उपलब्ध है। उस जजमेंट में यह कहा गया है कि हाउस के उस बिजनेस, जिसमें कि हाउस से बाहर की शक्ति की दखलन्दाजी नहीं हो, के बारे में रूल्स बनाए जा सकते हैं। जिस बिजनेस में बाहरी व्यक्ति की दखलन्दाजी होगी, उसके बारे में रूल्स नहीं बनाये जा सकते हैं। जैसे सदस्यों को शपथ दिलाने का काम इस हाउस का बिजनेस नहीं है, उस जजमेंट में इसको हाउस का बिजनेस नहीं माना है। राज्यपाल महोदय किसी भी व्यक्ति को अपोइन्ट करके शपथ दिलवा सकते हैं उसके द्वारा . . .

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : इस जजमेंट की इससे क्या रेलेवेंसी है ?

श्री बजरंग लाल शर्मा : मैं बतला रहा हूं। मैं जानता हूं कि एक वकील की हैसियत से धीरज रखने में कामयाब नहीं होने वाले हैं।

(व्यवधान)

तो जिस बिजनेस के बारे में गवर्नर साहब डायरेक्शन दे सकते हैं, गवर्नर साहब तिथि नियत कर सकते हैं वह बिजनेस ऐसा नहीं है कि जिसको यह हाउस रेगुलेट कर सकता हो या हाउस स्वयं अपने द्वारा तिथि निश्चित कर सकता हो। यदि हाउस तिथि निश्चित करे कि स्पीकर का निर्वाचन इस तिथि को होगा तो ऐसे बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाने के लिए यह हाउस स्वयं आथोरिटी हो सकता है। लेकिन जिसके लिये गवर्नर तिथि नियत करता है कि इस तिथि को स्पीकर का चुनाव किया जाएगा उसके बारे में रूल्स नहीं बनाए जा सकते। मेरा निवेदन है कि जो हाउस के रूल्स हैं इस सम्बन्ध में, वह ऐसे बिजनेस के बारे में हैं जिस बिजनेस के बारे में इस हाउस को रूल्स बनाने का अधिकार नहीं है। रूल 5 को कॉंस्टीट्यूशन के प्रोवीजन्स के अनुसार अल्ट्रा-वायर्स कोर्ट ने माना है और अल्ट्रावायर्स कॉंस्टीट्यूशनली मानकर पावर्स ऑफ दी हाउस नहीं माना है उसी तरह से यह बिजनेस भी हाउस की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसार हाउस के बिजनेस के दायरे के बाहर की बात है। इसलिए मेरी ऐसी मान्यता है कि यह रूल इनवेलिड है और इनवेलिड एकार्डिंग टू दी कांस्टीट्यूशनल प्रोवीजन्स हैं। कॉंस्टीट्यूशन के प्रोवीजन्स की दृष्टि से इसकी क्या वेलिडिटी है, अल्ट्रावायर्स है या नहीं है, इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मेरा निवेदन है कि एडवोकेट जनरल को इस सदन में सदन को एनलाइटन करने के लिए बुला लिया जावे। यह कॉंस्टीट्यूशनल प्रोवीजन का एक महत्व-पूर्ण मुद्दा है। आज तक सन् 52 से लेकर इस हाउस में ऐसा प्रश्न नहीं आया है, जितने भी चुनाव हुए हैं, कमेटीज के चुनाव से लेकर इस चुनाव तक, इस सदन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में सारा सदन

46

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
मिल कर भी यह तय नहीं कर सकता है कि किस तिथि को चुनाव करेंगे ? यदि आप सब मिल कर प्रस्ताव करते हैं कि आप दस दिन बाद चुनाव करेंगे, यह तय कर दिया कि 24 को चुनाव करेंगे तो भी आप चुनाव नहीं कर सकेंगे। यह ऐसा बिजनेस है जिस पर हाउस का कण्ट्रोल नहीं है। जिस बिजनेस पर हाउस का कण्ट्रोल नहीं है उस बिजनेस के लिये रूल्स फ्रेम करने का अधिकार है या नहीं और कॉस्टीट्यूशन के मुताबिक, लीगली उचित है या वोइड है, यह बहुत गम्भीर मसला है। इसके बारे में या तो माननीय सदस्यों के विचार सुनें, यदि माननीय सदस्यों के विचार नहीं सुनना चाहें तो एडवोकेट जनरल को बुलायें ताकि इस अहम् बुनियादी मुद्दे पर उनकी राय जान सकें कि कॉस्टीट्यूशन और रूल्स का कंफिलक्ट तो नहीं है। रूल्स के कंफिलक्ट के बारे में, वेलिडिटी के बारे में माननीय सदस्यों को उनकी राय मिल सके और इस सारे सिद्धान्त का इन्वेस्टीगेशन हो सके कि कॉस्टीट्यूशन में यह प्रावधान क्यों किया गया है, इसलिए एडवोकेट जनरल को बुला कर सुना जावे, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल रिलेवेन्ट नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंग लाल जी, कृपया बिराजें।

आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, साथ ही उस पर बारीकी से विचार भी प्रगट किए हैं। जहाँ तक स्पीकर के निर्वाचन का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में आपने व्यवस्था का प्रश्न रखा है, यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है मैं उसे उचित रिकग्नीशन नहीं दे सकता हूं। मैं मानता हूं कि सदन को अधिकार है कि किस प्रकार के बिजनेस के बारे में रूल्स बनायें। अगर राज्यपाल महोदय का ताल्लुक है तो उसके लिए नियमों में प्रावधान है। विधान सभा ने जो अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बनाए हैं वे संविधान के अनुसार बनाए गए हैं। मैं नियमों के प्रश्न पर आपसे सहमत नहीं हूं।

श्री ऑंकार लाल चौहान को अध्यक्ष निर्वाचित करने सम्बन्धी प्रस्ताव

मैं सदन के सामने एक प्रस्ताव को रखूंगा, सदन की अगर सहमति हो जाती है, आम सहमति हो जाती है, कोई विरोध नहीं होता है तो बाद में आवश्यकतानुसार डिवीजन के द्वारा इसका निर्णय करूंगा। मैं पहले प्रस्ताव रखूंगा।

प्रश्न यह है कि श्री काशीनाथ गुप्त ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि श्री ऑंकार लाल को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जावे।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री मोहनलाल शर्मा : एक हरिजन को अध्यक्ष पद पर नहीं लाना चाहते हैं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले मैं इसके बारे में व्यवस्था दूंगा। अगर कोई चुनौती दी जाएगी तो फिर निर्णय होगा।

(श्री उपाध्यक्ष)

इस चुनाव के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा गया है और हाँ पक्ष और ना पक्ष के द्वारा जो ध्वनि की गई है उसके आधार पर मैं कहता हूं कि ना पक्ष जीता ।

श्री मथुरादास माथुर : Ayes have it.

श्री उपाध्यक्ष : आप चुनौती दे रहे हैं ?

मैं यह चाहूंगा कि डिवीज़न के द्वारा मत विमाजन का पता लगाया जावे । लॉबीज क्लियर करने के लिए बेल बजाई जावे ।

(व्यवधान)

मैंने व्यवस्था दे दी है ।

(मत-विभाजन-सूचक घण्टी)

मैं इस प्रस्ताव को सदन के सामने दुबारा रखूंगा ।

प्रश्न यह है कि श्री काशीनाथ गुप्त ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि श्री ओंकार लाल को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाये, उसे स्वीकार किया जाय ।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव के पक्ष में जो मत देना चाहें वे हाँ पक्ष लावी में जाकर और जो विपक्ष में मत देना चाहें वे ना पक्ष लावी में जाकर मतदान करें ।

(मतदान)

प्रस्तुत प्रस्ताव पर मतदान का परिणाम आ चुका है ।

हाँ पक्ष में 75 ।

ना पक्ष में 113 ।

ना पक्ष जीता ।

प्रस्ताव गिर गया ।

विभाजन सूची

हाँ पक्ष

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
3	श्री अब्दुल अजीज
4	श्री अब्दुल हादी
8	श्री आदित्येन्द्र
17	श्री ओंकारलाल चौहान
24	श्री काशीनाथ गुप्त
27	श्री केदारनाथ
30	श्री खंगार सिंह चौधरी
31	श्री खेतसिंह राठौड़
32	श्री गंगाराम चौधरी
39	श्री गुल मोहम्मद
43	श्री गोपाल सिंह (खण्डेला)
50	श्री जगतार सिंह कंग
53	श्री जयकृष्ण शर्मा
55	श्री जयनारायण सालोदिया
58	श्री जेठमल वरवड़
60	श्री डूंगरराम पंवार
64	श्री दुलाराम
65	श्री नत्थी सिंह
67	श्री नरपतराम बरवड़
69	श्री नवनीत कुमार पालीवाल
70	श्री नवरंग सिंह
72	श्री नाथूराम

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
73	श्री नाथूलाल
78	श्री नूरा
80	श्री परसराम मोरदिया
81	श्री परसराम मदेरणा
84	श्री प्रद्युम्न सिंह
86	मेजर श्री फतह सिंह
88	श्री बजरंगलाल शर्मा
90	श्री बहादुर सिंह (नोहर)
93	श्री भंवरलाल ऐरन
97	श्री भेमजी मीणा
100	सैयद श्री मंजूर अली
101	श्री मनीराम
102	श्री मथुरादास माथुर
103	श्रीमती मदन कौर
105	श्री मनफूल राम
109	श्री माँगीलाल (जायल)
112	श्री माधवसिंह दीवान
113	श्री माधोसिंह (रेवदर)
117	श्री मावजी भाई
118	श्री मूलचंद डागा
120	श्री मेघराज पंवार
121	श्री मोहनलाल (केकड़ी)
123	श्री मोहम्मद जहूर
126	श्री रघुनाथ विश्नोई
128	श्री रणजीत सिंह राठौड़
129	श्री रणमल सिंह
131	श्री रतनाराम चौधरी
133	श्री रामकृष्ण दास गुप्ता
138	श्री रामदेव चौधरी
139	श्री रामदेव सिंह
141	श्री रामनारायण चौधरी
143	श्री रामरघुनाथ चौधरी
144	श्री रामलाल
145	श्री रामसिंह विश्नोई

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
148	श्री रामेश्वरलाल चौधरी
151	श्री लक्ष्मण सिंह
152	श्री लालचंद
158	श्री विजयसिंह नदेरा
159	श्री विज्ञान मोदी
162	श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)
163	श्री शंकरलाल
168	श्री शीशराम ओला
170	श्री श्योपतसिंह मकासर
175	श्री सुखलाल सेणचा
177	श्रीमती सुमित्रा सिंह
179	श्री सूरजपाल सिंह
184	श्री हजारीमल सारण
186	श्री हरचन्द सिंह
187	श्री हरजीराम बुरड़क
191	श्री हरिदेव जोशी
193	श्री हरिसिंह (फुलेरा)
197	श्री हीरालाल चौधरी (मण्डावर)
200	श्री बालकृष्ण थानवी

ना पक्ष

विभाजन संख्या	माननीय सदस्य का नाम
1	श्री अचलाराम
2	श्री अजीत सिंह
5	श्री अमृतलाल परमार
6	श्री अयूब खां
7	श्री अलदाराम मीणा
9	श्री आलमअली खां
10	श्री इन्दर सिंह शेखावत
11	श्री ईश्वर चन्द्र
12	श्री उगमराज मेहता
13	श्रीमती उजला अरोड़ा

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
14	श्री कल्याण सिंह कालवी	63	श्री दिग्विजय सिंह
15	श्री उमराव सिंह गूजर	66	श्री नन्दलाल मीणा
16	श्री उदाराम हटीला	68	श्री नरेन्द्र पाल सिंह
18	श्री ओमप्रकाश शर्मा	71	श्री नवलराय बच्चाणी
19	राव श्री कमलेन्द्र सिंह	74	श्रीमती नारंगी देवी
20	श्री करतार सिंह	75	श्री नारायण मीणा
21	श्री कल्याण सिंह सौंखला	76	श्री नारायन सिंह
22	श्री कान सिंह	77	श्री निर्मल कुमार
25	श्री किशन सिंह भाटी	79	श्री पदमसिंह राठौड़
26	श्री कुंजीलाल	82	श्री पुरुषोत्तम मंत्री
28	श्री कैलाश चन्द मेघवाल	83	सुश्री पुष्पा
29	श्री कौशल किशोर जैन	85	श्री भैरोंसिंह शेखावत
33	डा. गंगासहाय	87	श्री बंशीलाल सारस्वत
34	श्री गणेशलाल बैरागी	91	श्री बालचन्द आर्य
35	श्री गंभीरलाल	92	श्री बिरदमल सिंघवी
36	श्री गिरधारीलाल भार्गव	94	श्री भंवरलाल शर्मा
37	श्रीमती गुणवन्त कुमारी	95	श्री भवानी सिंह
38	श्री गुरुशरण छाबड़ा	96	श्री भूरालाल
40	श्री गुलाबचन्द कटारिया	98	श्री भैरवलाल कालाबादल
41	श्री गोपाल पचेरवाल	99	श्री भैरुलाल बैरवा
42	श्री गोपाल सिंह (आहोर)	104	श्री मदनसिंह दांता
44	श्री गोवर्धन लाल गूजर	106	श्री मनोहरसिंह मेहता
45	वैद्य गोविन्द सहाय	107	श्री महबूब अली
46	श्री गोविन्द सिंह शक्तावत	108	श्री मांगीलाल (गंगरार)
47	श्री चिरंजीलाल गर्ग	110	श्री मानिक चन्द सुराना
48	श्री चुन्नीलाल जेलिया	111	श्री माणकलाल ठाकोर
49	श्री चेनाराम	114	श्री माधोसिंह कछवाह
51	श्री जगदीश चन्द्र शर्मा	115	श्री राजा मानसिंह
52	श्री जगदीश सिंह	116	श्री मालाराम
54	श्री जयनारायण पूनिया	119	श्री मूलचंद सांमरिया
57	श्री जीतमल जैन	122	श्री मोहनलाल शर्मा
59	श्री टीकम चन्द कान्त	124	श्री रंगजी
61	श्री दाताराम	125	श्री रघुनन्दन व्यास
62	श्री दाऊदयाल जोशी	127	श्री रघुवीर सिंह कौशल

(50)

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
130	श्री रतनलाल वर्मा
132	श्री रामकरण सिंह
134	श्री रामकिशोर मीणा
137	श्री रामजीलाल महामना
142	श्री रामप्रसाद लड्ढा
147	श्री रामेश्वर प्रसाद
150	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी
155	श्री वत्तीलाल मीणा
157	श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा
158	श्रीमती विद्या पाठक
160	श्री विजयेन्द्र पाल
161	श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी)
164	श्री शिवकरण बुहाड़िया
165	श्री शिवचरण सिंह
166	श्री शिवनारायण
167	श्री शिवराज सिंह
169	श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर
171	श्री श्रवणलाल
172	श्री सम्पतराम
173	श्री समर्थलाल
176	श्री सुभाषचन्द्र
178	श्री सुरेश कुमार
180	श्री सूर्यनारायण चौधरी
181	श्री सूर्य प्रकाश
182	श्री सोहनलाल बंशीवाल
183	श्री हंसराम
185	श्री हनवन्त सिंह राणावत
188	श्री हरलाल सिंह खर्रा
189	श्री हरसहाय मीणा
190	श्री हरी कृष्ण
192	श्री हरीश शर्मा
194	श्री हरिसिंह यादव
195	श्री एच. एन. शर्मा
198	श्री हीरालाल आर्य
199	श्री त्रिलोकचन्द जैन

श्री भंवरलाल एरन श्री ओंकारलाल चौहान को विधान सभा अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे ।

(व्यवधान)

वे प्रेस नहीं करना चाहते हैं ।

एक अन्य प्रस्ताव है श्री सूर्य नारायण चौधरी का श्री गोपाल सिंह (आहोर) को विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित करने के बारे में ।

श्री गोपाल सिंह (आहोर) को अध्यक्ष निर्वाचित करने सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री सूर्य नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "श्री गोपाल सिंह (आहोर), सदस्य विधान सभा (वि. सं. 42) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय ।"

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीलाल सारस्वत इसका समर्थन करेंगे ।

श्री बंशीलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री सूर्य नारायण जी चौधरी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या प्रस्ताव रखा है ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं दुबारा रख देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब इस प्रस्ताव पर सदन की राय जाननी है ।

प्रश्न यह है कि माननीय सूर्य नारायण जी चौधरी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि श्री गोपाल सिंह (आहोर) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय, उसको स्वीकार किया जाय ।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

कई माननीय सदस्य Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष : मैंने हाँ पक्ष को जीतने के बारे में संकेत दिया है लेकिन चुनौती दी गई है, इसलिए मैं चाहूंगा कि डिवीजन के द्वारा मतदान कराया जाय । लॉबीज को क्लियर करने के लिए मैं घंटी बजाने का आदेश देता हूं ।

(मत-विभाजन-सूचक घंटी)

अब मैं इस प्रस्ताव को दुबारा रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि माननीय श्री सूर्य नारायण जी चौधरी ने जो प्रस्ताव रखा है कि श्री गोपाल सिंह (आहोर) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय, उसे स्वीकार किया जाय ।

मैं चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य हाँ पक्ष में मतदान करना चाहते हैं वे हाँ पक्ष की लॉबी में जा सकते हैं और जो विरोध में मतदान करना चाहते हैं वे ना पक्ष की लॉबी में जा सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रस्ताव को दुबारा सदन के सामने रखिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर सदन की सहमति ले लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि माननीय श्री सूर्य नारायण जी चौधरी ने जो प्रस्ताव रखा है कि श्री गोपाल सिंह (आहोर) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय, उसे स्वीकार किया जाय ।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं वे हाँ पक्ष की लॉबी में जा सकते हैं, जो विरोध में मतदान करना चाहते हैं वे ना पक्ष की लॉबी में जा सकते हैं ।

(मतदान)

प्रस्तुत प्रस्ताव पर मत विभाजन का परिणाम मेरे पास आ चुका है । मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:—

हाँ पक्ष — 114

ना पक्ष — 77

हाँ पक्ष जीता ।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विभाजन सूची

हाँ पक्ष

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
1	श्री अचला राम
2	श्री अजीत सिंह
5	श्री अमृतलाल परमार
6	श्री अयूब खां
7	श्री अलेदाराम मीणा
9	श्री आलम अली खां
10	श्री इन्द्रसिंह शेखावत
11	श्री ईश्वर चन्द्र
12	श्री उगमराज मेहता

(52)

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
13	श्रीमती उजला अरोड़ा	62	श्री दाऊदयाल जोशी
14	श्री कल्याणसिंह कालवी	63	श्री दिग्विजय सिंह
15	श्री उमरावसिंह गूजर	66	श्री नन्दलाल मीणा
16	श्री उदाराम हटीला	68	श्री नरेन्द्रपाल सिंह
18	श्री ओमप्रकाश शर्मा	71	श्री नवलराय बच्चाणी
19	राव श्री कमलेन्द्र सिंह	74	श्रीमती नरंगी देवी
20	श्री करतारसिंह	75	श्री नारायण मीणा
21	श्री कल्याणसिंह सांखला	76	श्री नारायनसिंह
22	श्री कानसिंह	77	श्री निर्मल कुमार
25	श्री किशनसिंह भाटी	79	श्री पदमसिंह राठोड़
26	श्री कुंजीलाल	82	श्री पुरुषोत्तम मंत्री
28	श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल	83	सुश्री पुष्पा
29	श्री कौशलकिशोर जैन	85	श्री भैरोंसिह शेखावत
33	डा. गंगासहाय	87	श्री बंशीलाल सारस्वत
34	श्री गणेशलाल बैरागी	91	श्री बालचन्द्र आर्य
35	श्री गंभीर लाल	92	श्री बिरदमल सिंघवी
36	श्री गिरधारी लाल भार्गव	94	श्री भंवरलाल शर्मा
37	श्रीमती गुणवन्त कुमारी	95	श्री भवानीसिंह
38	श्री गुरुशरण छाबड़ा	96	श्री भूरालाल
40	श्री गुलाबचन्द्र कटारिया	98	श्री भैरवलाल कालाबादल
41	श्री गोपाल पचेरवाल	99	श्री भैरूंलाल बैरवा
42	श्री गोपालसिंह (आहोर)	104	श्री मदनसिंह दांता
44	श्री गोवर्धन लाल गूजर	106	श्री मनोहरसिंह मेहता
45	वैद्य श्री गोविन्द सहाय	107	श्री महबूब अली
46	श्री गोविन्द सिंह शक्तावत	108	श्री मांगीलाल (गंगरार)
47	श्री चिरंजी लाल गर्ग	110	श्री मानिकचन्द सुराना
48	श्री चुन्नी लाल जेलिया	111	श्री माणकलाल ठाकोर
49	श्री चेनाराम	114	श्री माधोसिंह कछवाह
51	श्री जगदीश चन्द्र शर्मा	115	राजा श्री मानसिंह
52	श्री जगदीशसिंह	116	श्री मालाराम
54	श्री जयनारायण पूनिया	119	श्री मूलचन्द सामरिया
57	श्री जीतमल जैन	122	श्री मोहनलाल शर्मा
59	श्री टीकमचन्द कांत	124	श्री रंगजी
61	श्री दांताराम	125	श्री रघुनंदन व्यास

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
127	श्री रघुवीरसिंह कौशल
130	श्री रतनलाल वर्मा
132	श्री रामकरणसिंह
134	श्री रामकिशोर मीणा
137	श्री रामजीलाल महामना
142	श्री रामप्रसाद लड़ढ़ा
147	श्री रामेश्वरप्रसाद
150	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी
154	श्री लालूदास
155	श्री वत्तीलाल मीणा
157	श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा
158	श्रीमती विद्या पाठक
160	श्री विजयेन्द्र पाल
161	श्री वृद्धिचन्दजैन (बड़ी सादड़ी)
164	श्री शिवकरण बुहाड़िया
165	श्री शिवचरण सिंह
166	श्री शिवनारायण
167	श्री शिवराजसिंह
169	श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर
171	श्री श्रवण लाल
172	श्री सम्पतराम
173	श्री समर्थ लाल
176	श्री सुभाष चन्द
178	श्री सुरेशकुमार
180	श्री सूर्यनारायण चौधरी
181	श्री सूर्यप्रकाश
182	श्री सोहनलाल बंशीवाल
183	श्री हंसराम
185	श्री हनवन्तसिंह राणावत
188	श्री हरलालसिंह खर्रा
189	श्री हरसहाय मीणा
190	श्री हरीकृष्ण
192	श्री हरीश शर्मा
194	श्री हरिसिंह यादव
195	श्री एच. एम. शर्मा
198	श्री हीरालाल आर्य
199	श्री त्रिलोकचन्द जैन

ना पक्ष

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
3	श्री अब्दुल अजीज
4	श्री अब्दुल हादी
8	श्री आदित्येन्द्र
17	श्री ओंकारलाल चौहान
23	श्री कारूभाई मीणा
24	श्री काशीनाथ गुप्त
27	श्री केदारनाथ
30	श्री खंगारसिंह चौधरी
31	श्री खेतसिंह राठौड़
32	श्री गंगाराम चौधरी
39	श्री गुल मोहम्मद
43	श्री गोपालसिंह (खण्डेला)
50	श्री जगतारसिंह कंग
53	श्री जयकृष्ण शर्मा
55	श्री जयनारायण सालोदिया
56	श्री जीथिंग
58	श्री जेठमल वरबड़
60	श्री डूंगरराम पंवार
64	श्री दुलाराम
65	श्री नत्थीसिंह
67	श्री नरपतराम वरबड़
69	श्री नवनीतकुमार पालीवाल
70	श्री नवरंगसिंह
72	श्री नाथूराम
73	श्री नाथूलाल
78	श्री नूरा

(54)

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
80	श्री परसराम मोरदिया	148	श्री रामेश्वरलाल चौधरी
81	श्री परसराम मदेरणा	151	श्री लक्ष्मणसिंह
84	श्री प्रद्युम्नसिंह	152	श्री लालचन्द
86	मेजर श्री फतहसिंह	156	श्री विजयसिंह नदेरा
88	श्री बजरंग लाल शर्मा	159	श्री विज्ञान मोदी
89	श्री बहादुर सिंह (दानपुर)	162	श्री वृद्धिचन्द जैन (द.बाड़मेर)
90	श्री बहादुर सिंह (नोहर)	163	श्री शंकरलाल
93	श्री भंवरलाल ऐरन	170	श्री श्योपतसिंह मकासर
97	श्री भैमजी मीणा	175	श्री सुखलाल सैणचा
100	सैयद श्री मंजूर अली	177	श्रीमती सुमित्रासिंह
101	श्री मनीराम	179	श्री सूरजपाल सिंह
102	श्री मथुरादास माथुर	184	श्री हजारी मल सारण
103	श्रीमती मदन कौर	187	श्री हरजी राम बुरड़क
105	श्री मनफूल राम	191	श्री हरिदेव जोशी
109	श्री मांगीलाल (जायल)	193	श्री हरिसिंह (फुलेरा)
112	श्री माधवसिंह दीवान	197	श्री हीरालाल चौधरी (मण्डावर)
113	श्री माधोसिंह (रेवदर)	200	श्री बालकृष्ण थानवी
117	श्री मावजी भाई		
118	श्री मूलचन्द डागा		
120	श्री मेघराज पंवार		
121	श्री मोहनलाल (केकड़ी)		
123	श्री मोहम्मद जहूर		
126	श्री रघुनाथ विश्नोई		
128	श्री रणजीतसिंह राठौड़		
129	श्री रणमलसिंह		
131	श्री रतनाराम चौधरी		
133	श्री रामकृष्णदास गुप्ता		
138	श्री रामदेव चौधरी		
139	श्री रामदेवसिंह		
141	श्री रामनारायण चौधरी		
143	श्री रामरघुनाथ चौधरी		
144	श्री रामलाल		
145	श्री रामसिंह विश्नोई		
146	श्री रामेश्वर दयाल यादव		

मैं सदन के सदस्य, श्री गोपाल सिंह जी को विधान सभा का अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं और उनका स्वागत करता हूं ।

(3.05 म. प.)

(श्री गोपालसिंह, अध्यक्ष पदासीन)

बधाई एवं शुभकामनाएं

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज आप सदन के अध्यक्ष चुने गये हैं इसके लिए मैं आपको बधाई अर्पित करता हूं ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान विधान सभा ने देश के इतिहास में लोकतांत्रिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण परम्परायें स्थापित की हैं। जहाँ तक मेरा इस विधान सभा का अनुभव रहा है अध्यक्ष के प्रति सत्तारूढ़ पक्ष और विरोधी पक्ष का सदैव में आपस का इस प्रकार का सामन्जस्य रहा है कि कटुता के स्थान पर मित्रता और एकता रही है। हमें स्मरण है कि जिस प्रश्न पर भी इसी विधान सभा में किसी प्रकार का कटु वातावरण बना है उस प्रश्न के समाप्त होते ही माननीय सदस्यों में उसी प्रकार का सामन्जस्य, मित्रता और सद्भाव का हमेशा स्थापित रहा है।

इस विधान सभा के आसन से भूतपूर्व माननीय अध्यक्षों ने कई इसी प्रकार की व्यवस्थायें दी हैं जिनका उल्लेख अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय पत्रिकाओं में होता आया है। उसके अतिरिक्त उनका उल्लेख संसद और अन्य विधान सभाओं में किया जाता है। हमारी विधान सभा का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। विधान सभा का कोई भी सदस्य इस इतिहास के लिये गौरव कर सकता है।

अब हम सबने मिल कर आपके हाथ में इस विधान सभा को सौंपा है। मेरा विश्वास है कि आप विधान सभा का संचालन बहुत ही निष्पक्षता के साथ इस तरह से करेंगे कि जो परम्परायें अब तक बन आई हैं उन परम्पराओं से किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होकर परम्परायें सुदृढ़ हों।

मैं मेरी ओर से, सदन के नेता के नाते सदन की ओर से, जनता पार्टी के नेता के रूप में जनता पार्टी की ओर से आपको यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि सदन की परम्पराओं को अक्षुण्य बनाये रखने में हम पूरा सहयोग करेंगे। आपसे भी आशा करेंगे कि इस सदन की परम्परायें किसी प्रकार से टूटें नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था आप करके चलें।

इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपके प्रति धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री लक्ष्मण सिंह (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं।

आज का विवाद अब समाप्त हुआ। आसन जनतंत्र के प्रतीक है उस नाते हर एक विधान सभा सदस्य की अगाढ़ आस्था और विश्वास आसन के प्रति होनी परमावश्यक है और स्वाभाविक है। यही हमारा कर्त्तव्य है। अध्यक्ष जी, मैं आशा करता हूं कि आप निष्पक्ष रहेंगे। यदि सरकार की ओर से कोई दबाव भी आये तो भी आप इस सदन में सर्वश्रेष्ठ हैं, सुप्रिम हैं। सदन की गरिमा, सदन की महिमा, हमारा सहयोग, आसन के प्रति हमारी श्रद्धा आपकी निष्पक्षता पर ही निर्भर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हर उचित निर्णय का हम श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे और आपके हाथ मजबूत करेंगे। सदन की कार्यवाही से इस सदन की गरिमा और महिमा को अक्षुण्य

(श्री लक्ष्मणसिंह)
रखते हुए आपके प्रति हम श्रद्धा और आदर का भाव बनाये रखेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: आपको हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, षष्टम् विधान सभा के शेष काल के लिये आपके इस पद पर निर्वाचित होने पर मैं अपने दल की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं ।

इस सदन की गरिमा, महिमा, प्रतिष्ठा, परम्परायें देश में विख्यात रही हैं । हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि उनको अक्षुण्य रखने का आप हर प्रयास करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भली-भांति परिचित हैं कि विरोधी पक्ष के कुछ दायित्व और कर्तव्य है । विरोधी पक्ष अपनी भूमिका सहज रूप से निभा सके इसके लिये आपका सहयोग अपेक्षित है । आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सदन के कार्य संचालन में नियंत्रित ढंग से मेरा दल आपको हमेशा सहयोग प्रदान करता रहेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सदन की परम्पराएं, जिनका उल्लेख अभी किया गया, इस सदन में कायम रहेंगी । आपका निर्वाचन होने से पूर्व जो कुछ भी वातावरण था या हमारी मानसिक स्थिति थी वह अब नहीं है, हमारे दिमाग में आपके प्रति सम्मान है क्योंकि आप सर्वोच्च पद पर बिराजते हैं ।

एक बार फिर आपको बधाई देता हूं और आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आसन के प्रति, मैं और मेरा दल हमेशा आदर और सम्मान करेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके इस चुनाव पर मैं मेरे दल की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं ।

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सदन के कार्य-संचालन के लिये हमारा दल और हम सब आपको पूरा सहयोग करेंगे । मेरा विश्वास है कि हम लोगों ने और सदन ने आपको अध्यक्ष इस उत्साह के साथ चुना है कि आप सदन की परम्पराओं और सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा रखेंगे । मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो परम्परायें इस सदन की हैं, वह आपसे पहले इस आसन पर बिराजमान माननीय अध्यक्षों ने बनाई हैं और भविष्य में वक्त-वक्त पर आप परम्परायें डालेंगे, वे स्वस्थ होंगी ।

मैं फिर विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा और विश्वास दिलाता हूं कि हम आपको सहयोग देते रहेंगे । मैं आपको बधाई देता हूं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्वाचन पर अपने दल की ओर से मुबारकबाद पेश करता हूं ।

हमारा दल छोटा है । आप हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देंगे । बाकी पार्टियों के बड़े काम हैं, कभी इधर बैठते हैं, कभी उधर बैठते हैं । कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं । उनका बहुत बड़ा परिवार है । मगर जिस तरह से हम लोगों को अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ता है, प्रदेश की जन-भावनाओं को व्यक्त करना पड़ता है, आप विशेष तौर से छोटी पार्टियों का

(श्री प्रोपतसिंह मकासर)
अवश्य ध्यान रखेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः मुबारकबाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री नूरा (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्वाचित होने पर मैं अपने दल की तरफ से, अपनी ओर से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे छोटे-छोटे दल हैं, चाहे हमारे दल के प्रतिनिधि हम एक-एक हैं लेकिन हमारे पीछे बहुत बड़ी मेहनत करने वाले, संघर्ष करने वाले हैं। उन्हीं की भावनाओं को हम सरकार के ध्यान में लाते हैं और उनके अधिकारों को दिलाने के लिये मांग करते हैं। हम आम लोगों के अधिकारों को सरकार के ध्यान में लाकर न्याय पाने के लिये अपनी बात रखते हैं। हम आपसे आशा करेंगे कि उस वर्ग को न्याय दिलाने के लिये जो समस्यायें सरकार के सामने रखेंगे उसको यहां रखने में हमें समय-समय पर आपका सहयोग मिलेगा चाहे हमारे दल छोटे हैं लेकिन हमारे पीछे मेहनतकश लोग हैं। उनकी मांगें, उनकी परेशानियों को सरकार के ध्यान में लाने के लिये बार-बार हमें पेशकश करनी पड़ती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आशा करेंगे कि आपका हमें अधिक से अधिक सहयोग मिलेगा उनकी तकलीफें कहने के लिये हमें ज्यादा समय मिलेगा। मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि समय-समय पर विधान सभा की कार्यवाही चलाने में हमें अपनी तरफ से पूरा सहयोग देंगे।

एक बार फिर अपने दल की ओर से मुबारकबाद पेश करता हुआ, अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मदनसिंह दौता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं। आप पहले अध्यक्ष हैं जो संघर्ष से प्रजातंत्र में लड़े, संघर्ष करते हैं, कैसे संघर्ष से चुन कर आये हैं। पिछले दो साल से आप विधान सभा में एक सदस्य की तरह विराजे हुए थे, आपसे पहले हमारे वयोवृद्ध महारावल साहिब इस पद पर आसीन थे। उनके तरीके, उनकी भाषा, सदस्यों के साथ उनका व्यवहार, इसको तो आपने जान ही लिया होगा। फिर भी आप नये तो हैं ही। मैं निवेदन करूंगा बहुत गम्भीरतापूर्वक कि पहले प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था, जो लोग विश्वासपात्र थे वह जो सलाह देते थे वैसे ही करते थे। आज प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है इस लिए वैसा मत होने देना। आज प्रजातंत्र में आप चुने गये हैं, प्रजा के जितने भी नुमाइन्दे हैं, उनकी राय का महत्व है। काम पड़े तो जो उपाध्यक्ष हैं उनको फौरन बुला लिया करें और विरोधी दल के नेताओं से पूछ लिया करें, इसमें क्या तजवीज हो? आप नये हैं, इस लिये यह कहना मेरा फर्ज है। मैं सही बात कह रहा हूं। इस आसन पर बड़े बड़े अध्यक्ष विराजे हैं वह चुपचाप रह गये हैं, ऐसी स्थितियां खड़ी हुई हैं। कभी भी किसी सदस्य को बाहर निकालने की नौबत आये, उस वक्त आप कोई कमजोरी, कोई उदासीनता नहीं लायें। महारावल साहब को एक दफा मैंने निवेदन किया था, महारावल साहब, 5 मिनट मुझे बैठने दीजिये, मैं बतादूंगा, कौन सी चीज है जिससे डिसिप्लीन आ सकता है। आप शायद इसका मजाक समझें। आपने एक दफा को लायत वाले माननीय सदस्य को फर्माया था कि आप यहां बैठें और मैं वहां बैठता हूं फिर देखें सदन की कार्यवाही कैसे चलती है। मेरा वोट दिया हुआ अध्यक्ष वहां बैठा हुआ है। वहां विराज कर आपको क्या नतीजा मिलेगा, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की परम्पराओं के अनुरूप चुनाव हुआ और आप इस गरिमा के पद पर निर्वाचित हुए। जनता (एस), कांग्रेस (आई), कांग्रेस (अर्स), सी.पी. आई., सी.पी.एम.वालों के साथ अपना स्वर मिलाते हुए आपको बधाई प्रेषित करता हूं और कामना करता हूं लोकतन्त्र की रक्षा के लिये, जिसे आपको सक्षम बनाना है। लोकतन्त्र में प्रतिपक्ष के भी कुछ अधिकार होते हैं। हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपके आसन पर बिराजते हुए उनकी रक्षा होगी, सुरक्षा होगी।

मैं आपको हमारे छोटे से ग्रुप की ओर से बधाई देता हूं, कामना करता हूं तथा विश्वास दिलाता हूं कि हमारा दल आपको लोकतांत्रिक मूल्यों के निर्वहन में पूरा सहयोग देगा।

श्री ओंकार लाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अपनी ओर से हार्दिक बधाई प्रेषित करूं यह मेरा भी कर्तव्य और दायित्व है। जिन माननीय सदस्यों ने मुझे वोट दिया है, मैं उनका भी बहुत आभारी हूं और जिन माननीय सदस्यों ने वोट नहीं दिया है, मैं उनका भी आभार मानता हूं। जनतन्त्र में स्वस्थ परम्परायें होती हैं उन स्वस्थ परम्पराओं की आप रक्षा करेंगे, हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे और स्वच्छ परम्परा रखेंगे। इसी आशा के साथ में पुनः आभार प्रकट करता हुआ बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष : सम्माननीय सदस्यगण, इस गौरवशाली पद पर मेरा निर्वाचन करने के लिये मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने पहली दफा कम से कम लोकतान्त्रिक ढंग को अपनाया। मैं अपनी तरफ से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी तरह का कोई यह ध्यान नहीं रखा जायगा कि किन माननीय सदस्यों ने मुझे वोट दिया और किन-किन माननीय सदस्यों ने मुझे वोट नहीं दिया। मेरे पूर्व में जिन महानुभावों ने इस पद को सुशोभित किया है और जिन्होंने इस पद पर आसीन होकर संसदीय व्यवस्थाओं को निष्पक्ष रूप से निभाया है और कठिन मौकों पर अपना विवेक काम में लेकर उदाहरण प्रस्तुत किया है उनका भी मैं खास तौर से अनुसरण करने की कोशिश करूंगा। इन्सान से गलती होती है, मैं भी इन्सान हूं हो सकता है कभी कोई ऐसा निर्णय या व्यवस्था मैं दे दूं जो माननीय सदस्यों को या किन्हीं खास माननीय सदस्यों को पसन्द न आवे या समझ में नहीं आवे। कृपया इस बात का ध्यान रखकर कि मैं फिलहाल आप लोगों के सामने पहली बार उपस्थित हुआ हूं मुझे क्षमा करेंगे।

माननीय नेता महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता महोदय, माननीय मदेरणा साहब, माननीय मथुरा दास माथुर साहब, माननीय श्योपत सिंह जी ने, माननीय नूरा साहब ने, माननीय दांता साहब ने जो मुझे बधाइयां दी हैं और जिस तरह माननीय चौहान साहब ने आभार प्रकट किया है इसके लिये मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। माननीय चौहान का भी मुझे समय-समय पर सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। मुझे आपने बधाइयां दी हैं उसको स्वीकार करते हुए और आप सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल के नेता महोदय से भी परामर्श कर लिया है। सदन में आज सुबह से ही काफी टेन्शन रहा है इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि 15 मिनट के लिये सदन को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष: मैं सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 3.25 बजे 15 मिनट के लिये स्थगित की गई।

विधान सभा की बैठक पुनः म. प. 3.44 बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अविश्वास प्रस्ताव

मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। श्री लक्ष्मण सिंह प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि **यह सदन राजस्थान मंत्री परिषद् में अविश्वास व्यक्त करता है।**

इसका अर्थ, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि मैं सदन के माननीय सदस्यों को पुरजोर शब्दों में निवेदन करूं कि वर्तमान राजस्थान सरकार को सम्मानपूर्वक विदाई दें। सम्मानपूर्वक विदाई की परम्परा जो होगी वह ग्रेसफुल होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आधुनिक सरकार का पुनीत और प्रथम कर्त्तव्य है कि वह इस सर्वमान्य सिद्धान्त को मान कर चले कि सरकार जनता के लिये है, न कि जनता सरकार के लिये। इस देश में एक क्रान्ति आई सन् 1977 में। इस क्रान्ति ने एक बहुत बड़े दल को जन्म दिया। वह जनता पार्टी जनता के द्वारा न कि राजनेताओं के द्वारा निर्मित हुई। प्रचंड बहुमत से वह लोकसभा में आई। प्रचंड बहुमत से वह विधान सभा में आई। लेकिन हमारे वयोवृद्ध तीन नेताओं के आपस में पद संघर्ष के कारण एक अजीब सी प्रक्रिया उत्पन्न हुई जिसे आज सारा भारतवर्ष और सारा विश्व घटकवाद की संज्ञा देता है। मैं उन सारी लम्बी-चौड़ी बातों में नहीं जाना चाहूंगा किन्तु यह निर्विवाद बात है कि जनता पार्टी की उपलब्धियों में एक उपलब्धि थी जनतन्त्र को पुनर्जीवित करने की। किन्तु खेद का विषय है कि दूसरी उपलब्धि उसकी घटकवाद की रही। इस घटकवाद के फलस्वरूप आज हम क्या देखते हैं, चारों तरफ बिखराव ही बिखराव है और जनता पार्टी के जो स्वप्न थे, जो मन्तव्य थे, जो इरादे थे वे पूरे नहीं हो सके। यह विधि की विडम्बना ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हर एक शासन का मूलतः मूल्यांकन मैं समझता हूं। शान्ति और व्यवस्था कायम रखने से होता है। इसके बिना जनतन्त्र जीवित नहीं रह सकता है। जनतन्त्र एक कोमल फूल है। इसके ऊपर कोई आघात किया जाय अशान्ति के द्वारा, तो जनतन्त्र को आघात पहुंचता है और उसकी जड़ें गहरी-गहरी नहीं जा सकतीं। बिना अनुशासन के जनतन्त्र को सींचना केवल मृगतृष्णा है। साथ ही मैं यह कहा जा रहा था कि शिक्षा, चिकित्सा यह सरकार का मूल कर्त्तव्य है। पहले मैं माननीय गृह मंत्री महोदय को कहूंगा

(श्री लक्ष्मणसिंह)
कि राजस्थान राज्य में कानून और व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मैं इस बात को बिना पशोपेश के कह सकता हूं कि राजस्थान में आज कानून और व्यवस्था जो है, इतनी बुरी कानून और व्यवस्था पहले कभी भी नहीं हुई। मेरे ख्याल से यह सरकार के लिये लांछन है और एक सरकार के लिये बड़ी शर्मनाक और दर्दनाक बात है।

श्री मदनसिंह दांता : Even in the time of Indira ?

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समझता हूं कि संकटापन स्थिति में बहुत सारी खराबियां थीं लेकिन अनुशासन तो था।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : आपको श्मशान का अनुशासन चाहिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह मत-मतान्तर की बात है। अगर आपको मेरी आलोचना करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं बोल लूं उसके पश्चात् कर सकते हैं।

मैं समझता हूं जिस देश में अनुशासन नहीं है उसमें मेरे ख्याल में प्रगति और प्रोग्रेस संभव नहीं है। इस सर्वमान्य सिद्धान्त को व्यक्त करने में मैं जरा भी पशोपेश नहीं करता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या अपराधों की तादाद दिन दूनी रात चौगुनी नहीं बढ़ती जा रही है? क्या सामान्य अपराध, क्या जघन्य अपराध, क्या आर्थिक अपराध, क्या व्यावसायिक अपराध, इन सभी अपराधों में मेरे ख्याल में सभी समय के कीर्तिमान तोड़ डाले हैं। इस राजधानी जयपुर के अन्दर कोई भी महिला शाम को सिनेमा जाने से हिचकिचाती है, बाग में घूमने से हिचकिचाती है। सभ्य समाज और जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित सरकार का परम पुनीत कर्त्तव्य है कि महिला वर्ग को पूरी आजादी हो। महिला वर्ग को तो गृह मंत्री महोदय की दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा ने घर के अन्दर बन्द और कैद कर दिया। बलात्कार, भगा ले जाना, किडनेपिंग यह एक सामान्य सी बात हो गई है और हड़तालों का तो कीर्तिमान ही टूट गया है। कोई संस्था ऐसी नहीं है जहां पर हड़ताल न हो। सरकार अपने कार्य का निर्वहन करने में सर्वथा विफल रही है। क्या डैकोइटी, क्या चोरी-सारे राज्य के अन्दर दिन दहाड़े सड़कों के ऊपर हो रही हैं। यह सब दुर्व्यवस्था का सूचक है जो जनतंत्र के लिये घातक है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर देखें सारी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों में क्या स्थिति है? लाठीचार्ज, पुलिस राज। यूनिवर्सिटी, कालेज में पुलिस बैठी है। विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता समाप्त कर पुलिस सत्ता कायम कर दी गई है यह शिक्षा की दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है। दुर्व्यवस्था का टैक्स देने वाले लोगों का करोड़ों रुपया दुर्व्यवस्था में खर्च हो रहा है। इस संबंध में सरकार अव्वल नम्बर की गुनहगार है।

शिक्षा मंत्री महोदय, शिक्षा के संबंध में भी आपका विभाग निष्पक्ष नहीं है। तुलनात्मक रूप से मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आपके द्वारा जो स्कूल खोले गये हैं वे निष्पक्षता के आधार पर नहीं खोले गये हैं। पहले के शासन में कोई मंत्री हो या मुख्य मंत्री हो, अपने निर्वाचन क्षेत्र में अवश्य प्राथमिकता दिया करते थे। यह ह्यूमन वीकनैस है लेकिन हर एक निर्वाचन क्षेत्र में

(श्री लक्ष्मण सिंह)

सिद्धान्त रूप से 1-1, 2-2 स्कूल बराबर खोले जाते हैं। आज कई एक निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर स्कूल नहीं खोले गये। मैं आरोप लगाऊंगा कि जान बूझकर ऐसा किया गया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो आपने कृपा कर के स्कूल नहीं खोले तो उसका तो मुझे मलाल नहीं, मेरी आदत भी नहीं है, मैं मानता हूं लेकिन दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में जहां आदिवासी बच्चे हैं आदि आदि वहां पर भी ऐसा होता है तो अगर सदन के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि आपने पक्षपात किया तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई न कोई तथ्य है। इसमें कोई घटकवाद है, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन करोड़ों रुपये जो खर्च हो रहे हैं वे मेरे ख्याल से निष्पक्ष ढंग से खर्च नहीं हो रहे हैं। आपको इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करने चाहियें और अपने आचरण को निष्पक्ष बनाना चाहिये यह पुरजोर शब्दों में मैं आपको कहूंगा वरना आपकी सरकार में कौन विश्वास करेगा? आपको इसकी बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप एक-आध विधायक को भरमा कर कह सकते हैं कि तुम्हारे यहां विकास नहीं होगा तुम हमारे यहां चले आओ। यह भी आपको अधिकार है। मैं नहीं कहता कि नहीं है। लेकिन जब आप जनता के सामने खड़े होंगे तब आपको सजा मिलेगी यह मेरी भविष्य-वाणी है। मैं ज्योतिषी नहीं हूं लेकिन निश्चित रूप से जो सरकार पक्षपात करती है अपने दल और घटकवाद के हितों को प्राथमिकता देकर के और दूसरे लोगों का कोई विचार नहीं करती, मेरे ख्याल में यह स्वार्थ है, पक्षपात है और इसका विरोध और निन्दा किये बिना मैं नहीं रह सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, छात्रों की व्यवस्था जो आज है, यह भी एक गंभीर चिन्तन का विषय है। मैं कोई शिक्षाविद् नहीं लेकिन एक सामान्य बुद्धि के और जिम्मेदार नागरिक के नाते कहता हूं कि जो-जो चीजें स्कूल और यूनिवर्सिटी में होती हैं वे सरकार की चिन्तन का विषय होनी चाहियें। सरकार जो कुछ भी इस संबंध में कर रही है वह महान दुर्भाग्यपूर्ण है। लाठी-चार्ज एक यूनि-वर्सिटी में, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन कई दिनों तक, रोजमर्रा दस और ग्यारह बजे के बीच लाठी-चार्ज हुआ। प्रार्थना सभा में यह क्या है? पुलिस क्लास रूम में बैठी हुई है। लोगों को पकड़-पकड़ कर जेलों में बैठाया जा रहा है। हमारे युवक, जो हमारे देश के भविष्य के निर्माता हैं, की इतनी उपेक्षा क्यों? सरकार का पुनीत और प्रथम कर्त्तव्य है कि इस संबंध में चिन्तन करे, उनकी दिक्कतों को गहराई से देखे और उनका सहयोग प्राप्त करे। दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर आप दबायेंगे तो इसकी प्रतिक्रिया घातक होगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम आपकी सहयोगी भावना के साथ इस समस्या का हल निकालने के लिये गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हत्याओं की भी एक हद होती है। हत्याओं की भी पराकाष्ठा होती है। आप यह समझ रहे होंगे, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी आलोचना करने में मुझे मजा आता है। मेरे माननीय सदस्य आलोचना करने में आनन्द लेना चाहते हैं। यह स्वा-भाविक है, आलोचना करनी चाहिए लेकिन मैं मानता हूं, यह महान् दुर्भाग्यपूर्ण है। नारायण चतुर्वेदी, गुरुदयालसिंह सन्धू, इनकी हत्याएं किस तरह से हुई हैं। मैं लम्बी-चौड़ी बातें नहीं कहूंगा। इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। श्री

(श्री लक्ष्मणसिंह)

गुरुदयालसिंह सन्धू को मैं खूब अच्छी तरह जानता था। बताते हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था कि उनकी जान जोखिम में है। पुलिस को इत्तिला देने के बावजूद रात को 12-1 बजे उनकी हत्या कर दी गई। मेरे ख्याल से यह महान दुर्भाग्यपूर्ण और लज्जाजनक बात है। इसकी जितनी निन्दा की जाये कम है। नारायण चतुर्वेदी को मारा गया। शराब पीकर लोगों ने उनकी पिटाई की। पिटाई करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। उनको वहीं खत्म कर दिया गया। एक कस्टम के उच्च अधिकारी, श्री दास गुप्ता को पटापट दो-तीन गोलियां लगाकर जयपुर के अन्दर सड़क पर मार डाला गया। इससे बढ़कर और क्या बुरी बात होती है? मेरे ख्याल से 20 वर्ष पहले, आजादी के पहले के जमाने में भी ऐसी बातें नहीं हुई हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : लाखों रुपये का सामान शर्त डाल-डाल कर बरामद किया था।

एक माननीय सदस्य : आप बोलने दीजिए।

श्री लक्ष्मण सिंह : हत्यारों का क्या हुआ? पकड़े गये या नहीं?

एक माननीय सदस्य : बदला ले लिया गया है।

श्री लक्ष्मण सिंह : पुलिस में कोई अनुशासन नहीं है। महाजनों येन गता स पन्था सरकार बेईमान है। सरकारी पक्षपात, सरकार के भ्रष्टाचार के द्वारा यह सब प्राप्त किया जाता है। समाज को इतना नीचे ले गये। मेरे खयाल से यह मेरे लिये, जनतन्त्र के लिए और इस महान सभ्य भारतवर्ष के लिए एक चुनौती की समस्या बनी हुई है। आपको इस बारे में सजग होना चाहिए।

पुलिस की हड़ताल। उपाध्यक्ष महोदय, बाड़ खेत को खा रही है। पुलिस के सिपाही इन्सपेक्टर जनरल मुर्दाबाद के नारे लगायें यह कभी सुनने में नहीं आया। यह सरकार कैसे चलेगी, मेरी समझ में नहीं आता है। यह सरकार सरकार नहीं है, मैं यह तो नहीं कहूंगा, लेकिन यह धांधल पार्टी की सरकार है। आप धांधली पार्टी की सरकार चलाना चाहें तो आपकी यह पोशाक फट चुकी है। इसमें कारियां कहां तक लगाई जायेंगी। जिस प्रदर्शन के द्वारा महान् एम्पायर समाप्त हो गया, ब्रिटिश एम्पायर समाप्त हो गया जिसके शासन में सूर्य अस्त नहीं होता था, तो यह जनता पार्टी, आप तो कीड़े और मच्छर हैं। आपका क्या वश चल सकता है। एक फूंक लगेगी तो पता नहीं चलेगा कि कहां गये?

श्री मदनसिंह दांता : फिर यह हल्ला-गुल्ला क्यों है? मच्छर हैं तो फूंक दो।

एक माननीय सदस्य : फूंक देंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं कहता हूं आप सम्मानपूर्वक कुर्सी छोड़ें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, पुराने समय को देखते हैं कि इस सदन में आश्वासन ही आश्वासन दिये गये हैं। कोई आश्वासन से पेट भरता है। भूखे पेट को रोटी नहीं मिले तो कोरे आश्वासन में कुछ नहीं होगा। केसेज में कमीशन पर लाखों रुपया खर्च कर दिया। पहले भी कमीशन नियुक्त होते थे। इस प्रकार की आलोचना होती है। पक्षपात

(श्री लक्ष्मणसिंह)

होता था तो बोलते हैं, क्या-क्या कहते थे । मुख्य मंत्री को मैंने कह डाला है लेकिन आज कमीशन की कोई रिपोर्ट ही नहीं । पता ही नहीं चलता कहां गई ? कमीशन की इन्क्वायरी कहां गई ? रिपोर्ट कहां गई। Justice delayed is justice denied.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपने किसके लिये कहा था ? सुखाड़ियाजी के लिये या जोशी जी के लिये ?

(व्यवधान)

पहले किसके लिये कहा था ? मैं पूछ रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी रिपोर्ट ही गायब है ।

श्री मदनसिंह दांता : अगर यह सही है कि सुखाड़िया जी के लिये कहा था तो सुखाड़िया जी के शिष्य को सोचना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी बारी भी आ रही है । वह समय दूर नहीं है, यह कहना पड़ेगा । आपका जो आचरण मैं देख रहा हूं वह संदिग्ध है या शुद्ध है ।

कई माननीय सदस्य : शुद्ध है ।

श्री लक्ष्मण सिंह : यह आपकी आदत है । मुख्य मंत्री जी हर बात के लिये कहते हैं , देख लूंगा । विचाराधीन है । गट्ठर बन गया है, विचाराधीन समस्याओं का । अजीर्ण हो चुका है । इनको अब डिस्पोज आफ कीजिये । निकालिये । अगर नहीं निकाल सकते हैं तो आपकी सरकार निकम्मी और सड़ी-गली है ।

(व्यवधान)

मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अलवर महाराजकुमार की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई । ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात मैं नहीं कहता हूं कि कैसी हालत में उनकी मृत्यु हुई है । मेरे खयाल से निष्पक्ष इन्क्वायरी कर कोई न कोई फैसला करना चाहिये । दूसरी भी आपके विचाराधीन समस्याएं हैं उनका फैसला करना चाहिये ।

आपने जो रवैया पंचायतों के सम्बन्ध में अपनाया है, उसके कारण कोई आप पर विश्वास नहीं करता । आपने क्या किया ? आप क्या करने जा रहे हैं ? जो परिणाम हुआ, जिस स्थिति में पंचायतें हैं, वह कर्त्तव्य-विहीन और किंकर्त्तव्य विमूढ़ हो गई हैं । आप यह तय नहीं कर पाते कि क्या करना है ? आपमें साहस नहीं है । पंचायतों को हिलाकर आपने किस का फायदा किया ? फायदा किया लालफीताशाही का । सरपंच ताश बन गए और बी. डी. ओ. और कांग्रेस ने दस वर्ष तक चुनाव नहीं कराये उसकी तो आलोचना कर सकते हैं कि वे डिक्टेटर हैं। सब कुछ कहा गया उसके लिये लेकिन य तो दिन में हैं न रात में, न घोड़े में हैं न गदहे में । आधा काम किया, आधा ही किया करो, भगवान की खातिर कुछ तो करो बाबा ।

न्यायालय में घटकवाद है, यह बड़ी इज्जत के साथ मैं कहता हूं । दूसरे घटक हैं आर. एस. एस. है, ठीक है, आर. एस. एस.

(64)

(श्री लक्ष्मण सिंह)

है, जिसको कहना है वह कहेगा। यह, मुख्य मन्त्रीजी, आपके शासन में बिलकुल पराकाष्ठा में पहुंच चुका है। सैक्यूलेरिज्म की अन्त्येष्ठि कर दी। अदालतों में यह व्यवस्था है कि एक जातिवाद के लोग जाकर बैठे हैं, दूसरे लोग योग्यता के अनुपात और आधार पर ठुकरा दिए जाते हैं। यह क्या राज है? स्वराज्य आया लेकिन जहां सुराज नहीं वहां स्वराज्य का क्या अर्थ? आपको सुराज लाना चाहिए, सुराज बने।

श्री मथुरादास माथुर : कुछ तो मान लो।

श्री मदनसिंह दांता : बादलों की गड़गड़ाहट से ऊंट नहीं मरेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : जाटवाद, राजपूतवाद, अदालतों में जातिवाद, वाद ही वाद हैं। न राजपूत जाट पर हावी हो सकते हैं और न जाट राजपूत पर हावी हो सकते हैं। अण्डर डॉग और टॉप डॉग का जमाना गया, एक जमाना आया फ्यूडेलिज्म की अन्त्येष्टि हो गई, उसकी आवश्यकता नहीं। जिसे समाज की आवश्यकता नहीं रहती, प्रकृति के नियमानुसार वह नहीं रह सकता, प्रकृति ने उनको समाप्त किया, वे भी सम्मानपूर्वक चले गए। लेकिन जिद और हट कर के रहते हैं उनकी दुर्दशा होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस बात का पक्षपाती हूं कि जाट और राजपूत को सह-अस्तित्व मानना चाहिए Live and let live महात्मा गांधी के सिद्धान्त को अपनाना चाहिए। जो इस सिद्धान्त को नहीं अपनाता वह समाज, जनतन्त्र और देश का दुश्मन है। मैं मुख्य मन्त्रीजी और राजस्थान की सरकार पर आरोप लगाता हूं कि......

(व्यवधान)

जाटवाद, सम्प्रदायवाद, इन सब वाद को समाप्त करें। फिर समाप्त करना है तो आर. एस. एस. के बारे में सोचना लेकिन पहला केन्सर तो यह है, उसके बाद दूसरा हुआ तो उस पर विचार करेंगे। आपको कम से कम जाटवाद और राजपूतवाद को समाप्त करना चाहिए। हमारे न्यायालयों को करप्ट करना, उनके अन्दर गन्दगी फैलाना, मैं समझता हूं यह बहुत बुरी चीज है। सरकार को इस सम्बन्ध में अपने आचरण पर पुनर्विचार करना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहे बिना नहीं रह सकता कि बाहरी आडम्बर को खत्म करो। आप कहते हैं समाजवाद को अपनाते हैं, कल्याणकारी राज्य को अपनाते हैं। आप महलों में क्यों जाकर हाथा-जोड़ी करते हैं कि चुनाव में आकर हमारी मदद करो दो और चुनाव लड़ो। आप स्वयं जाकर यह कहते हो कि हम विनती करते हैं कि हमारे पर कृपा करो और हमें दुर्दशा से बचाओ। आज यह स्थिति है। मैं आशा करता हूं, मैं कहता हूं यह गलत साबित हो, लेकिन अन्तरात्मा की पुकार के अनुसार मैं यह मानता हूं कि आपकी कथनी और करनी में अन्तर है मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि पूर्व में जाओ, तो जाते हैं पश्चिम में।

श्री खेत सिंह राठौड़ : झांसेवादी हैं ऊंचे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दिल की आवाज है, आपको श्राप लगेगा।

श्री लक्ष्मण सिंह : समाचार-पत्रों पर भी अनुचित रूप से प्रतिबन्द है । एक समाचार-पत्र पर आपकी कृपा है । बीस-बाईस लाख की सम्पत्ति 6–7 लाख में दे दी । आप मुख्य मन्त्री हैं, आपको अधिकार है, समरथ को नहीं दोष गुसाईं । लेकिन यह अच्छी चीज नहीं है । पक्षपात अगर इसको कहा जाय तो इसमें क्या अतिशयोक्ति है ? आपने यह अपराध किया है, मैं आरोप लगाता हूं इस सदन के प्रांगण में । एक दूसरा समाचार-पत्र है जो बिलकुल निष्पक्ष है, आपकी वाहवाही भी करता है, आपकी आलोचना भी करता है, हमारे साथ भी निष्पक्ष व्यवहार करता है । आपके कर्मचारियों से मैंने सुना, उसकी प्रेस की बिजली का करन्ट ही काट डाला । जो सरकार समाचार-पत्रों के ऊपर इस तरह का संदिग्ध रूप से आचरण बरतती है, वह सरकार नहीं है । वह जो कुछ भी अन्य संज्ञा दें वह है लेकिन सरकार की संज्ञा में उसको नहीं दे सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ नहीं देखते । इनके आचरण के सम्बन्ध में कहीं और की बात नहीं कहता, लेकिन आज सदन के अन्दर नियमों की कोई अवहेलना करे या दुर्व्यवहार करे या फिर आचरण में कोई कमी है तो वह विषय यहां पर अवश्य बहस का विषय बन सकता है । निजी आचरण के सम्बन्ध में अगर बहुत बुरी बात है, तो जरूर वह विषय बन सकता है आलोचना का लेकिन दकियानूसी तीन-चार वर्ष पुराने मामले उठायें उसके अन्दर भी घटकवाद का प्रवेश हो उसके उपरान्त अविश्वास का प्रस्ताव आवे और वह अविश्वास का प्रस्ताव भी जनता पार्टी के सदस्य के द्वारा ही लाया जावे तो इससे बढ़ कर सेल्फ कन्डेमण्टरी क्या आचरण हो सकता है । मेरे ख्याल में जनतन्त्र की परम्पराओं का आप बिलकुल बालाए ताक रख कर मनमान अजीर्णवाद अपनाने की चेष्टा करते हैं । घबरा कर भीरूपन दिखाकर, अविश्वास का प्रस्ताव वापस ले लिया । अगर कोई इस सरकार का सामना करता है तो यह सरकार दब जाती है इसमें मनोबल तो है ही नहीं । उपाध्यक्ष ने कहा मेरी इज्जतका सवाल है । मेरे पोलिटिकल केरियर को समाप्त करते हो तो मैं सामना करूंगा । आखिरकार जब चींटी को सताते हैं तो वह देखती है कि मेरा तो मरने का समय आ गया, तो हाथी की सूंड में घुस कर काटती है । इस तरह से लोगों का छू लेना, लोगों का अपमान करना .

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइंट आफ आर्डर । माननीय महारावल साहब चींटी नहीं कह सकते । सर्वोच्च आसन है, इसको चींटी नहीं कह सकते । माफी मांगिए ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई: यह क्या है ?

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ठाकुर साहब दांता को राजी करने के लिए मैं माफी मांगता हूं लेकिन उसके साथ-साथ यह भी कहता हूं कि मैं अपने अधिकार का उपयोग कर रहा हूं, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं । जनतंत्र की पद्धति के अनुसार मैंने एक-एक शब्द तोलकर कहा है । मैं आपको राजी रखने के वास्ते माफी मांगता हूं ।

श्री मदन सिंह दांता : अगर इनको राजी करना होता तो भैरोंसिंह शेखावत के बजाय मैं वहाँ बैठता । अगर इनको राजी करता....

(व्यवधान)

भैरोंसिंह मेरे बाद राजनीति में आए हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह प्रदर्शित कर दिया आपका कोई विश्वास नहीं करेगा । आप जो ठाकुरशाही बता रहे हो वह नहीं चलेगी ।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : ये मुझे ज्यादा जानते हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने समझा ही नहीं, चींटी क्या होती है और फूंक क्या होती है ।

श्री लक्ष्मण सिंह : इस सरकार ने खास तौर से इस सदन का अपमान किया है । सदन को तावड तोड़ एडजोर्न कर दिया । क्वेश्चन आवर में आपके मंत्रिमंडल में एक दो को छोड़कर सब सब-स्टेंडर्ड मंत्री हैं । राजाशाही के इस दकियानूसी सिद्धान्त के अनुसार कि राजा जिसे रात कहे सब रात कहें, सच-झूठ का निर्णय नहीं, हाँ जी, हाँ जी कोई हो, ऐसे मंत्री भी आपके पास हैं । फिर क्वेश्चन आवर आप देखें तो मेरे ख्याल में जमता हैं, अक्ल का अजीर्ण हो गया या पता नहीं क्या हुआ । आपसे नाराज होकर और जो लोग धीरे-धीरे हट गए जो जनता (एस) में आए, योग्यता के अनुपात से मैं "कम्पेयर तो नहीं करना चाहता, यह अच्छी बात नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से मंत्रियों से किसी हालत में कम नहीं है । मेरी आँख के सामने 2-4 आदमी जो आपके पक्ष में हों देख रहे हैं । जो भी मंत्री के योग्य है उनको टाला जा रहा है । मंत्री महोदय, मुझे कह रहे हैं यह तो प्रोरोगेटिव आफ दी चीफ मिनिस्टर है । प्रोरोगेटिव ऑफ दी किंग तो होता था लेकिन आज प्रोरोगेटिव आफ अनक्राउन्ड किंग आफ राजस्थान हो गया । डिवाइन राइट आफ किंग्स, चार्ल्स ऑफ इंग्लैंड, उसका क्या हुआ ? उसको अपने सिर की पेनल्टी देनी पड़ी, इतिहास द्योतक है, He was beheaded. मुख्य मंत्री और आपको मंत्रीगण कुछ भी कहते हों, सदन के प्रति आपको आदर की भावना रखनी चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए और सदन का अनादर नहीं करना चाहिए । कम से कम अध्यक्ष की महिमा और गरिमा बढ़ाने में आपको सजगता बरतनी चाहिए । कभी तो 8–10 विधायकों से स्टेटमेंट आपके द्वारा दिला दिया जाये कि अध्यक्ष का आचरण संदिग्ध है, कभी लीडिंग आर्टिकल आपके मुख-पत्र में निकलवा दिया । तो अध्यक्ष तो आते हैं, जाते हैं लेकिन आसन की गरिमा और परम्परा अगर मुख्य मंत्री नहीं मानते हैं तो यह सरकार है । यह भी Creation of this Legislature है। इस सरकार की उत्पत्ति इसी आगस्ट हाउस द्वारा हुई है । आप अगर माता-पिता के विरुद्ध आचरण करेंगे तो आप मेरे ख्याल में कोई फरमाबरदार.....

श्री खेतसिंह : इल्लीसिट ।

श्री लक्ष्मण सिंह : संतान नहीं है । आपने एक विषय जो बनाया है वह दल-बदलू का बनाया है । खैर । यह भी सोचना चाहिए कि दलबदलू दरअसल में कौन है ? मैं समझता हूं दलबदलू वह है जो दल बदले दे और सरकार में शामिल हों . . . .

श्री खेतसिंह राठौड़ : कुछ पाने के लिए ।

श्री लक्ष्मण सिंह : सरकार में जाने के लिए झख मारने को जाएगा ? अगर एक दल है तो उस दल में 50-100 आदमी होते हैं । वह विभाजन है । अगर नए दल का निर्माण होता है तो मेरे खयाल में वह दल बदलू की प्रक्रिया में नहीं आता । दल बदलना सिद्धांतत: अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन यह जनतंत्र का एक अविभाज्य अंग है । जब आवश्यकता हुई तो विन्स्टन चर्चिल ने भी दल बदला । और कोई भी कानून के द्वारा दलबदल आप रोकना चाहते हैं जनतांत्रिक पद्धति में मानूंगा । श्रीमती इंदिरा गांधी ने दलबदल कानून का मसविदा बनाया । मोरारजी भाई ने दलबदल कानून का मसविदा बनाया, डिस्क्रेशन इज दी बेटर पार्ट आफ वेलर । उन्होंने समझ लिया कि यह प्रैक्टिकल नहीं, पार नहीं पड़ती । तो उन्होंने भी दल बदलू कानून को मौकूफ कर दिया । दल बदलू कानून बनावें या नहीं बनावें, यह तो सरकार का अधिकार है । लेकिन जनतान्त्रिक सिद्धान्त के अनुसार आप दल बदलू कानून को सफलतापूर्वक बनकर चला लेंगे, यह मैं समझता हूं कि सम्भव नहीं है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो पहले ही रुग जायेंगे ।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यहां पर एक नाजुक राय दिये बिना नहीं रह सकता । संक्षेप में ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी थोड़े समय पहले हमारे देश में जनता पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति के आचरण के संबंध में काफी छींटाकशी की है, यह एक महान दुर्भाग्य-पूर्ण बात है । उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के अध्यक्ष ने हमारे राष्ट्रपति को लिलिपुटियन प्यूरर कहा है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के राष्ट्रपति, जो कि सर्वोच्च पद है हमारे देश का, हमारे भारतवर्ष के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है, उनको हमारे लोक सभा के सदस्य, राज्य सभा के सदस्य और दूसरी विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है । वह व्यक्ति लिलिपुटियन प्यूरर कैसे हो सकता है ? मैं तो समझता हूं कि उनको लिलिपुटियन प्यूरर की संज्ञा देने वाले लोग ही लिलिपुटियन प्यूरर हैं । यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसके विपरीत आपके जो अध्यक्ष हैं जनता पार्टी के वह खुद एडहोक अध्यक्ष हैं ।

एक माननीय सदस्य : क्या एडहोक अध्यक्ष हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह : हां मैं बार-बार कहूंगा कि जनता पार्टी के अध्यक्ष एडहोक अध्यक्ष हैं । वह बार-बार कहते हैं कि मैं जनता पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं, पर छोड़ नहीं रहे हैं। मेरे ख्याल में तो वह खुद लिलिपुटियन प्यूरर हैं जो ऐसी बातें करते हैं ।

श्री खेत सिंह राठौड़ : वह हमारे मुख्य मन्त्रीजी के दोस्त हैं ।

श्री लक्ष्मण सिंह : दोस्ताना तो सभी

(श्री लक्ष्मण सिंह)

तरह का होता है,, अच्छा भी बुरा भी और व्यक्तिगत दोस्ताना भी होता है। मुझे इससे क्या मतलब ? लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जनता पार्टी के अध्यक्ष ने जो हमारे राष्ट्रपति को संज्ञा दी है वह गलत है। मैं उसे फासिज्म की संज्ञा में लेता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के अध्यक्ष ने जो हमारे राष्ट्रपति के इम्पीचमेन्ट की बात कही है उसे मैं महादुर्भाग्यपूर्ण बात मानता हूं। जहां तक सवाल इम्पीचमेन्ट का है, इम्पीचमेन्ट तो कर सकते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति निक्सन का भी इम्पीचमेन्ट किया गया था....

श्री खेतसिंह राठोड़ : नहीं किया गया।

श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन इसके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह करना तो शेर का शिकार चाहते हैं लेकिन इनके हथियार तो खरगोश के शिकार करने के लायक भी नहीं। जनता पार्टी के अध्यक्ष के पास मेजोरिटी न लोक सभा में है और न राज्य सभा में इम्पीचमेंट के लिये मेजोरिटी मिलेगी। यह उनकी ख्वाहमख्वाह की बकवास है। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरे ख्याल से इस प्रकार की बातें करना हमारे महान देश भारतवर्ष के लिये आपत्तिजनक बात होगी। हमारा देश एक महान जनतान्त्रिक देश है। इस देश में ऐसा करना या कहना हमारे देश की महान नीतियों के प्रतिकूल हो उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है राष्ट्रपति के आचरण से कुछ लोगों के मन में बात चुभी हो लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जब राष्ट्रपति ने लोक सभा भंग करने के आदेश दिये थे उसके पहले उन्होंने सभी पार्टियों से बातचीत की थी और सभी पार्टियों ने राष्ट्रपति से यह कहा था कि लोक सभा भंग की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के नेता को राष्ट्रपति जी ने एक बार मौका दिया था अपने समर्थन में लिस्ट देने का, पर जनता पार्टी के नेता महोदय अपनी लिस्ट नहीं दे सके, वह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सके, तब उनका यह कहना था कि उनको दुबारा नहीं बुलाया गया, लोक सभा में बहुमत सिद्ध करने के लिये। यह कहां तक कहना उचित है, यह एक विचारणीय प्रश्न है ?

उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई व्यक्ति आर.एस.एस. की रैली में आमंत्रित होकर जाता है तो अच्छा माना जाता है लेकिन अगर वही व्यक्ति किसान रैली में जाता है तो उसको कहा जाता है कि इस व्यक्ति का आचरण संदिग्ध है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आर.एस.एस. की रैली में गया था, किसान रैली में भी गया था। मुझे आर.एस.एस. की रैली में बुलाया, वहां पर मंत्री महोदय ने मुझे देखा भी उस वक्त तो कुछ नहीं कहा लेकिन जब मुझे किसान रैली में आमंत्रित किया गया, चौधरी चरणसिंह जी ने मुझे आमंत्रित किया और मैं वहां गया तो मैंने वहां जाकर कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन उसके लिये मेरे ऊपर यह आरोप लगाया गया कि आपके स्पीकर का आचरण संदिग्ध है। अगर आर.एस.एस. द्वारा घेराव होता है तो मैं समझता हूं कि यह महान दुर्भाग्यपूर्ण बात है, घेराव करना अनुचित है लेकिन आर.एस.एस. वालों ने अभी गुजरात में जनता पार्टी, के अध्यक्ष, श्री चन्द्रशेखर का घेराव किया मेरे जैसे कोई बूढ़े राजनीतिज्ञ, अमलचो आर.एस.एस. वाले कहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि घेराव करने वालों के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा जाता और दूसरे लोगों के चरित्र पर आरोप लगाया जाता है तो यह

(श्री लक्ष्मण सिंह)

डबल स्टेण्डर्ड क्यों है ? उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, अभी बिहार में कर्पूरी ठाकुर का घेराव किया, उनको चोट पहुंचाई। पहले वल्लभभाई पटेल को भी चोट पहुंचाई थी। अभी चन्द्रशेखर जी का घेराव किया, उन्हें अपमानित किया। मैं आर.एस.एस. के इस डबल स्टेण्डर्ड की भर्त्सना करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने अन्त्योदय की योजना चलाई, उसके बारे में भी दो शब्द मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यह योजना एक अच्छी योजना है लेकिन इसकी क्रियान्विति अच्छे ढंग से नहीं हो रही है। अगर कोई अच्छी योजना की क्रियान्विति सही ढंग से नहीं हो तो वह अच्छी योजना भी बुरी बन जाती है। इस योजना की क्रियान्विति में भरपूर खामियां हैं, जैसे एक सीरे का कटोरा भरा हो, हलवे का कटोरा भरा हो और उसको कौवे और चीलें खा जायें वही हालत इस अन्त्योदय योजना की क्रियान्विति की हो रही है। जो गरीबों के पास मदद पहुंचनी चाहिये, वह उनके पास नहीं पहुंच पाती है। इसलिये अच्छी से अच्छी योजना होने के बावजूद भी यह योजना सफल नहीं हो सकी है। इस अन्त्योदय की योजना की क्रियान्विति में आपकी लालफीताशाही आड़े आ रही है, यह लालफीताशाही आप पर हावी है। ऐसा दिखायी दे रहा है कि जो सेवक है वह तो बन गये हैं, सरकार और सरकार बन गयी है सेवक। वह मर्जी चाहे जो कर रहे हैं। उनके चाहे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं इस राजस्थान की सरकार को एक वीकेस्ट एण्ड वर्स्ट फार्म आफ गवर्नमेंट कहूंगा। वीकेस्ट एण्ड वर्स्ट गवर्नमेंट आपकी यह प्रजेन्ट गवर्नमेंट आफ राजस्थान है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आप जरा मुनाफाखोरी और महंगवारी को ही देखिये। महंगवारी तो ऐसा विषय है जो कि देशव्यापी है लेकिन मुनाफाखोरी का जो विषय है वह तो आपका विषय है, आपने मुनाफाखोरों को पूरी छूट दे रखी है। आज गरीब के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब आदमी अगर चिकित्सा की सुविधा चाहे तो उसे उपलब्ध नहीं। जिनके पास पैसा है उनको अस्पताल में अच्छे से अच्छा कमरा मिलता है, लेकिन गरीब के वास्ते कोई गांवों में अस्पताल नहीं है। इसका कारण यह है कि गांवों में पहले तो अस्पताल नहीं हैं और अगर हैं तो गांवों में आपके डाक्टर जाने को तैयार नहीं हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार क्या आपकी है या आपके डाक्टरों की है ? उनको समझाया जाये, उनको प्रोत्साहन दिया जाये। मुझे तो तुलसीदास जी की एक पंक्ति याद आती है, 'भय बिन प्रीत न होय गोपाला'। भाई और बहिनों के तालियां पीटने से राज्य नहीं हो सकता। भय एक हद तक है लेकिन थोड़ी बहुत आंख भी दिखाओ। दोषी आदमी को आप सस्पैंन्ड नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं ? कम से कम दोषी को सजा दो। अगर समाज में और खास करके पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकेंगे ? सवाई मानसिंह अस्पताल का निरीक्षण करके सन्तोष कर लें। सवाई मानसिंह अस्पताल में अच्छे से अच्छा इलाज है लेकिन इलाज की आपकी कसौटी तो वह होगी कि गांवों में आप इलाज की व्यवस्था करें। गांवों में पिछड़े वर्गों और आदिवासियों को चिकित्सा के द्वारा लाभ नहीं पहुंचा सकते तो आप

(श्री लक्ष्मणसिंह)
निरर्थक और निकम्मे लोग हैं ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : और इसलिए कृष्णमुख करो।

श्री लक्ष्मणसिंह : ...उपाध्यक्ष महोदय, काम के बदले अनाज योजना का नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन दर्शन उसके खोटे। आप क्या करना चाहते हैं इस काम के बदले अनाज योजना में। 25 पंचायतों में से एक पंचायत है तो वहां तो 500 क्वि. जायेगा और दूसरी पंचायतों में 50-50 क्वि. जायेगा। 500 क्वि. उसमें जायेगा तो 100 क्वि. सरपंच हजम कर जायेगा। शिकायत करने वालों की सुनवाई नहीं। ऐसी व्यवस्था है तो शिकायतों को सुनना चाहिए और शिकायत पर दोषी पाये जायं उनको सजा देनी चाहिए। अगर आप यह नहीं करते हैं तो आपका पावन कर्तव्य आप नहीं निभाते। आप दिशाहीन हैं, आपकी कोई सूझ नहीं है, आप मडल हैडेड लोग हैं। राजस्थान के 2॥ करोड़ लोगों के खातिर मैं आपको पुरजोर शब्दों में अपील करता हूं कि भगवान के लिए आप कुर्सी छोड़ दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। मैं तो उन व्यक्तियों में से हूं जो पिछले दो-तीन साल से हमेशा मानते आये हैं कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, मंत्रिमंडल नहीं है। यह भैरोंसिंह शेखावत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। यह बात मैं इस प्रस्ताव में अपनी ओर से प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि मंत्रिमंडल तो है नहीं, जिसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आये। कोई व्यक्ति नहीं मंत्रिमण्डल में केवल श्री भैरोंसिंह शेखावत हैं, उनके खिलाफ यह अविश्वास का प्रस्ताव हमने प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर सरकार को तीन तरह से आंका जा सकता है—राजनैतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से। इस सरकार को यदि राजनैतिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो वह भी शून्य है, आर्थिक दृष्टिकोण से इस सरकार को देखा जाये आज राजस्थान की आर्थिक स्थिति कैसी है, उस पर भी विचार किया जाय तो यह सरकार उस मायने में भी कहीं पर भी सफल नहीं है। इसी तरह से सामाजिक दृष्टिकोण से भी अगर इस सरकार को आंकें तो इसमें भी यह जीरो साबित होती है। यह तीनों दृष्टिकोण हैं जिनसे कि सरकार को आंकते हैं।

जहां तक इस सरकार का सवाल है इस सरकार ने कभी नहीं सोचा राजस्थान की बहबूदी और तरक्की के लिये। राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिये इस सरकार ने कुछ किया हो ऐसा नहीं लगता। जब से यह सरकार बनी, तभी से मेरा शुरू से मानना है कि यह भानुमति का कुनबा है। इसमें तरह-तरह की विचारधारा के लोग हैं जैसा कि हमारे विपक्ष के नेता ने बताया, मैं कहना चाहता हूं कि उनके अलग-अलग दिमाग हैं, उनकी अलग-अलग सूझ है, उनके अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, वह सब एक जगह इकट्ठे हो गये हैं। एक ही नारे से इस सरकार को 2॥ साल तक चलाते रहे। इस सरकार ने न तो जनता को कोई आर्थिक प्रोग्राम दिया, न कोई सामाजिक

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

कार्यक्रम दिया और न ही जनता की सुख-सुविधाओं का ही ख्याल रखा। एक ही बात कहते रहे 2½ साल से कि इस देश के अन्दर आपातकाल के अन्दर ज्यादतियां हुई। इस देश के अन्दर हम लोकतंत्र को पुनर्जीवित करके रहेंगे। आज हम उन्हीं मसीहाओं को देख रहे हैं कि वह कैसे बिखर रहे हैं। जो मसीहा कहते थे दूसरों को, वही अपने आपको मसीहा बना रहे हैं। यह बात साफ तौर से हिन्दुस्तान के अन्दर साबित हो रही है। मैंने यह बात इस विधान सभा में कही थी कि आप आपातकाल की बात बार-बार जनता में कहते हैं, इससे राज्य को ज्यादा नहीं चला पायेंगे। आप देश की जनता को आर्थिक प्रोग्राम दें, जनता की तरक्की की तरफ ध्यान दो और लोगों की सुख-सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान दो, लेकिन इस सरकार ने 2½ साल में इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। इसका तो एक ही काम था, 2½ साल तक उन्हीं बातों को कहते रहे। उस बात को कहते-कहते हुए थोड़ी बहुत भी दिल और दिमाग में शर्म तक नहीं आयी। आपातकाल का यह जिक्र करते रहे, आपातकाल मुबारक है, उसको जिसे श्री जगजीवनराम ने पार्लियामेंट में पासलेट किया था। वही आज इनके मसीहा हैं, वही इनके अध्यक्ष हैं। इसलिए आपातकाल के मसीहा की अगुआई में, उन्हीं की सदारत में, उन्हीं को नेता मानते हुए आज आप चल रहे हैं। आपके अन्दर थोड़ी सी शर्म और लज्जा बाकी होनी चाहिए। 2½ साल तक आपने जिन बातों को दोहराया है, 2½ साल में उन्हीं बातों का आप अपने में समावेश कर गये हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसकी है? यह तो कम से कम बतायें। किसान की सरकार नहीं, हरिजन की सरकार नहीं, अल्पसंख्यकों की सरकार नहीं, छोटे व्यापारियों की सरकार नहीं, मजदूरों की यह सरकार नहीं तो फिर यह सरकार, माननीय मुख्य मंत्री जी किसकी है? यह थोड़ा-बहुत तो अपने गिरहबान में हाथ डाल कर देखें। आज का किसान भटकता हुआ डोलता है। एक-एक बूंद पानी के लिए *तरसता है। अलवर के* बारे में मैं बताऊं वहां से दो मंत्री मंत्रिमण्डल में आपने ले रखे हैं। जैसा कि मुख्य मंत्रीजी आपको पता है, वहां की जमीन में पैदावार काफी होती है, सिंचाई की जमीन भी वहां काफी है। वहां पांच दिन के अन्दर एक ट्रैक्टर को 40 लीटर डीजल मिलता है। 40 लीटर के लिए वह 20 मील जाये और 20 मील आये। 5 दिन के बाद फिर 40 लीटर डीजल मिलता है। कभी 10 लीटर डीजल ही मिलता है, कभी 5 लीटर डीजल ही मिलता है और कभी 15 लीटर डीजल मिलता है। अकाल की छाया मण्डरा रही है। तमाम राजस्थान में अकाल है। अलवर और भरतपुर जिले ऐसे हैं जहां पहले 25 सालों में अकाल की सूरत तक नहीं देखी, आज वहां भी अकाल है। लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। आज वहां पर 30 रुपया क्विण्टल भूसा बिक रहा है। यह हालत पैदा हो गयी है अभी तो आगे के दिनों में क्या होगा? लेकिन आपके कान पर जूं नहीं रेंगती। मुख्य मंत्रीजी, आपको दिल्ली से फुरसत नहीं। मंत्रिमण्डल के लोग यहां रहते नहीं। स्पीचों में हम कहते हैं फिर भी किसी के जूं तक नहीं रेंगती। बार-बार हमने इस बात के लिए कहा। एक बात और भी बड़े दुःख की है। कोई बात कहो और किसी बात के लिए लिखो तो आपके मंत्रियों की ओर से उसका जवाब नहीं आता। आपने कोई बात कही, आप जरूर ध्यान देते हैं। एक दो बार आपने जवाब दिया लेकिन मैं यह कहना चाहता

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
हूं कि आपका तो मिलना बहुत मुश्किल है। आपका मिलना तो ऐसा समझ लीजिए बहुत ही मुश्किल है। कभी टेलीफोन पर मिल जायें तो गनीमत है। वैसे मैं समझता हूं कि बहुत असम्भव है। इसलिए मुझे मुख्य मंत्रीजी! आपको और आपके मंत्रिमण्डल के लिये कहना है, आपकी सरकार मजदूर द्रोही है, आपकी जो सरकार है वह छोटे तबके हरिजन और अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार है। आज हरिजनों के ऊपर अत्याचार हों, आज अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हों और आपकी सरकार उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाये और आप उसको वैसे ही टाल दें तो साफ जाहिर होता है कि न आपकी दिलचस्पी है और न यह देखना चाहते हैं।

मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। अभी हमारे देश के सिपाहियों ने आन्दोलन किया। मैं उन सिपाहियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी, इस देश के महान नेता जयप्रकाश बाबू ने इस देश के छात्रों और पुलिस का आह्वान किया था कि तुम इस सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दो, परन्तु उस समय की सरकार के खिलाफ उन्होंने विद्रोह नहीं किया। इस देश के महान नेता जयप्रकाश नारायण ने पुलिस का और मिलिटरी का आह्वान किया था। उन्होंने जिस बात को सोचा वह उन्होंने की जरूर है। उन्होंने वह बात पूरी कर दी। समग्र क्रांति के नेता थे, उन्होंने यह बात कर दी। मैंने भी सन् 47 के अन्दर जयप्रकाश नारायण को एक बात लिखी थी, मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य रहा हूं। जयप्रकाश बाबू को मैंने एक लैटर लिखा उसमें यह लिखा कि आपकी उम्र ज्यादा हो। अगर ईश्वर आपकी उम्र कम कर दे, तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी उम्र आपकी उम्र में जोड़ दे। जिस जनता पार्टी को उन्होंने जन्म दिया वह जनता पार्टी उनकी आंखों के सामने बिखर गई। इसलियें मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी सिद्धांतहीन है, इसके नेता करप्ट हैं। अभी व्यापारियों ने कीमतें बढ़ा दीं। लेलेण्ड ट्रक वालों ने कीमतें बढ़ा दीं। मर्सीडीज की चेसिस की कीमतें बढ़ा दी। किस की कनाइवेंस से बढ़ा दीं? सैन्ट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हों, चाहे कोई भी उद्योग मंत्री हों, मैं सभी के लिये कहना चाहता हूं। 1 करोड़ के वारे न्यारे करके, जो टायर दिये जा रहे थे, वह टायर नहीं दिये। लोगों के पैसे जमा कर रखे हैं। छोटे-छोटे ट्रक चलाने वाले, छोटे-छोटे व्यापारी . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

छोटे-छोटे और व्यक्ति इस तरह से परेशान रहें, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। इससे क्या समझ में आता है यह भी आप सोचें . . .

श्री शिवचरण सिंह: केदार जी नाराज हो जायेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा. उनसे मेरा कोई मतलब नहीं किसान की तकलीफ की बात कर रहा हूं . . .

श्री शिवचरण सिंह: फर्नान्डीस की बात कर रहे हैं . . .

श्री जयकृष्ण शर्मा: चाहे चन्द्र शेखर साहब फर्मायें, चाहे जगजीवनराम बाबू फर्मायें, चाहे कांतिभाई फर्मायें, मुझे कोई

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

एतराज नहीं, मैं तो गरीब की बात कहना चाहता हूं। मोरारजी भाई के लड़के कांति भाई ने एक सक्यूलर भिजवाया कि किर्लोस्कर का पम्प लगवाया जाये। मैं ने मोरारजी भाई के लड़के कांति भाई की बात कहना चाहता हूं, न और किसी की बात कहना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य: इन्दिरा गांधी की बात कहो।

श्री जयकृष्ण शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, वह हवा यहां भी आई। वहीं नहीं फैली, हमारे मुख्य मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी ने क्या किया, उसके ऊपर निगाह डालिये। मुक्ति लाल मोदी माननीय सदस्य रहे हैं उन्होंने कुछ अपने रिश्तेदारों के नाम से खानें लीं, और 8 महीने उन खानों को रखा और 2 लाख का मुनाफा लेकर वह वापिस लौटा दीं। राजस्थान के मंत्री भी इस बात से चूके हों, यह बात नहीं है। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को, जो सामने बैठे हैं, कहना चाहता हूं राजस्थान में सैकड़ों आफिसर्स हैं किसी से इन्क्वायरी करवा लें, सूर्यनारायण चौधरी ने लोगों को परेशान करके दुशमनी निकाली है। उसका नतीजा आपने हिन्दुस्तान में देखा, हिन्दुस्तान की सरकार को देखना पड़ा और आपको भी देखना पड़ेगा। एक बात कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अन्दर 45 या 50 एक्सटेन्शन आफिसर लिये गये। इस चीज को मैंने बता दिया है। मुख्य मंत्री जी के पास वह लैटर मौजूद है। मुख्य मंत्री जी को बता दिया है कि अलग-अलग लिस्ट थी, 45 आदमियों की लिस्ट सूर्यनारायण चौधरी ने भेज दी, किसी की लिस्ट किसने भेज दी और थर्ड क्लास ग्रेजुएट्स को एक्सटेन्शन आफिसर्स के पद पर ले लिया जब कि थर्ड क्लास कहीं एल.डी.सी.भी नहीं लग पाता इससे साफ जाहिर होता है कितने बड़े घोटाले इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट में हुए हैं। राजस्थान के मंत्रिमंडल के हम किस-किस की चर्चा करें। अभी श्री रामकृष्ण दास गुप्ता कह रहे थे, कोई उदयपुर की कह रहा था, कोई नर्स काण्ड की बात कर रहा था। यह किस्से छोटे-बड़े नहीं, यह किस्से बहुत हैं। हम इस वक्त इन बातों पर नहीं जाना चाहते। कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिये जिससे राजस्थान के एक्सचेकर पर असर हो। वूलटाप की प्राइस का सवाल था, लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। किसी एक व्यक्ति को, किसी एक मंत्री को फायदा पहुंचाने की गर्ज से घोटाला किया गया है। मेरा आरोप है इस राजस्थान के मंत्रिमंडल के ऊपर मैं यह भी कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं बल्कि राजस्थान के मंत्रिमण्डल ने एक बात कही है बड़े जोरशोर के साथ, आप ताली पीटते हैं। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि ताली तो पीटो मत। जार्ज फर्नाडिस ने पार्लियामेन्ट में एक घंटे तक जनता पार्टी की बड़ी सराहना की। अखबारों में आया और दूसरे दिन सुबह ही कहने लगे, जनता पार्टी और जनता पार्टी के नेता बड़े निकम्मे हैं। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, कोई बात कहना मत। यह वह बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। यह केन्सर का रोग है इसका कोई इलाज नहीं। इसलिये गम्भीरता से सोचो, और गम्भीरता से सोच कर समय रहते हुए फैसला करो, यह सरकार निकम्मी है, यह भ्रष्ट है। इस में मंहगाई बढ़ी है। इस देश में अराजकता बढ़ी है। दिन-रात गण्डागर्दी बढ़ी है। ऐसी

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

निकम्मी सरकार को हमें फौरन हटाना चाहिये। यह हमारा फर्ज है. . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त हो रहा है।

सदन की बैठक कल प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे बुधवार, दिनांक 26 सितम्बर, 1979 के म. पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

परिशिष्ट-1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

फलासिया क्षेत्र में भूमि सुधार कार्यक्रम

19. श्री लालूदास (फलासिया) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या फलासिया क्षेत्र में भूमि सुधार कार्यक्रम बनाया गया है ? अगर हाँ, तो उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी भूमि कब तक सुधार दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

जी हाँ। जन-जाति क्षेत्रीय उप-योजना के अन्तर्गत फलासिया क्षेत्र के लिये भी भूमि सुधार कार्यक्रम बनाया गया है। इस क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्यों के अन्तर्गत भूमि सुधार का कार्यक्रम भी है जिसके अन्तर्गत करीब 550 हैक्टेयर भूमि लाभान्वित हो सकेगी। इस कार्य को पूरा करने में लगभग 2 वर्ष का समय लगेगा। पहले वर्ष में प्लानिंग, डिजाइनिंग, एस्टीमेट आदि तैयार किये जा रहे हैं और दूसरे वर्ष में इनको कार्यान्वित किया जावेगा।

राजस्थान में अपराध वृद्धि को रोकने के उपाय

20. श्री बहादुर सिंह (नोहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में जुर्म की बढ़ोतरी तथा प्रशासनिक अव्यवस्था को रोकने के लिये राज्य सरकार क्या-क्या उपाय कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य में वर्ष 1979 में वर्ष 1978 की तुलना में जुर्मों की बढ़ोतरी नहीं हुई वरन् लगभग 9 प्रतिशत की कमी हुई है। राज्य में समुचित प्रशासनिक व्यवस्था है। राज्य सरकार अपराधों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने हेतु सदैव सजग रही है। अपराधों की समीक्षा एवं अपराधों पर अधिक नियंत्रण रखने हेतु किये गये उपायों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

इस वर्ष 1979 के प्रथम आठ माह (जनवरी से अगस्त तक) राजस्थान में अपराधों में गत वर्ष 1978 की इसी अवधि की तुलना में 9.19 प्रतिशत की गिरावट आई है इस वर्ष हत्या के अपराधों को छोड़कर जिसमें केवल 2 अपराधों की वृद्धि हुई है। सभी अपराधों में गत वर्ष की तुलना में भारी कमी आई है। डकैती व लूट जैसे जघन्य अपराधों में करीब 22 प्रतिशत तथा नकबजनी में 28 प्रतिशत की कमी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस वर्ष अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण रहा है। इस वर्ष चोरी गई सम्पत्ति में से पुलिस ने 54.90 प्रतिशत सम्पत्ति बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। दस्यु उन्मूलन क्षेत्र में भी इस वर्ष पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। इस वर्ष

(76)

(गृह मंत्री)

अब तक 13 डकैतों द्वारा पुलिस के समक्ष आत्म समर्पण कराना, डकैतों से 38 हथियार भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद करना 101 डकैतों को गिरफ्तार करना तथा डकैत गिरोहों से पुलिस द्वारा 16 बार मुठ-भेड़ लेना इस बात का द्योतक है। पुलिस ने इस क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। अन्य क्षेत्रों में भी जैसे पाकिस्तान की सीमा पर तस्करियों से मुठभेड़ कर तस्करी का माल व हथियार बरामद करने, जगदेव सिंह, तहसीलदार, हरियाणा के गिरोह को पकड़ कर चुराई हुई कारें बरामद करने, टेलीफोन के तार काटने वाले कई गिरोहों को मय कारों के चोरी का माल ले जाते हुए पकड़ने, सीकर में शेखावाटी ग्रामीण बैंक से चुराई गई पूरी धनराशि बरामद करने व अन्य महत्वपूर्ण नकबजनी व अपराधों का पता लगाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। अतः माननीय सदस्य की यह धारणा कि अपराधों में वृद्धि हुई है, सही नहीं है।

अपराधों पर और अधिक नियंत्रण रखने हेतु इस वर्ष कई कदम उठाये गये हैं। शहरी एवं देहाती थानों की नफरी में वृद्धि कर निरीक्षक से कमिश्नर स्तर के करीब 2294 नये पद सृजित किए गये हैं। नये थानों को वाहन सुविधा, तथा कई पुलिस थानों पर टेलीफोन व वायरलेस सुविधा में बढ़ोतरी की गई है। जिला गंगानगर, अलवर, भरतपुर में गश्त हेतु अश्वारोही दलों का गठन किया है। राष्ट्रीय मार्ग दिल्ली-अजमेर व जयपुर-आगरा पर चौबीस घन्टे पेट्रोलिंग हेतु 9 गश्ती दलों का गठन किया गया है जो रात-दिन इन मार्गों पर वाहनों द्वारा गश्त करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त जयपुर नगर में 5 नये थाने बढ़ाये गये हैं और थानों की नफरी में भी काफी बढ़ोतरी की गई है।

अजमेर में बाढ़ से हुई जान-माल की क्षति

21. श्री **नवल राय बच्चाणी** (अजमेर, पश्चिम) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर में 1975 एवं 1979 में बाढ़ में पृथक-पृथक कितनी जान-माल की हानि हुई ?

(2) अजमेर में बाढ़ के स्थाई हल के लिए क्या-क्या प्लान बनाए गए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्रमशः क्या-क्या कार्य इस सम्बन्ध में पहले प्रारम्भ किए जा रहे हैं ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1975 एवं 1979 में अजमेर जिले में बाढ़ की स्थिति के कारण हुई क्षति का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) अजमेर में बाढ़ के स्थाई हल के लिये 2 प्लान वर्ष 75 एवं 77 में बनाए गए थे जिनकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) वर्ष 75 में प्रस्तुत योजना के स्वीकृत सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। वर्ष 77 में प्रेषित योजना में से किसी भी कार्य को धनाभाव के कारण स्वीकृत नहीं किया गया है। इस वर्ष प्लान तैयार किया जा रहा है।

अजमेर जिले में वर्ष 1975–1979 में आई बाढ़ के कारण हुई क्षति का विवरण

वर्ष	प्रभावित तहसील संख्या	प्रभावित ग्राम संख्या	प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित क्षेत्रफल फसल		मृतक पशु/पक्षियों की संख्या	मृतक व्यक्तियों की संख्या	मकान हानि			मकानों की हानि रुपयों में (लाखों में)
				क्षेत्रफल हैक्टेयर	मूल्य लाखों में			पूर्णतया	आंशिक	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1975	..	..	64609	1·29 लाख (एकड़)	24·00	5732 पशु 10000 मुर्गियाँ	14	..	..	5209	..
1979	4	241	175255	1865 (अनउपजाऊ 3271)	123·37	286 पक्षी 6044 मुर्गे	8	932	3808	4740	237.00

	सार्वजनिक निर्माण विभाग को हानि		सिंचाई विभाग को हानि		कुल हानि
	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	
	13	14	15	16	17
1975	..	..	221 तालाब	47.51 लाख	..
1979	..	82.00 लाख	..	36.90 लाख	481.27 लाख

(अकाल राहत मन्त्री)

अजमेर शहर में बाढ़ के स्थाई हल के लिये जो प्लान जिलाधीश जी ने भेजा था, उसकी सूची निम्न प्रकार है:—

(क) वर्ष 1975

1. अनासागर स्केल चेनल एवं गेटों को बनाने की योजना ।

(ख) वर्ष 1977

1. नीचे के हिस्सों में सड़कों के पुनर्निर्माण की योजना ।

2. निचले हिस्से के नाले की योजना ।

3. कलवर्ट का पुनः निर्माण एवं सुधार की योजना।

4. रिटेनिंग वाल का निर्माण ।

5. अधिक बहाव की क्षमता वाली नालियों के निर्माण की योजना ।

6. नालियों की सफाई की योजना

पिछड़ी जाति के लोगों के लिये आरक्षण

22. श्री **ओंकार लाल चौहान** (अटरू): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार राजस्थान में पिछड़ी जाति के लोगों के लिये आरक्षण का प्रावधान रखने का विचार कर रही हैं ?

(2) यदि हां, तो कितना प्रतिशत ?

(3) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

यह प्रश्न राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

जोधपुर में विद्युत की कमी को दूर करने के उपाय

23. श्री **माधोसिंह कछवाहे** (सरदारपुरा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जोधपुर में सीधी भीलवाड़ा होती हुई 220 के. वी. बिजली की लाइन लाने की योजना है ? प्रस्तावित योजना में कब-2, किस-2 प्रकार विभिन्न चरणों में पूरा किया जावेगा ? विद्युत मंत्रीजी की घोषणा के बाद इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

(2) राज्य सरकार जोधपुर में विद्युत की कमी को किस प्रकार और कब तक पूर्ति वर्तमान मांग को देखते हुए करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ। इस योजना के लिए चालू वर्ष में विद्युत् यंत्र व लाइन का सामान क्रय करना शुरू किया गया है। सब का कार्य भी शुरू कर दिया गया है । अगले वर्ष लाइन का कार्य शुरू किया जावेगा। सबस्टेशन का कार्य जमीन मिलने पर शुरू किया जावेगा।

(2) जोधपुर में वर्तमान में पीक लोड आवर्स को छोड़कर विद्युत की उपलब्धि में कोई कमी नहीं है। जोधपुर को सप्लाई चम्बल हाइडल प्रणाली व राजस्थान अणुशक्ति केन्द्र से दी जाती है। पिछले वर्षों में मांग बढ़ने के कारण सब-ट्रान्समीशन लाइनों एवं सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है । प्रस्तावित भीलवाड़ा-जोधपुर 220 के. वी. लाइन को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जोधपुर की आगे आने वाली मांग को पूरा किया जा सके ।

राजस्थान में उत्तर क्षेत्र परिषद् की बैठक

24. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में उत्तर क्षेत्र परिषद् की बैठक दिनांक 28 अप्रेल, 1979 को हुई ? यदि हां, तो उसमें क्या-2 निर्णय लिये गये और कौन-2 से निर्णय अमल में लाये गये और उससे राजस्थान का किस क्षेत्र में, किस रूप में हित हुआ ?

(2) राजस्थान सरकार ने इस परिषद् की बैठक में क्या-2 बातें रखीं और उन पर परिषद् का क्या निर्णय हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि उत्तर क्षेत्र परिषद् की बैठक में पंजाब राजस्थान को बिजली में हिस्सा देने को तैयार नहीं था ? जबकि राजस्थान दो नई बिजली परियोजनाओं-आनन्दपुर, साईब और मुकरिया अपाशारी से हिस्सा मांग रहा है ? यदि हां, तो इस बाबत में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। बैठक के निर्णयों का विवरण अभी तक भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) राजस्थान सरकार ने परिषद् की बैठक में विचारार्थ कोई एजेण्डा नहीं रखा।

(3) निर्णयों के बारे में विवरण प्राप्त होने पर ही जानकारी दी जा सकती है।

कपासन विधान सभा क्षेत्र में अपराध वृद्धि

25. **श्रीमती कमला कुमारी संभर** (कपासन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कपासन विधान सभा क्षेत्र, जिला चित्तौड़ में गत दो वर्षों में कितनी चोरियां या डकैतियां तथा मर्डर हुए हैं ? विगतवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त क्षेत्र के कौन-2 से गांवों में चोरियां बरामद कर ली गईं और कौन से गांवों में बाकी हैं तथा उनके लिये आगे सरकार क्या कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में चोरी, मर्डर और दूसरे मुकदमें कपासन क्षेत्र में बढ़े हैं ? कृपया पांच सालों के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही ही है कि उक्त क्षेत्र में पुलिस की हड़ताल के समय सबसे कम चोरियां और मारपीट, मर्डर के तथा और किसी प्रकार के केसेज भी कम हुए हैं ? अगर हां, तो उस समय (हड़ताल के समय) पुलिस केसेज की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। बाकी चोरियों के बरामदगी के प्रयत्न जारी हैं।

(3) जी हां। पांच सालों के आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(4) जी, हां। गत वर्ष में इसी अवधि में,

(गृह मंत्री)

घटित हुए अभियोगों की तुलनात्मक विश्लेषण करने पर इस अवधि में तीन जुर्म कम हुए हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

राज्य में नई तहसीलों की स्थापना

26. **श्री आर. डी. यादव** (चौमूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार राज्य में कुछ नई तहसीलें कायम करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कहां-2 व कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिलान्तर्गत चौमूं में नई तहसील कायम करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? अगर हां, तो कब तक तहसील खोल दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने मार्च, 1972 में चौमूं में तहसील कायम करने का निर्णय लेकर उसे राज-पत्र में प्रकाशित करवाया था ? अगर हां, तो उस निर्णय का क्या हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां। मामला विचाराधीन है।

(2) जी हां। अभी मामला विचाराधीन है। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

(3) राज्य सरकार ने मार्च, 1972 में आमेर तहसील का मुख्यालय चौमूं में स्थानान्तरण करने के आदेश देकर राज-पत्र में प्रकाशन करवाया था। परन्तु चौमूं में तहसील भवन नहीं होने के कारण व आमेर की जनता की मांग को देखते हुए उक्त निर्णय स्थगित कर दिया गया था।

डीजल व केरोसिन उपलब्ध कराने हेतु किये गये उपाय

27. **श्री करतार सिंह** (किशनगढ़), **श्री आर. डी. यादव** (चौमूं) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में राज्य के किसानों को समय पर डीजल तथा केरोसिन नहीं मिल पा रहा है जिसके फलस्वरूप फसलें नष्ट हो रही हैं तथा किसानों में असंतोष व्याप्त है।

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार शीघ्र ऐसे कौन-2 से कदम उठाने जा रही है ताकि किसानों को कृषि कार्यों हेतु शीघ्र समय पर डीजल एवं केरोसिन उपलब्ध हो सके ? पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य के डीजल की मांग 90,000 किलो लीटर प्रतिमाह है जबकि माह अगस्त, 79 में 34,481 किलो लीटर डीजल ही प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार केरोसिन तेल की मांग 15,000 मैट्रिक टन प्रतिमाह है जब कि अगस्त में 10,200 मैट्रिक टन केरोसिन तेल ही प्राप्त हुआ है। आवश्यकता के अनुरूप डीजल एवं केरोसिन नहीं मिलने के कारण किसानों एवं उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुरूप डीजल व केरोसिन उपलब्ध नहीं हो रहा है परन्तु फसलें नष्ट न हों, इस हेतु डीजल की उपलब्ध मात्रा प्राथमिकता के आधार पर किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है।

(आपूर्ति मंत्री)

(2) कृषि कार्य हेतु डीजल उपलब्ध हो सके इस हेतु एक और राज्य सरकार केन्द्र सरकार से इसकी अधिक मात्रा प्राप्त करने का भरपूर प्रयास कर रही है, दूसरी ओर जिलाधीशों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे प्राप्त आवंटन को कृषि कार्य हेतु प्राथमिकता से उपलब्ध करावें। इस सम्बन्ध में माननीय पैट्रोलियम मंत्री, भारत सरकार को माननीय मुख्य मंत्री महोदय की ओर से दिनांक 27-8-79 को तार द्वारा एवं खाद्य आयुक्त की ओर से केन्द्रीय पैट्रोलियम सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 14-9-79 द्वारा डीज़ल व केरोसिन की मात्रा बढ़ाने को लिखा गया है। कृषकों को प्राथमिकता से डीजल उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 26-6-79, 30-6-79 एवं 13-6-79 को पत्र लिखे गये हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा भारत सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों से एवं तेल निगम के सम्बन्धित अधिकारियों से इन वस्तुओं की उपलब्धि हेतु निरन्तर सम्पर्क रखा जाता है।

बून्दी जिले के अनुसूचित जाति /जन-जाति व पिछड़े वर्गों के लोगों को दी जा रही सुविधाएं

28. श्री **ओम प्रकाश शर्मा** (बून्दी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बून्दी जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जन-जाति एवं पिछड़े वर्गों की बस्तियों में बिजली एवं पानी सप्लाई की कोई प्रस्तावित योजनाएं हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से गांवों में इन योजनाओं की क्रियान्विति किए जाने की संभावना है और कब तक?

(2) क्या बून्दी जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्रों की भर्ती करने के लिये सीटें बढ़ाई जा रही हैं? यदि हाँ, तो किन-2 छात्रावास में कितनी सीटें नई सृजित की जा रही हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। बून्दी जिले में समाज-कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में सीटें वर्ष 77–78 में ही बढ़ाई गई थीं।

ग्राम पंचायत मोडक के सरपंच के विरुद्ध शिकायतों की जांच

29. श्री **हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या पंचायत समिति, चेचट की ग्राम पंचायत, मोडक गांव के सरपंच, श्री रामचन्द्र के विरुद्ध गबन एवं पद दुरुपयोग के गम्भीर मामले पाये गये हैं? क्या उप-खंड अधिकारी, लाडपुरा ने इसकी जाँच सम्पूर्ण कर दी है? सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है।

उत्तर

ग्राम पंचायत, मोडक के सरपंच, श्री रामचन्द्र के विरुद्ध मंगलमय सीमेन्ट फैक्ट्री, मोडक में किसानों की आई जमीनों के मुआवजे में रिश्वत लेने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी प्रारम्भिक जाँच उप-खंड अधिकारी, रामगंज मंडी द्वारा करवाई गई थी। इस मामले में राज्य सरकार की जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

पुलिस की हड़ताल के दौरान नौकरी से निकाले गये कर्मचारी

31. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों को हड़ताल के दौरान दिये गये आश्वासनों के बावजूद अभी भी नौकरियों पर नहीं लिया गया है ? क्या जिन कर्मचारियों को निलंबित एवं कार्यमुक्त किया गया है उन्हें वापस ले लिया गया ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक वापस लिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस की हड़ताल के दौरान जिन कर्मचारियों को जेलों में भेजा गया था वे अभी जेलों में ही हैं ? यदि हां, तो कितने जेलों में हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त हड़तालियों का वेतन अभी भी नहीं दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। कार्यमुक्त किए गए पुलिस कर्मचारियों का छोड़ कर सभी निलंबित कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर ले लिया गया है। कार्यमुक्त किए गए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं।

(3) मामला विचाराधीन है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कान्ट्रैक्ट बेसिस पर चल रही बसें

32. श्री शंकर लाल (जैतारण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्वयं की कितनी यात्री बसें है और उसमें से कितनी चालू हालत में काम कर रही हैं व कितनी कब से बेकार पड़ी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) निगम द्वारा कान्ट्रेक्ट बेसिस पर कितने व्यक्तियों की कितनी यात्री बसें किन-किन मार्गों पर चलाई जा रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा कान्ट्रेक्ट बेसिस पर यात्री बसें रखना न्यायोचित है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की दिनांक 14-9-79 को स्वयं की 2166 वाहनें हैं। इन वाहनों में 42 वाहनों को कण्डम किये जाने की कार्यवाही जारी है। शेष 532 वाहनें निगम की विभिन्न कार्यशालाओं में सामयिकी रख-रखाव एवं मरम्मत में है। इस प्रकार कोई वाहन बेकार नहीं है।

(2) निगम द्वारा कांट्रेक्ट बेसिस पर ली गई वाहनों की संख्या, उनका स्वामित्व एवं जिन मार्गों पर उनका संचालन किया जा रहा है, तत्संबंधी सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(83)

बसों में शिकायत पुस्तिका व फर्स्ट-एड बाक्सों में दवाईयां व शिकायत पुस्तिकाओं की व्यवस्था

33. श्री **दाऊ दयाल जोशी** (दीगोद): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान रोडवेज की बसों में 2 डिब्बे एक रेडक्रास का व एक शिकायती किताब रखने का होता है ? यदि हां, तो क्या वे दोनों डिब्बे शत-प्रतिशत बसों में खाली रहते हैं ? यदि हां, तो इन डिब्बों का क्या उपयोग है ?

(2) इन डिब्बों को भरा रखने के लिये राज्य सरकार ने गत वर्ष कितने रुपयों की दवायें खरीदीं व कितने रुपये शिकायती पुस्तिका खरीदने में व्यय किये तथा कितने-2 रुपयों की दवायें किस-2 डिपो को भेजी गईं ?

उत्तर

(1) राज्य परिवहन की वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बोक्स एवं शिकायत पुस्तिका रखना होती है । यह सही नहीं है कि ये दोनों हीं वस्तुएं निगम की शत-प्रतिशत वाहनों में उपलब्ध नहीं होती हैं ।

(2) वर्ष 1978 की अवधि में निगम द्वारा 64,312.50 रुपये (कर अतिरिक्त) का व्यय फर्स्ट-एड बोक्स एवं उसमें पूर्ति की जाने वाली दवाओं की खरीद पर व्यय किया गया है । इसी प्रकार शिकायत पुस्तिकाओं के लिये कागज एवं छपाई पर 4,472.00 रुपये की राशि व्यय की गई । वर्ष 1978-79 की अवधि में विभिन्न आगारों को भेजी गई दवाइयों की राशि दर्शाते हुए मानचित्र सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

वर्ष 1978–79 की अवधि में विभिन्न आगारों को जारी किये गये फर्स्ट-एड बाक्स एवं दवाओं के लिए फिक्स राशि का विवरण:–

क्र०सं०	नाम आगार	आवंटित फर्स्ट-एंड बाक्स की राशि	आवंटित रिफिक्स की राशि	कुल राशि
1	भरतपुर	2250.00		2250.00
2	झुंझुनू	2240.00		2340.00
3	सीकर	1485.00	675.00	2160.00
4	उदयपुर	2925.00		2925.00
5	कोटा	4950.00	675.00	5625.00
6	ब्यावर	675.00	270.00	945.00
7	उत्तर वृत्त, अजमेर	6525.00	6480.00	13005.00
8	जालोर	1350.00		1350.00
9	भीलवाड़ा	1125.00		1125.00
10	जयपुर (द्रुतगामी)	2700.00		2700.00
11	सिरोही	1350.00		1350.00
12	आबूरोड	1350.00		1350.00
13	जोधपुर		675.00	675.00
14	अलवर		675.00	675.00

(84)

मरु विकास योजना के अन्तर्गत नागौर-रतनगढ़ से 132 के. वी. की लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव

34. श्री **बंशीलाल सारस्वत** (नागौर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मरु विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ऐसा विचार रखती है कि नागौर जिले के पश्चिमी भाग के समग्र विकास के लिये नागौर-रतनगढ़ से 132 के. वी. की लाइन से जोड़ा जाना अत्यन्त आवश्यक है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस बारे में शीघ्र भारत सरकार को प्रस्ताव भेजकर इस योजना के लिये कोई कारगर कदम उठाना चाहती है ।

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की जा रही है । इस वर्ष की वार्षिक योजना में इस लाइन के लिये अभी तक कोई प्रावधान नहीं है ।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव की जांच के पश्चात् यदि आवश्यक समझा गया तो राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष या अगले वर्ष की वार्षिक योजना में इसको सम्मिलित करने का कदम उठाया जावेगा ।

पीपल्दा क्षेत्र में राहत कार्य

35. श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र में वर्षा के अभाव में फसलें सूख गई हैं तथा नायब-तहसील, इन्द्रगढ़ तथा खातोली के नजदीक अठाखां एरिये तथा फूसोद एवं वालूपा, वागली तथा जटवाड़ा पंचायतों में सूखे की वजह से चारा एवं अनाज के अभाव में जनता त्राहीन्त्राही-कर रही है तथा जानवरों ने मरना शुरू कर दिया है ?

(2) क्या राज्य सरकार अकाल की इस घड़ी में उक्त क्षेत्र में शीघ्र राहत पहुंचाकर उचित व्यवस्था करेगी ? यदि हाँ, तो क्या एवं किस प्रकार ?

उत्तर

(1) पीपल्दा क्षेत्र में वर्षा के अभाव की फसलों में 60 प्रतिशत नुकसान होना बताया गया है । लोग संभावित अकाल की कल्पना से भयभीत जरूर हैं। पशुधन मरने व निष्क्रमण के कोई समाचार नहीं हैं ।

(2) जिले में विशेष गिरदावरियां कराई जा रही हैं जिनका कार्य शीघ्र ही पूरा हो जावेगा । जिलाधीशों को परीक्षण राहत कार्य आरंभ करने तथा 50,000 रुपये प्रत्येक प्रभावित तहसील तक व्यय करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं । एक अक्टूबर, 1979 से एक लाख लोगों को राहत कार्य पर लगाये जाने के आदेश दे दिए हैं । पेयजल एवं चारे की व्यवस्था कर दी जावेगी ।

फेमिन कोड में संशोधन

36 श्री **हरजी राम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री हरजीराम बुरड़क)

करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने फेमिन कोड में संशोधन करने का कोई प्रयत्न किया है ? यदि हाँ, तो कब-कब क्या-क्या प्रयत्न किया तथा उनका क्या नतीजा रहा ?

(2) इस समय प्रचलित फेमिन कोड की प्रतियाँ सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) उक्त फेमिन कोड के कौन-2 से मामलों में क्या-2 संशोधन करना था और क्या-क्या किया गया ?

उत्तर

(1) जी हाँ। फेमिन कोड के संशोधन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था जिनसे फैमिन कोड पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् विभिन्न विषयों पर अलग-2 6 अध्ययन दल गठित किए। उन अध्ययन दलों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। जो समिति के सदस्यों एवं वित्त विभाग की टिप्पणी के लिये भेजी हुई हैं। समिति अपनी सम्पूर्ण रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत करने वाली है।

(2) प्रचलित फेमिन कोड की प्रतियाँ सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) वर्तमान फेमिन कोड में केवल फेमिन अथवा अभाव की स्थिति के बारे में ही उल्लेख है। ओलावृष्टि, अग्नि तथा बाढ़ आदि से उत्पन्न समस्याओं के हल तथा इन प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को तात्कालिक अथवा दूरगामी सहायता प्रदान करने के प्रावधान नहीं हैं। फेमिन अथवा अकाल राहत के बारे में भी अभाव की घोषणा, अकाल सहायता के उद्देश्य, अकाल राहत कार्यों का आपस में समान्य, राहत कार्यों का मास्टर-प्लान राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की मजदूरी निर्धारित करने का मापदण्ड, राहत कार्यों से संबंधित राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशासनिक ढांचा, राहत कार्यों का सर्वे, चयन, स्वीकृति, संपादन, परीक्षण, राहत कार्यों का चलाना, राहत कार्यों पर जल व अन्य व्यवस्था निः शुल्क सहायता, पेयजल व्यवस्था, निष्क्रमण, चिकित्सा एवं आवश्यक सुविधाएं आदि नये फेमिन कोड के उद्देश्य हैं जो आमूल-चूल परिवर्तन होगा।

(फेमिन कोड की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट—2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 4 की सूची)

पंचायत समिति, चेचट में ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों की सूची जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है।

1. सानखेड़ा
2. हरीपुरा
3. तोल्याखेड़ी
4. जगपुरा
5. रायखेड़ा
6. रघुनाथपुरा
7. रूपपुरा
8. खानी
9. मोतीपुरा कलां
10. डूडिया खेड़ी
11. रामपुरिया
12. गुमानपुरा
13. धारूपुरा
14. मिनियाखेड़ी
15. भटवाड़ा
16. झामड़ा
17. नयागांव
18. अरनिया खुर्द
19. सुरसा
20. बनियाखेड़ी
21. चियाखेड़ी
22. बारोडीया खुर्द
23. झालरा
24. झीड़ी
25. जमुनिया
26. विन्दा पहाड़
27. खेडली बावड़ी
28. धारिया
29. दुडकली
30. सारंग खेड़ी
31. नूरपुरा
32. जोधपुरा
33. बालक
34. हाथी खेड़ी
35. भगवानपुरा
36. जालिमपुरा कलां
37. जगपुरा खुर्द
38. गुलाबपुरा
39. अमलावद खेड़ा
40. फतेहपुरा
41. गणेशपुरा खुर्द
42. गडारी
43. रकबा पहाड़
44. उम्मेदपुरा
45. भदर खान
46. चाऊपुरा
47. सलावद कलां
48. छत्रपुरा
49. देवीपुरा
50. मंडीबिरान

सूची "ब"

पंचायत समिति, लाडपुरा में ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों की सूची जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है।

1. गंगायचा
2. गोनेडी
3. रंगपुर
4. देवली मोछयान
5. नोटाना
6. रामराजपुरा
7. मानसगांव
8. घघटाना
9. मानपुरा रूरल
10. खेडली पांडे
11. रामखेडली
12. पीपलोदा शेरवान
13. बृजेशपुरा
14. झालीपुरा
15. ताथेड
16. बोरखण्डी
17. नयारोहड़ा
18. हनुवन्त खेड़ा
19. हाथीखेड़ा
20. मदनिया
21. लाखवा
22. रंगवाड़ी
23. शम्भूपुरा
24. बोरावास
25. किथोड़ी
26. मोरिया
27. डाबड़ा
28. कंवरपुरा
29. चन्डोन्दा
30. गोदलियाहेडी
31. किशनपुरा केथून
32. कादी हेड़ा
33. राजपुरा
34. अभयपुरा
35. रानीपुरा
36. नागपुरा
37. पीपलहेडी
38. ढाणी
39. शंकरपुरा
40. सीमल हेडी
41. चारणहेडी
42. पांडल्या
43. फाथाखेड़ा
44. भीनलात
45. नीमखेड़ी
46. उम्मेदपुरा
47. भीलखेड़ी
48. सिंहपुरा
49. काल्याखेड़ी
50. गोपालपुरा
51. डडवाड़ा
52. धोलपुरा
53. दोबाड़ा
54. नयागांव
55. कोथला
56. पदमपुरा
57. रीणीयांखेड़ी
58. सारंगपुरा
59. मुकुन्दपुरा
60. जोधपुरा
61. दौलतपुरा
62. बकसपुरा
63. सोहनपुरा
64. रणवाथा

88

65. हरिपुरा
66. भांवरिया कंवरपुरा
67. श्यामपुरा
68. पंचपहाड़
69. बावड़ी खेड़ा
70. रानपुर
71. धरमपुरा
72. कलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा
73. डोल्या
74. चांद बावड़ी

नॉन-पोटेंशियल

75. देवनगर
76. नन्दा रूरल
77. रामनगर रूरल
78. नयाखेड़ा रूरल
79. सुखपुरा
80. छतरपुरा
81. रुफरेल
82. विजयपुरा
83. भीमपुरा
84. उम्मेदपुरा
85. जमोन्या
86. पाचनकुई
87. कोल्या तलाई
88. रुपपुरा
89. निचलपुरा
90. चोरडा
91. चन्द्रेसल
92. छीपन हेड़ी
93. ज्ञानपुरिया
94. अखवा
95. धोलनपुर
96. कोटबावड़ी
97. धोरों का गांव
98. कोलीपुरा
99. रातड़िया
100. देवपुरा
101. नीम खेड़ा
102. श्योदानपुरा
103. रूपपुरा
104. बोरकुई
105. बाछड़िया
106. बुगछाच कलां
107. बुगछाच खुर्द
108. उम्मेदपुरा
109. हरीपुरा
110. किशनपुरा
111. मोतीपुरा
112. भगवानपुरा
113. उदयपुरा
114. पृथ्वीपुरा
115. अमरपुरा
116. खोंगरपुरा
117. धोहनिया
118. इन्दरपुरा
119. नारायणपुरा
120. सबलपुरा
121. जसपुरा
122. रेल
123. मानपुर
124. मण्डीगढ़
125. रोझाला
126. केशोपुरा
127. खाडली बावड़ी
128. गणेशपुरा
129. अमा-का-पानी
130. जमूनिया
131. दमोदरपुरा
132. मोहनपुरा
133. लक्ष्मीपुरा
134. झमड़ा
135. फूटातालाबाआनन्दपुर

सूची 'स'

पंचायत समिति, लाडपुरा तथा चेचट में जनवरी, 1977 से अगस्त, 1979 तक विद्युतिकृत ग्रामों की सूची :

पंचायत समिति, चेचट

1. डोढ खेड़ा
2. मण्डली
3. गण्डा
4. खेरलो
5. घकिया
6. थूलू
7. तमूलिया
8. सलेरा कलां
9. बुधवान
10. राजूखेड़ा
11. गणेशपुरा
12. हमन
13. पीपलड़ा
14. गुडला
15. करणपुरा
16. मनोहरपुर
17. थाईपुरा
18. ईश्वरपुरा
19. मायलो
20. उदयपुरा
21. हनोतिया
22. गोदिना
23. कोला
24. अमृत खेड़ा
25. तेलिया खेड़ी
26. सामल खेड़ी
27. आरामपुरा
28. नलोदिया
29. चोन्सला
30. कमलपुरा
31. अन्तलिया
32. कात्या खेड़ी
33. लसूडिया
34. घाटी जागीर
35. मानपुरा
36. कुकरा खुर्द
37. नयागांव
38. भप्रा
39. मूण्डिया
40. धूनियां
41. पायली
42. गोला
43. अरनिया कलां
44. मन्डी नाथन
45. मुकन्दरा
46. साण्डपुर
47. दुर्जन पुरा
48. लक्ष्मीपुरा

पंचायत समिति, लाडपुरा

1. जलखेड़ा
2. प्रहलाद पुरा
3. राजनगर
4. रातड़ा
5. किशनपुरा
6. बोरखण्डी
7. रतकांकड़ा
8. नयागांव दौलतगंज
9. खेड़ा जगपुरा
10. जखोरा
11. कीतल हेड़ा
12. बालापुरा
13. भगवानपुरा
14. गलाना
15. गन्दीपहाली

सूची 'द'

पंचायत समिति, लाडपुरा एवं चेचट में विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत गांवों की सूची:

पंचायत समिति, लाडपुरा

1. अरन्या
2. आंवली
3. राजहेडी रूरल
4. बांदा
5. मांडिलया
6. होरापुरा
7. हनूतिया
8. गिरधरपुरा
9. अडल्या
10. बीनयानी
11. दीपपुरा
12. बरीडिया
13. अरंडखेड़ा
14. बोरया खेड़ी
15. लाडपुरा केथून
16. खेड़ी जगपुरा
17. रंगबाड़ी

पंचायत समिति, चेचट

1. राजपुरा
2. कात्याखेड़ी
3. पामखेड़ी
4. फावा